मध्यप्रदेश विधान सभा

टाटपट्टी प्रकरण जांच समिति

का

प्रतिवेदन

(दिनांक ३१ अगस्त १९६८)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९६८

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग १—समिति का गठन	१
भाग २—टाटपट्टी क्रय के संबंध में शिकायतें	५
भाग ३—समिति के लिये अध्यक्ष विधान सभा द्वारा निर्धारित विचारणीय विषय	८
भाग ४—समिति की बैठक	१०
भाग ५—प्रकरण के तथ्य	१३
भाग ६—विचारणीय विषयों पर जांच व चर्चा—	
विचारणीय विषय क्रमांक १ (१)	१८
विचारणीय विषय क्रमांक १ (२)	१९
विचारणीय विषय क्रमांक १ (३)	२२
विचारणीय विषय क्रमांक १ (४)	२४
विचारणीय विषय क्रमांक १ (५)	३१
विचारणीय विषय क्रमांक १ (६)	३४
विचारणीय विषय क्रमांक १ (७)	४२
विचारणीय विषय क्रमांक १ (८)	५३
विचारणीय विषय क्रमांक २	५४
विचारणीय विषय क्रमांक ३	५४
विचारणीय विषय क्रमांक ४	५९
भाग ७—श्यामपट तथा बाल्टियों का क्रय	६०
भाग ८—निष्कर्ष का सारांश	६१
परिशिष्ट १—साक्षियों की सूची	६५
परिशिष्ट २—प्रदर्श (एक्जीबिट्स) पी की सूची	६७
परिशिष्ट ३—आर्टिकल की सूची	८०
परिशिष्ट ४—टाटपट्टी के टेण्डरों की सूची	८३
परिशिष्ट ५—केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण	८४
परिशिष्ट ६—वैध टेण्डर्स में टेण्डररों द्वारा टाटपट्टी प्रदाय की शर्तें तथा दरें	८५
परिशिष्ट ७—अस्वीकृत किये गये टेण्डर्स में टेण्डररों द्वारा टाटपट्टी प्रदाय की शर्तें तथा दरें	८६
परिशिष्ट ८—श्री राजकिशन गुप्ता तथा संचालक, लोक शिक्षण के बीच में दिनांक २८ फरवरी १९६८ को लिखा गया करारनामा.	९३

टाटपट्टी प्रकरण जाँच समिति का प्रतिवेदन

मैं टाटपट्टी प्रकरण जांच समिति का सभापति समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर उसके इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं.

भाग १—समिति का गठन

१. मध्यप्रदेश विधान सभा का फरवरी-अप्रैल, १९६८ बजट सत्र दिनांक १९ फरवरी, १९६८ को प्रारम्भ हुआ व वित्त मंत्री श्री रामहित गुप्त ने दिनांक २७ फरवरी, १९६८ को वर्ष १९६७-६८ का अनुपूरक अनुमान उपस्थापित किया. १९६७-६८ के अनुपूरक अनुमान के पृष्ठ २२ पर अनुदान क्रमांक २४ शिक्षा के मद क्रमांक १—आकस्मिक व्यय तथा मद क्रमांक ४—आकस्मिक व्यय के सामने मतदेय रकम १००–१०० रु. अंकित हैं तथा पृष्ठ २३ पर इन दोनों मदों के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है :—

"मद १ तथा ४—गत कुछ वर्षों के दौरान निधियों की कमी के कारण शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में आवश्यक साज सामान जैसे टाटपट्टियों, ब्लैक बोर्ड, बाल्टियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी अतएव चालू वर्ष के दौरान उन्हें २०,००,००० रु. की लागत का यह सामान देने का निर्णय लिया गया है. चूंकि चालू वर्ष के बजट अनुदान में इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है अत: आकस्मिकता निधि से इस प्रयोजन के लिये २०,००,००० रु. का अग्रिम मंजूर किया गया है. इस व्यवस्था में से ३,२०,००० रु. का जो टाटपट्टियों, ब्लैक बोर्ड, बाल्टियों आदि की लागत है, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण विभाग को, अन्तरित प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिये उपयोग किया जायगा.

चूंकि व्यय की पूर्ति चालू वर्ष में मंजूर बजट से की जा सकती है इसलिये अग्रिम की प्रतिभूति के लिये प्रत्येक मद के अन्तर्गत १०० रु. का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है."

२. शिक्षा विभाग की उक्त मांग के संबंध में खरीदी गई टाटपट्टी के विषय में अनुपूरक मांगों तथा तत्संबंधी मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, १९६८ (क्रमांक १२ सन् १९६८) पर चर्चा करते समय तथा अन्य अवसरों पर सदन में हुई चर्चा के कार्यवाही से उद्धरण नीचे दिये गये हैं :—

दिनांक (१)	सदस्य का नाम (२)	चर्चा का विषय (३)	सदस्य के भाषण का उद्धरण (४)
४-३-६८	श्री बृजकिशोर पटेरिया	१९६७-६८ का अनुपूरक अनुमान.	अब अध्यक्ष महोदय २० लाख रुपया टाटपट्टियों को खरीदने के लिये रखा गया है, ऐसी क्या जल्दी थी बजट में इसको रख सकते थे. लेकिन इसके बाद भी आपके कारनामे सब जगह इस संबंध में जाहिर हो रहे हैं. हर होटल पर हर

(१)	(२)	(३)	(४)
			दुकान पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है. इसको आप सदन के सामने लाते तो ठीक था.
४-३-६८	श्री रामानन्दसिंह ..	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, १९६८ (क्र. १२, सन् १९६८).	अनुदान संख्या २ में शिक्षा विभाग में २० लाख रुपया फरवरी-मार्च महीने में टाटपट्टी और ब्लैक बोर्ड्स खरीदने के लिये दिया. ६ फरवरी को टेण्डर नोटिस दिया गया और एक व्यक्ति को रातों-रात लाखों रुपयों का फायदा हो गया. २० लाख रुपये की आकस्मिक निधि से मांग की गई. इस नंगे भूखे प्रदेश की जनता के गले पर छुरी मत चलाइये. यह २० लाख रुपया शिक्षा विभाग में बरबाद कर तमाशा मचाया है. उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, तथा पूरे प्रदेश में चर्चा है कि इस घपले में मंत्रियों तक के हाथ रंगे हुए हैं.
७-३-६८	श्री गोविन्दनारायण सिंह, मुख्य मंत्री.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, १९६८ (क्र. १२, सन् १९६८).	टाटपट्टी खरीदी के बारे में, स्लेट खरीदी के बारे में बड़ा शोरगुल हुआ कि बड़ी बेईमानी है. माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक समिति गठित कर दीजिये पूरे प्रकरण को जांच लें, जो बेईमान पाया जाय उससे चार्ज ले लीजिये, निकाल दीजिये.
७-३-६८	श्री जगदीशनारायण अवस्थी.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, १९६८ (क्र. १२, सन् १९६८).	माननीय मुख्य मंत्री जी ने टाटपट्टी के मामले में कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, क्या मैं समझूं आपने स्वीकार कर लिया है ?
७-३-६८	श्री गोविन्दनारायण सिंह, मुख्य मंत्री.	"	मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं आप कमेटी बनायें. उसमें श्री अवस्थी जी को रखें और यदि आप न बनायें तो मैं श्री अवस्थी जी को आफर करता हूं.

(१)	(२)	(३)	(४)
८-३-६८	श्री कृष्णनारायण प्रधान	वर्ष १९६८-६९ के आय-व्ययक पर मांग संख्या ४—गृह विभाग से संबंधित अन्य राजस्व व्यय.	कल मुख्य मंत्री जी ने टाटपट्टियों की जांच के संबंध में एक कमेटी का अनुरोध किया था क्या आप उसे बना रहे हैं?
८-३-६८	श्री काशीप्रसाद पांडे, अध्यक्ष.	..	मैं इस पर विचार कर रहा हूं, कमेटी बना दी जायेगी.
२८-३-६८	श्री काशीप्रसाद पांडे, अध्यक्ष.	..	टाटपट्टी प्रकरण की जांच करने के लिये मैं एक कमेटी नियुक्त करता हूं. इसके सदस्य हैं— (१) श्री कुंजीलाल दुबे (२) श्री वसन्त सदाशिव प्रधान (३) श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (४) श्री शिवप्रसाद चनपुरिया (५) श्री थानसिंह बिसेन इस समिति के अध्यक्ष श्री कुंजीलाल दुबे होंगे. समिति अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करेगी. अपना प्रतिवेदन दो माह के भीतर देगी.
३०-३-६८	श्री वसन्त सदाशिव प्रधान	मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव.	टाटपट्टी के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप लगाया है कि उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उच्चस्तरीय समिति बनाई, मुख्य मंत्री ने मान्य किया. मंत्रिमंडल ने कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कदम उठाया है कि माननीय कुंजीलाल दुबे जैसे वरिष्ठ नेता की अध्यक्षता में आपने समिति बनाई है. वह समिति इसकी छानबीन करने जा रही है और उसके निर्णय को हम सदन में प्रस्तुत करेंगे.
३०-३-६८	श्री रामानन्द सिंह	"	अगर टाटपट्टी के प्रकरण पर शिक्षा मंत्री जी के विरुद्ध रिपोर्ट आती है तो क्या शिक्षा मंत्री जी अपने पद से स्तीफा देंगे?

.. .. ..

(१)	(२)	(३)	(४)
			या मुख्य मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करते हैं कि अगर वह समिति में जुर्म सिद्ध हो जायेंगे तो मुख्य मंत्री महोदय अपने पद से स्तीफा दे देंगे और उनका मंत्रिमंडल भंग हो जायेगा.? मैं तो समझता हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है यह घोषणा करें न कि किसी भी तरह से कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं.
३०-३-६८	श्री वसन्त सदाशिव प्रधान	मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव.	अभी तो उस समिति ने जांच ही नहीं की है. भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी से चाहे जो कुछ कह कर विषाक्त वातावरण का निर्माण न करें मेरा यह निवेदन है.
३०-३-६८	श्री रामानन्द सिंह	..	भ्रष्टाचार हुआ है यह समिति की रिपोर्ट से सिद्ध हो जावेगा. मुख्य मंत्री घोषणा कर दें कि यदि सिद्ध हो गया तो वे स्तीफा दे देंगे.

३. इस प्रकार उक्त कार्यवाहियों से विदित होगा कि सदन की इच्छानुसार तथा मुख्यमन्त्री के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक २८ मार्च, १९६८ को टाटपट्टी प्रकरण जांच समिति के गठन की घोषणा सदन में की गयी. समिति को अपना प्रतिवेदन दो माह के भीतर देना था परन्तु इसके पश्चात् समिति के निवेदन पर अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा के सितम्बर, १९६८ सत्र के पहले सितम्बर, १९६८ के प्रथम सप्ताह के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी थी.

४. दिनांक २८ मार्च, १९६८ को अध्यक्ष महोदय ने टाटपट्टी जांच समिति नियुक्त करते समय पंडित कुंजीलाल दुबे को इस समिति का सभापति नियुक्त किया था परन्तु उनके द्वारा इस समिति की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देने के कारण अध्यक्ष महोदय ने दिनांक २४ मई, १९६८ को इनके स्थान पर समिति के सदस्य श्री वसन्त सदाशिव प्रधान को समिति का सभापति नियुक्त किया तथा समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, विधान सभा को समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया.

भाग २—टाटपट्टी क्रय के सम्बन्ध में शिकायतें

५. (क) श्री एस. एल. मारवाड़ी, सचिव, मध्यप्रदेश लघु टाटपट्टी निर्माता संघ द्वारा यूनाइटेड ट्रेडिंग एजेन्सी, भोपाल ने समिति के तत्कालीन सभापति पं. कुंजीलाल दुबे को अपने पत्र द्वारा टाटपट्टी खरीदी में भ्रष्टाचार के विषय में शिकायतें भेजी थीं जिसके प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार हैं:—

(१) क्रय टेन्डर नोटिस की अवधि कम इतनी क्यों रखी गयी जब कि एक माह की कम से कम अवधि होनी थी ?

(२) क्रय समिति में जाली समिति क्यों बनाई गई ? एम. एल. ए. या एम. पी. को समिति में क्यों नहीं लिया गया ?

(३) बीस वर्ष से आ रहे नियमों को तोड़ कर निजी स्वार्थ हेतु जब रेट में फर्क नहीं (क्योंकि ६० पैसे से ६ रुपये प्रति गज तक हर क्वालिटी की टाटपट्टी मिलती है) क्यों संचालिका ने टाटपट्टी खरीदी की जब कि आज तक हर जिला शिक्षा विभाग ही टाटपट्टी लेता आया है ? (उनकी कमेटी में कलेक्टर, एम. एल. ए. सदस्य रहते हैं.)

(४) एजेन्ट मिल के रेट, सैम्पल पसन्द नहीं आये, ६० पैसे से फिर एक अनाड़ी का रेट फिर कैसे पसन्द किया ?

(५) टेन्डर शर्तों के व शासकीय नियम के विरुद्ध ३१ मार्च तक माल केवल जाली बिल्टी पर ही क्यों २ लाख मीटर का १३ लाख मीटर सप्लाई हुआ माना गया है ? क्या बिल्टी देने से माल पूरा हो गया ? बिल्टी दस हजार के माल की भी हो सकती है.

(६) टाटपट्टी अभी २ लाख मीटर भी सप्लाई नहीं हुई है और संचालिका ने १३ लाख मीटर का पेमेन्ट कैसे कर दिया, ड्रा क्यों किया?

(७) टेंडर की शर्तों के विरुद्ध,—

(क) कलकत्ते में पासिंग क्यों की?

(ख) ऐसा करना था फिर मिल से ही क्यों नहीं लिया?

(ग) कलकत्ते में संयुक्त संचालिका को क्यों भेजा?

(घ) सेम्पल बदल कर क्यों लिया गया ?

(ङ) ये सहूलियतें खुले आम टेन्डर नोटिस में क्यों नहीं लिखी गई, क्यों केवल किसी ठेकेदार को दी जा रही हैं?

(८) संचालिका ने ५० हजार नोट लेकर १५ मार्च के बाद रनिंग आर्डर देकर, सेम्पल बदल कर क्योंकि समिति में अधिकारियों के ही हस्ताक्षर वे भी कागज पर, सेम्पल पर नहीं थे, १४ औंस का सेम्पल पास करके ११, १२ औंस का माल लिया गया.

(९) ३१ मार्च तक यदि सप्लाय हुआ है तो डी. एस. ई. से पूछे. क्या उसने एक-एक मीटर टाटपट्टी हर रोल में नापी ? दो लाख मीटर कैसे अन्दाजा लगाया ? केवल ठेकेदार पर से जब कि खुद ५० आदमी तक ठेकेदार लगाकर हर मीटर नपा सकता है.

(ख) दैनिक मध्यदेश, भोपाल के दिनांक १३-२-६८ के अंक में इस विषय में शिकायत प्रकाशित हुई है जो निम्न प्रकार है :--

"मध्यप्रदेश का लोक शिक्षण विभाग अगले कुछ दिनों में करीब १२-१५ लाख रुपयों के मूल्य की टाटपट्टियां खरीदने जा रहा है. इतनी बड़ी शासकीय खरीदी का टेन्डर नोटिस जितनी कम समयावधि का और स्थानीय समाचार पत्रों में ही प्रकाशित किया गया है, उससे इस खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार होने की आशंका बढ़ जाती है, किन्तु अभी भी सरकार चाहे तो इस भ्रष्टाचार को रोक सकती है.

६ फरवरी के नवभारत में संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश शासन का एक विज्ञापन टेण्डर क्रमांक १ वर्ष १९६८ प्रकाशित हुआ है. इस विज्ञापन द्वारा १३ फरवरी तक अर्थात् केवल ६ दिनों में दस हजार की अर्नेस्ट मनी के साथ ६॥ लाख मीटर और १२ इंच चौड़ाई की अच्छी किस्म की टाटपट्टी की खरीदी के टेण्डर मांग गये थे.

एक तो इतनी अधिक मात्रा में टाटपट्टी बनाने वाला कोई कारखाना भोपाल के आसपास है ही नहीं तथा टाटपट्टियों का कोई इतना बड़ा व्यापारी भी इस एरिया में नहीं है.

एक जानकार सूत्र के अनुसार ६॥ लाख मीटर लम्बी टाटपट्टी का मूल्य १२ से १५ लाख रु. हो सकता है. चूंकि विज्ञापन में टाटपट्टी की मोटाई का जिसका मापदण्ड केवल प्रति गज या मीटर वजन हो सकता है, कहीं उल्लेख नहीं है, अतः विज्ञापन ही दोषपूर्ण है. फिर इतनी बड़ी मात्रा में टाटपट्टियां जूट मिलें ही सप्लाय कर सकती हैं, जो कि कलकत्ता के आसपास स्थित हैं. अतः इस प्रकार के विज्ञापन का राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों और विशेषकर कलकत्ता के समाचार-पत्रों में छपना जरूरी था ताकि अनेक कंपनियां टेन्डर भरने की स्थिति में होतीं और सरकार को प्रतियोगी भावों पर टाटपट्टियां मिल सकतीं. अभी भी सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो फिर न केवल वह राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में इस टेण्डर नोटिस को छपवाये वरन् इसकी समयावधि में भी दस-पन्द्रह दिन की वृद्धि की जाना नितान्त आवश्यक है.

आज जब इस बारे में शिक्षा मंत्री श्री हेतराम दुबे का ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने भी इस टेन्डर नोटिस के राष्ट्रीय पत्रों में छपने और अधिक समयावधि देने की आवश्यकता को स्वीकार किया.

अब देखना यह है कि सरकार इस संभावित भ्रष्टाचार को रोकेगी अथवा नहीं.

इस सूचना में एक असंगत बात यह है कि टेन्डर देने की अन्तिम तिथि १३ फरवरी को अपराह्न दो बजे निर्धारित है और टेन्डर १४ फरवरी को ग्यारह बजे खोले जायेंगे. ऐसी स्थिति में यदि टेण्डर देने से अन्तिम समय के एक घंट बाद ही उन्हें खोलने का समय निर्धारित किया जाता तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की आशंका नहीं की जा सकती. लाखों की खरीद से संबंधित टेन्डर खोलने में इस तथ्य को ध्यान में रखना ही होगा."

(ग) श्री आर. सचदेव, पार्टनर, पी. आर. एम. एण्ड कं. ग्वालियर (साक्ष्य क्रमांक ५) जिन्होंने टेन्डर (एक्जीबिट पी ५) प्रस्तुत किया था दिनांक १७ मई, १९६८ को टाटपट्टी खरीदी में धांधली के संबंध में जो पत्र भेजा है वह निम्न प्रकार है :

"निवेदन है कि टाटपट्टी प्रकरण में डी. पी. आई. जो माल आज ठेकेदार से ले रही है वह न तो नाप कर ली जा रही है न ही देख कर ली जा रही है. उपरोक्त प्रकरण में निम्न उदाहरण है:—

(१) यह कि अभी तक १७-५-६८ तक पूरी टाटपट्टी सप्लाई नहीं हुई है जब कि १५-३-६८ तक सप्लाई होनी थी और जो टाटपट्टी सप्लाई हो रही है वह कम सप्लाई हो रही है

वास्तविकता में टाटपट्टी नपवाने के लिये लगभग २० हजार गज के लिये २०० आदमी की आवश्यकता होती है. और उसके बिना टाटपट्टियां चुपचाप से ली जा रही हैं.

(२) जो टाटपट्टी ली जा रही हैं वह नमूने के अनुसार नहीं है. इसकी प्रमाणिकता टेक्निकल आदमी का मंजूर कराना व प्रमाणिकता होनी चाहिये और उसी पर ही पेमेन्ट दिया जाता हैं परन्तु डी. पी. आई. ऐसा न कर डी. एस. ई. को इसके लिये धमका कर माल चुपचाप प्रमाणित करा रही हैं.

(३) सारी मिशनरी डी. पी. आई. की ठेकेदार के तरफ घूम रही है इस हेतु श्री गोयल व अन्य यहां तक कि राव सा. भी कलकत्ता पार्टी के हितार्थ गये थे जो कि सुना है ग्रान्ड होटल में पार्टी के नाम से ठहरे थे.

(४) मिल ने जून जुलाई तक माल देने को कहा है यदि ऐसा ही था तो क्यों नहीं फिर टेन्डर बुलवाये गये ? क्यों उसी पार्टी को (हालांकि शिकायतें हो गई थीं) उसके बावजूद आर्डर दिया गया व मियाद बढ़ाई गई.

(५) डी. पी. आई. से शिकायत करने पर वह डराकर कहती हैं कि कमेटी के पास जाओ मेरा कुछ नहीं होने वाला है और भी जो मुझसे होगा मैं करूंगी माल जैसा होगा वह मेरी मर्जी है लूंगी.

(६) सरकारी नियमों के अनुसार टाईम पर सप्लाई या एक्सटेन्शन देने पर पेनाल्टी १० प्रतिशत लगती है वह ठेकेदार को छूट दी गई है इसके लिये आप ट्रायबल आई. जी. पी. वगैरह से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ट्रायबल ने अभी हाल ही में क्रय हुई स्लेटों पर पेनाल्टी ली है या नहीं ? और तो और डी. पी. आई. ने शिवपुरी के फर्मवाली की डिपाजिट सुना है सप्लाई न करने पर जप्त करली है फिर टाटपट्टी ठेकेदार की क्यों नहीं ? इस तरह से ऐसा सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया और ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है. यदि ऐसा था तो सभी नियम सभी के लिये लिखने थे."

भाग ३—समिति के लिये अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निर्धारित विचारणीय विषय

६. टाटपट्टी प्रकरण जांच समिति के अनुसंधान तथा जांच के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय विषय निश्चित किये गये :—

१. शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिये लगभग बीस लाख रुपयों के टाटपट्टी, श्यामपट (ब्लैक बोर्ड) बाल्टियां, आदि वस्तुओं का फरवरी-मार्च, १९६८ या उसके लगभग क्रय किया गया है इस खरीदी के लिये—

(१) नियमानुसार टेन्डर बुलाये गये थे क्या?

(२) टेन्डर नोटिस में प्राप्त किये जाने वाले टाटपट्टी इत्यादि के विषय में विवरण तथा शर्तें आवश्यकतानुसार ठीक थीं क्या?

(३) टेन्डर नोटिस उचित रीति से आवश्यक वर्तमान पत्रों में मध्यप्रदेश में तथा मध्यप्रदेश के बाहर प्रकाशित कर टेन्डर भेजने के लिये उचित समय दिया गया था क्या?

(४) टेन्डर स्वीकार या अस्वीकार करने में कोई पक्षपात तो नहीं किया गया? यदि किया गया हो तो क्या और उसका उत्तरदायी कौन है?

(५) टाटपट्टी इत्यादि का कब्जा लेने के पहिले उसकी जांच टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार की गई थी क्या? जांच किसने और किस प्रकार की तथा स्वीकृति किस प्रकार दी गई?

(६) प्राप्त टाटपट्टी इत्यादि आवश्यक विवरण (स्पेसिफिकेशन) तथा शर्तों के अनुसार ठीक थीं क्या? उसकी डिलेवरी यहां किसने ली और उसने क्या सब माल विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार ठीक पाया? यदि नहीं तो उस विषय पर क्या कार्यवाही की गई?

(७) नियमानुसार शासन की आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी क्या? उक्त रकम बैंक से निकालने में तथा उसकी चुकौती करने में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता, गैर कानूनी कार्य तथा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है?

(८) टाटपट्टी इत्यादि निश्चित समय के अन्दर प्राप्त हो गई क्या और यदि नहीं हुई तो टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही की गई?

२. उक्त खरीदी में विभागीय या दूसरे किसी शासकीय अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता, गैर कानूनी कार्यवाही, पक्षपात, भ्रष्टाचार या घोटाला किया गया है क्या और किया गया है तो क्या किया गया है और उसका उत्तरदायी कौन है?

३. उक्त खरीदी के संबंध में क्रयादेश देने या दिलाने में किसी विभागीय अधिकारी या दूसरे किसी शासकीय अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुचित रूप से स्वतः के लिये कोई वित्तीय या दूसरा लाभ प्राप्त किया गया है क्या और यदि किया गया है तो किस प्रकार व कितना?

४. उक्त खरीदी के संबंध में शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नुकसान हुआ है क्या और यदि हुआ है तो लगभग कितना? इस नुकसान का उत्तरदायित्व किसका है?

५. इस अनुसंधान व जांच के लिये समिति को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह--

(१) संबंधित शासकीय अधिकारियों तथा दिलचस्पी लेनेवाले दूसरे अन्य व्यक्तियों की साक्ष्य ले सकेगी;

(२) सम्बन्धित सब दस्तावेज, नस्तियां, इत्यादि प्राप्त कर सकेगी;

(३) क्रय किये गये टाटपट्टी, श्यामपट (ब्लैक बोर्ड) बाल्टियों इत्यादि के भण्डार (स्टाक) की जांच कर सकेगी; और

(४) उक्त जांच के लिये जो भी कार्यवाही वह आवश्यक समझे, कर सकेगी.

भाग ४—समिति की बैठक

७. मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल के समिति कक्ष में दिनांक १ अप्रैल, १९६८ को हुई प्रथम बैठक में समिति ने टाटपट्टी प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेख आदि चाहे वे सचिवालय में हों अथवा शिक्षा संचालनालय में हों, जहां भी हों, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर मंगा लेने का आदेश दिया. समिति ने निश्चय किया कि समिति की कार्यवाही गोपनीय रहेगी और उसकी बैठक में केवल जिम्मेदार व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे तथा समिति का प्रतिवेदन सर्वप्रथम अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायगा.

८. सचिव, शिक्षा विभाग तथा संचालक, लोक शिक्षण से समिति के उक्त आदेशानुसार निम्नलिखित नस्तियां तथा नमूने दिनांक ८ अप्रैल, १९६८ को विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुये:——

(क) सचिव, शिक्षा विभाग से प्राप्त——

(१) शिक्षा सचिवालय के नोट्स पृष्ठ १ से १४ तथा पत्र-व्यवहार पृष्ठ १ से १७ की नस्ती,

(२) शिक्षा सचिवालय के नोट्स पृष्ठ १ से ३८ तथा पत्र-व्यवहार पृष्ठ १ से १३ की नस्ती.

(ख) संचालक, लोक शिक्षण से प्राप्त——

(३) शिक्षा संचालनालय की मुख्य नस्ती, पृष्ठ १ से १२ टिप्पणियां तथा १ से १०० तक पत्र-व्यवहार,

(४) ग्यारह वैध टेन्डर्स की नस्ती,

(५) दस अवैध टेन्डर्स की नस्ती,

(६) क्रय के लिये स्वीकृत की गई टाटपट्टी का एक मीटर का नमूना (आर्टिकल १) तथा भोपाल संभाग को व्यापारी द्वारा भेजा गया एक मीटर का नमूने का टुकड़ा (आर्टिकल २),

(७) संचालक, लोक शिक्षण का प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिये टाटपट्टी एवं अन्य सामग्री के केन्द्रीय क्रय का संक्षिप्त विवरण,

(८) संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वर्ष १९६७-६८ में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल से क्रय की गई बाल्टियों व श्यामपटों का संक्षिप्त विवरण.

इसके अतिरिक्त दिनांक २२-४-६८ को संचालक, लोक शिक्षण से निम्नलिखित दो नस्तियां भी प्राप्त हुई :——

(१) शिक्षा सचिवालय की नस्ती पृष्ठ १ से १२ टिप्पणियां तथा १ से ९ पत्र-व्यवहार.

(२) शिक्षा सचिवालय की नस्ती पृष्ठ १ टिप्पणी, संचालक, लोक शिक्षण की रिपोर्ट पृष्ठ १ से ५ तथा छपी हुई इवेल्यूशन रिपोर्ट की प्रति.

९. समिति की कुल २२ बैठकें दिनांक १,१३,२३,२४ तथा २५ अप्रैल, १९६८, १५, १६, १७ तथा ३१ मई, १९६८, १, १०, ११ जून, १९६८, ४,२५,२६ तथा २७ जुलाई, १९६८, १२,१३,२८,२९, ३० और ३१ अगस्त, १९६८ को हुई. समिति ने दिनांक १३ जून, १९६८ से २३ जून, १९६८ तक ग्वालियर, रीवां, सीधी, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर तथा बालाघाट और दिनांक ६ और ७ जुलाई, १९६८ को

इन्दौर तथा उज्जैन का दौरा कर उक्त स्थानों में रखी हुई टाटपट्टियों, श्यामपट तथा बाल्टियों का निरीक्षण किया तथा वहां के शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों की साक्ष्य ली. समिति ने कुल २८ व्यक्तियों की साक्ष्य ली जिनके नाम तथा साक्ष्य का दिनांक एवं स्थान परिशिष्ट १ में दिये गये हैं.

१०. समिति द्वारा साक्ष्य के समय आवश्यक लेख्य, बिल्स, चालान, आदेश आदि एक्जीबिट्स पी-१ से ११७ तक तथा टाटपट्टी, श्यामपट तथा बाल्टियों के नमूने आर्टिकल १ से २६ तक प्राप्त किये गये थे. ये एक्जीबिट्स तथा उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से प्राप्त किया गया था उनके नाम परिशिष्ट २ और आर्टिकल्स का विवरण परिशिष्ट ३ में दिया गया है.

११. (क) चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य श्री रामानन्दसिंह, जिन्होंने सदन में टाटपट्टी तथा श्यामपट की खरीदी के संबंध में बड़ा भारी घोटाला होने के संबंध में आरोप लगाये थे, उनसे दिनांक १८ अप्रैल, १९६८ को प्रार्थना की गई थी कि इस विषय पर कोई जानकारी समिति को देना चाहते हों तो वे उसे लिखित रूप में भेज दें और यदि वे इस विषय में समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहते हों अथवा इस विषय की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की साक्ष्य समिति के समक्ष दिलवाना चाहते हों तो वैसी सूचना तुरन्त भेजें परन्तु उनसे इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये पहिले दिनांक ३१ मई, १९६८ को फिर १० जून, १९६८ को भोपाल में और तत्पश्चात् १५ जून, १९६८ को रीवा सर्किट हाउस में निवेदन किया था परन्तु वे समिति के समक्ष उक्त किसी भी तिथि को न तो साक्ष्य देने के लिये उपस्थित हुये और न इस विषय पर समिति को किसी प्रकार का उत्तर ही भेजा. समिति को खेद है कि श्री रामानन्दसिंह सदस्य, ने विधान सभा में इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाये हैं परन्तु वे आरोपों की पुष्टि हेतु या संबंधित विषयों के तथ्य समिति के समक्ष रखने के संबंध में समिति के निवेदन करने पर समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये नहीं आये तथा समिति की बार-बार प्रार्थना का उत्तर तक भी नहीं दिया.

(ख) श्री एस. एल. मारवाड़ी, सचिव, मध्यप्रदेश लघु टाटपट्टी निर्माता संघ द्वारा यूनाइटेड ट्रेडिंग एजेन्सी, भोपाल ने टाटपट्टी क्रय के संबंध में भ्रष्टाचार संबंधी कुछ गंभीर आरोप लगाकर दिनांक ४-३-६८ को एक पत्र संचालक, लोक शिक्षण को भेजा था व उसी आशय का एक पत्र इस समिति के तत्कालीन सभापति पं. कुंजीलाल दुबे को दिनांक ११-४-६८ को भेजा था. समिति ने इनकी साक्ष्य लेना उचित समझा और इसलिये उन्हें समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये दो बार रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये किन्तु समिति को इस बात का खेद है कि वे समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये उपस्थित नहीं हुये. एक पत्र के उत्तर में यूनाइटेड ट्रेडिंग कार्पोरेशन, भोपाल की ओर से सूचित किया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा दूसरा पत्र पोस्ट द्वारा यह लिखकर वापस किया गया कि इस पते पर नहीं है. इस कारण समिति उनके पत्रों की पुष्टि में तथ्य प्राप्त करने में असमर्थ रही.

(ग) दैनिक मध्यदेश समाचार पत्र, जो भोपाल से प्रकाशित होता है, के दिनांक १३ व २२ फरवरी और ४, ५ तथा १९ मार्च, की प्रतियों में टाटपट्टी खरीदी के संबंध में कुछ गंभीर आरोप लगाते हुये समाचार प्रकाशित हुये हैं. समिति ने इस पत्र के संपादक से इन समाचारों की पुष्टि में कुछ तथ्य प्राप्त करने के लिये इन्हें समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु दिनांक १०-६-६८, ४-७-६८ और २७-७-६८ को उपस्थित होने क लिये निवेदन किया किन्तु उनके प्रभारी संपादक की ओर से प्रथम दो तिथियों के विषय में सूचना प्राप्त हुई कि वे भोपाल से बाहर हैं और अभी तक लौटकर नहीं आये हैं. परन्तु दिनांक २७-७-६८ को वे न तो उपस्थित हुये और न इसके संबंध में कोई सूचना ही प्राप्त हुई. जनहित संबंधी विषयों पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वाले व्यक्ति यदि प्रकरण की जांच के समय उपस्थित होकर आरोपों की पुष्टि नहीं करते व ऐसी समिति को प्रकरण की जांच के लिये सहायता नहीं करना चाहते तो यह एक अत्यन्त खेद व आपत्ति का विषय है. उनका यह आचरण जनहित के विरुद्ध है.

१२. दिनांक २८, २९, ३० और ३१ अगस्त, १९६८ को हुई बैठकों में समिति ने प्रतिवेदन पर विचार कर अंतिम रूप देकर उसे अंगीकृत किया तथा अध्यक्ष महोदय को उसे प्रस्तुत करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया.

१३. इस प्रकरण की जांच करने हेतु अध्यक्ष ने समिति की नियुक्ति के समय अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये निदेश दिया था. समिति ने इस प्रकरण की गम्भीरता व महत्व को देखते हुये न्यायिक कार्यप्रणाली अपनाना उचित समझा.

एलीबैंक के लार्ड मुरे के विरुद्ध पब्लिक प्रेस में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये एक प्रवर समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव हाउस आफ लार्ड्स में प्रस्तुत करते समय मार्क्विस आफ लैन्संडान ने प्रवर समिति के विषय में अपने भाषण में निम्न प्रकार कहा था :—

"The Committee should be small in number and composed as judicially as possible and with the understanding that its proceedings would be conducted in a judicial spirit."

"the methods of the Committee should be as judicial as possible; and that its investigation should be carried on in a wholly judicial spirit."

(Page 412—414 Parliamentary Debates Lords 1914 Vol. 15)

समिति ने इसी संकेत से अपना मार्गदर्शन लिया है, व इस प्रकरण में समिति ने न्यायिक कार्यप्रणाली अपनाते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से ही तथ्यों के संबंध में विवेचन किया है व विषयों पर निष्कर्ष अंकित किया है.

१४. समिति शासन के उन सब अधिकारियों को तथा अशासकीय व्यक्तियों को जो समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये उपस्थित हुये धन्यवाद देती है. समिति के भिन्न-भिन्न स्थानों के दौरे के समय संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समिति के कार्य में सहयोग दिया व कार्य संपादन में सुविधायें दीं उन सबको समिति धन्यवाद देती है.

१५. समिति इस अवसर पर समिति के सचिव, श्री रामचन्द्र कन्हाई, अवर सचिव की सेवाओं का उल्लेख करना आवश्यक समझती है. इन्होंने इस प्रकरण से संबंधित प्राप्त विशाल लेख्य-संग्रहों एवं साक्ष्य का अध्ययन कर जिस परिश्रम एवं कार्यकुशलता से अनुवीक्षण किया तथा इस प्रतिवेदन का प्रारूप अल्प समय में तैयार किया है वह प्रशंसनीय है. उन्हीं की कर्त्तव्यदक्षता तथा प्रयास के परिणामस्वरूप समिति द्वारा अपने अल्प समय का पूर्णरूपेण सदुपयोग किया जा सका तथा उनके परिश्रम, समिति को अपना विषम कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने में अमूल्य सिद्ध हुये हैं. श्री नरेन्द्रसिंह, अधीक्षक तथा श्री अम्बाशंकर त्रिवेदी, प्रतिवेदक को भी रविवार तथा अन्य शासकीय छुट्टियों में तथा रात में देर तक बैठकर कार्य का भारी भार वहन करना पड़ा. जिस कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा से इन्होंने कार्य किया वह प्रशंसनीय है.

भाग ५—प्रकरण के तथ्य

१६. संचालक, लोक शिक्षण तथा शिक्षा विभाग से प्राप्त लेख्य-संग्रह तथा संचालक, लोक शिक्षण द्वारा लिखित टिप्पणी के आधार पर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

नवम्बर, १९६७ में पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान तैयार करते समय संचालक, लोक शिक्षण को ज्ञात हुआ कि १९६७-६८ की योजना के स्वीकृत पदों के रिक्त रहने तथा कतिपय नवीन पदों के स्वीकृत न होने के कारण लगभग ३९ लाख रुपयों की बचत होगी. इस बचत का सदुपयोग करने हेतु संचालक, लोक शिक्षण ने शासन को प्रस्ताव कर निवेदन किया कि प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को १२ लाख रुपयों की टाटपट्टियां तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जायं. दिनांक ५ जनवरी १९६८ को वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा उप-सचिव तथा संचालक, लोक शिक्षण की बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षा विभाग की ३९ लाख रुपये की बचत में से शिक्षा संचालनालय को २० लाख रुपये प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं को टाटपट्टी, श्यामपट तथा बाल्टियां आदि के क्रय हेतु उपलब्ध कराये जायं. बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि इन २० लाख रुपयों में से १६ प्रतिशत अर्थात् ३.२० लाख रुपये आदिम जाति हरिजन विभाग को उनके द्वारा संचालित शालाओं में टाटपट्टियां देने हेतु प्रदान किया जाय. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ७४२-चार-बी-तीन-६८, दिनांक २ फरवरी १९६८ जो कि सचिव, शिक्षा विभाग को संबोधित था, द्वारा ३२ लाख रुपये आकस्मिक निधि में से निकालने की स्वीकृति दी गई थी जिसमें २० लाख रुपये टाटपट्टी खरीदी के लिये थे. शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्र. १५८-२७५-बीस-तीन-६८, दिनांक २ फरवरी, १९६८ द्वारा संचालक, लोक शिक्षण को सूचित कर दिया गया था कि टाटपट्टी, बाल्टियां और श्यामपट इत्यादि के क्रय की कार्यवाही समय पर करने के लिये उनके दिनांक २९ जनवरी, १९६८ की टिप्पणी के प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा उसकी औपचारिक स्वीकृति शीघ्र भेजी जायगी. शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक ३१६-२८३-२०-तीन-६८, दिनांक ६ मार्च, १९६८ द्वारा १६ लाख ८० हजार रुपये टाटपट्टी, श्यामपट तथा बाल्टियां इत्यादि की खरीदी के लिये संचालक, लोक शिक्षण को स्वीकृति प्राप्त हुई.

१७. सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय, महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के ज्ञापन क्रमांक डी-ए-३३-पन्ना-१४३३, दिनांक ८ सितम्बर, १९६८ में अनियमितताओं को दूर करने तथा कम मूल्य में अच्छी सामग्री क्रय करने के उद्देश्य से यह सूचित किया गया था कि इस प्रकार की सामग्री को केन्द्रीय रूप से संचालनालय स्तर पर क्रय किया जाय इसलिये शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक २२८-२७५-बीस-तीन-६८, दिनांक २१ फरवरी, १९६८, जो संचालक, लोक शिक्षण को संबोधित है, के द्वारा, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये संचालनालय स्तर पर समस्त साज-सज्जा क्रय करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया :—

(१) सचिव, शिक्षा विभाग या उनका प्रतिनिधि,

(२) सचिव, वित्त विभाग या उनका प्रतिनिधि,

(३) संचालक, लोक शिक्षण.

इस ज्ञापन में समिति को शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये कार्य करने तथा इस प्रकार के क्रय के लिये आवश्यक सभी औपचारिकताओं का पालन करने के आदेश हैं.

१८. संचालक, लोक शिक्षण के ज्ञापन क्रमांक स्टेनो-डी.-पी.-आई.-६८-५७०, दिनांक १ फरवरी, १९६८ द्वारा सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय को एक टेन्डर नोटिस क्रमांक १ सन् १९६८ हिन्दी तथा अंग्रेजी में स्थानीय तथा अखिल भारतीय महत्वपूर्ण पत्रों में कम से कम दो बार लगातार उसे निकालने के लिये भेजा गया तथा उनसे प्रार्थना की गई कि इस टेन्डर नोटिस का अधिक से अधिक विज्ञापन दिया जाय. टेन्डर नोटिस निम्न प्रकार थी :--

"कार्यालय, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

टेण्डर नोटिस क्र. १, वर्ष १९६८

संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निम्नांकित विवरण की टाटपट्टियां क्रय करने हेतु टाटपट्टियों के निर्माताओं, उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा सुस्थापित व्यापारियों से दोहरे लिफाफे में मुहरबन्द टेंडर्स आमंत्रित किये जाते हैं :--

वस्तु का विवरण	अनुमानित मात्रा
(१)	(२)
अच्छी किस्म की टाटपट्टी २० मीटर के टुकड़ों में (चौड़ाई १८ इंच) (शालाओं के उपयोग के लिये)	६.५ लाख मीटर (साढे छः लाख मीटर)

(२) टेण्डर्स, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जावें ताकि वे दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को २ बजे अपरान्ह तक अथवा उसके पूर्व प्राप्त हो सकें. प्रत्येक टेण्डर लिफाफे के ऊपर टेण्डर क्रमांक १, वर्ष १९६८ अंकित होना चाहिये.

(३) निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा.

(४) प्रत्येक टेण्डर के साथ निम्नांकित भेजना अनिवार्य होगा :--

(अ) प्रदाय की जाने वाली टाटपट्टी का नमूना.

(आ) अर्नेस्ट मनी (बयाने की राशि)---१०,००० रु. (दस हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी शेड्यूल बैंक के काल डिपाजिट रसीद के रूप में जो कि संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम में प्राप्त किया गया हो. अर्नेस्ट मनी किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा.

(५) सभी टेण्डर संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय में दिनांक १४ फरवरी, १९६८ को ११ बजे खोले जावेंगे. टेण्डरों के प्रस्तुतकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि यदि चाहें तो टेण्डरों के खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं.

(६) जो टेण्डर स्वीकार किये जावेंगे उनके प्रस्तुतकर्त्ताओं को आर्डर की कुल राशि की ५ प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में आर्डर दिये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी. यदि जमानत की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा न की गई तो आर्डर स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा.

(७) टाटपट्टियां रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, रीवां, होशंगाबाद, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल स्थानों पर अथवा आर्डर में निर्देशित स्थानों पर भेजनी होंगी. टेण्डर में दी गई दरों में सभी कर (टैक्स) तथा एफ. ओ. आर. स्टोर डिलीवरी का व्यय सम्मिलित होना चाहिये.

(८) किसी भी कोटेशन अथवा तुलनात्मक चार्ट अथवा टेण्डर से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी रूप में किसी को नहीं दी जावेगी और न इस संबंध में कोई प्रार्थना ही स्वीकार की जावेगी.

(९) अधो हस्ताक्षरकर्त्ता को किसी भी अथवा सभी टेण्डरों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा.

(१०) संपूर्ण सामग्री आर्डर में निर्देशित स्थानों पर दिनांक १५ मार्च, १९६८ के पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिये. यदि इस दिनांक तक सम्पूर्ण सामग्री अभीष्ट स्थानों पर प्राप्त नहीं होती है तो अर्नेस्ट मनी तथा जमानत की राशि जब्त हो जावेगी.

(११) सामग्री के प्रदायकों से प्राप्त बिलों का भुगतान संबंधित अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण प्राप्त होने पर ही किया जावेगा कि आर्डर की समस्त सामग्री ठीक हालत में उन्हें प्राप्त हो गई है.

(१२) इस कार्यालय के टेण्डर नोटिस क्रमांक १, वर्ष १९६८ के संदर्भ में जितने भी टेण्डर प्राप्त होंगे उन सभी पर उपरोक्त शर्तें लागू होंगी.

एफ. चौधरी,

संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल."

१९. सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक १२६-६८, दिनांक १ फरवरी १९६८ द्वारा यह टेन्डर नोटिस निम्नलिखित पत्रों के विज्ञापन व्यवस्थापकों को उनके आगामी अंक में एक बार प्रकाशनार्थ भेजा गया. इस ज्ञापन की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण को दिनांक १ फरवरी १९६८ को पृष्ठांकन द्वारा प्राप्त हुई.

	समाचारपत्र का नाम	प्रकाशन का दिनांक
	(१)	(२)
(१)	हितवाद, भोपाल	३-२-६८
(२)	क्रानिकल, भोपाल	३-२-६८
(३)	नई दुनिया, इन्दौर	..
(४)	जागरण, इन्दौर	४-२-६८
(५)	नवभारत, जबलपुर	४-२-६८
(६)	युगधर्म, जबलपुर	७-२-६८
(७)	फायनेंशल एक्सप्रेस, बम्बई ..	७-२-६८
(८)	इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली ..	८-२-६८
(९)	हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, कलकत्ता ..	६-२-६८
(१०)	पायनियर, लखनऊ	७-२-६८

उक्त समाचारपत्रों के एक अंक में यह टेन्डर नोटिस जिस दिनांक को प्रकाशित हुआ है वह उन समाचारपत्रों के आगे स्तम्भ (२) में दिया गया है.

२०. उक्त टेन्डर नोटिस की शर्त २ के अनुसार टाटपट्टियों के कोटेशन शिक्षा संचालनालय में दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को २ बजे दिन तक आमंत्रित किये गये थे. इस दिनांक व समय तक कुल २१ टेन्डर्स संचालनालय, लोक शिक्षण में प्राप्त हुए. टेन्डरर्स के नाम व पते, टेन्डर का दिनांक, टेन्डर प्राप्ति का दिनांक व समय तथा टेन्डर पोस्ट से या अन्यथा प्राप्त हुआ इसका विवरण परिशिष्ट ४ में दिया गया है. इन टेन्डर्स को दिनांक १४ फरवरी, १९६८ को दिन को ११ बजे संचालक द्वारा इस हेतु गठित निम्नांकित अधिकारियों की समिति के द्वारा संचालक, लोक शिक्षण के समक्ष खोला गया :—

(१) श्री एस. आर. चतुर्वेदी, विज्ञान परामर्शदाता.

(२) श्री म. च. दुबे, उपसंचालक, लोक शिक्षण.

(३) श्री बी. पी. श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण

प्रत्येक टेन्डर में दी गई दरें टेन्डर्स के सभी प्रतिनिधियों को पढ़कर सुनाई गई तथा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिये गये. कोटेशन्स की जांच करने के उपरान्त परिशिष्ट ४ में दी गई सूची में से क्रमांक १, ६, ७, ८, १०, १३, १४, १५, १६, १७ तथा २१ पर उल्लिखित ग्यारह टेन्डर्स वैध (valid) माने गये तथा शेष १० टेन्डर्स टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार न होने के कारण निरस्त (reject) किये गये.

२१. शासन द्वारा गठित केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक १६-२-६८ की बैठक में तुलनात्मक चार्ट के साथ टेन्डरर्स द्वारा प्रस्तुत टाटपट्टियों के नमूने प्रस्तुत किये गये. जिन १० टेन्डर्स को निरस्त किया गया था उनका विवरण भी क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा क्रय समिति ने उसका अनुमोदन किया. विभिन्न टेन्डरों में दी गई दरों तथा उनके साथ प्रस्तुत नमूने के निरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय क्रय समिति ने श्री राजकिशन गुप्ता देहली दरवाजा १३ छत्ता गाजियाबाद का कोटेशन स्वीकार किया क्योंकि क्रय समिति की राय में इनके द्वारा दी गई १ रु. ३५ पैसे प्रति मीटर की दर सब वैध टेन्डर्स में दी गई दरों में सबसे कम थी तथा इनकी टाटपट्टी का नमूना भी सन्तोषजनक पाया गया था. केन्द्रीय क्रय समिति ने यह भी निश्चय किया कि स्कूलों के लिए टाटपट्टियों की अनिवार्य आवश्यकता तथा उपलब्ध समय को दृष्टिगत रखते हुए उपलभ्य आवंटन राशि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है यदि ९ शिक्षा संभागों में टाटपट्टी भेजने में लगने वाला समय बच सके तथा इसके लिए विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को फर्म के गोदाम / फैक्टरी में भेजकर ९ शिक्षा संभागों में माल बुक कराने के पूर्व नमूने की सहायता से उसकी जांच करा ली जाय, प्रदाय की जाने वाली सामग्री अधिकार में ले ली जाय और उसे ९ संभागों के लिए भिजवा दिया जाय किन्तु शर्त यह होगी कि फर्म को टेन्डर में दी गई शर्त के अनुसार ९ शिक्षा संभागों में माल की डिलीवरी का खर्च वहन करना होगा. इस प्रकार माल का अधिकार लेने के पूर्व भुगतान करने सम्बन्धी आपत्ति की पूर्ति हो जायेगी. केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक १६-२-६८ की कार्यवाही की प्रतिलिपि परिशिष्ट ५ में दी गई है.

२२. दिनांक १७-२-६८ को संचालक, लोक शिक्षण ने अपने पत्र क्रमांक स्टेनो-डी. पी. आई. ६८-८४२ द्वारा श्री राजकिशन गुप्ता जो उस दिन उनके संचालनालय में उपस्थित थे, को सूचित किया कि टेन्डर नोटिस क्रमांक १ सन् १९६८ के अनुसार उनका टेन्डर स्वीकृत किया गया है इसलिए टेन्डर नोटिस में दी गई शर्तों के अनुसार ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी नियत दिनांक के अन्दर प्रदाय कर दें तथा उसके लिए करारनामा भी लिख दें. करारनामा लिखने के पश्चात् उन्हें मध्यप्रदेश के ९ संभागीय मुख्यालयों में कितनी कितनी टाटपट्टी भेजना है यह सूचित किया जायेगा.

२३. दिनांक २८-२-६८ को श्री राजकिशन गुप्ता तथा संचालक, लोक शिक्षण में इस प्रदाय के विषय में डेढ़ रुपये के स्टाम्प पर करारनामा लिखा गया. इस करारनामे की प्रतिलिपि परिशिष्ट ८ में दी गई है.

२४. ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी क्रय करने का आदेश—टेन्डर नोटिस बनाते समय शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि स्वी त राशि से ६।। लाख मीटर से अधिक टाटपट्टी क्रय नहीं की जा सकेगी. केन्द्रीय क्रय हेतु जो कोटेशन्स स्वीकृत किया गया था वह सबसे नीची दर रु. १.३५ पैसे का था जिससे ६।। लाख मीटर टाटपट्टी का मूल्य केवल ८ लाख ७७ हजार पांच सौ रुपये ही होता था. चूंकि जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग १७ लाख मीटर टाटपट्टी की आवश्यकता थी अतएव यह निर्णय लिया गया कि यदि श्री राजकिशन गुप्ता द्वारा अधिक टाटपट्टी प्रदाय की जा सकती है तो शेष राशि का भी उपयोग इसके लिये किया जाय. इसके लिये श्री राजकिशन गुप्ता से पूछा गया और उन्होंने अपने दिनांक ४ मार्च, १९६८ के पत्र में सहमति प्रकट की और इसलिये उन्हें ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी प्रदाय करने के लिये संचालक, लोक शिक्षण के ज्ञापन क्रमांक स्टेनो-डी. पी. आई.-६८-१२२७, दिनांक १८ मार्च, १९६८ द्वारा टेन्डर नोटिस क्रमांक १ सन् १९६८ में दी गई शर्तों के अनुसार दिनांक ३१ मार्च, १९६८ तक प्रदाय करने के लिये आदेश दिये गये.

२५. संचालक, लोक शिक्षण के ज्ञाप्न क्रमांक स्टेनो-डी. पी. आई.-६८-११०९, दिनांक ७ मार्च, १९६८ द्वारा श्री राजकिशन गुप्ता को निम्नलिखित ९ संभागों में उनके सामने स्तम्भ (२) में दी गई मात्रा में टाटपट्टी प्रदाय करने के आदेश दिये गये तथा उनके ज्ञापन क्रमांक स्टेनो-डी. पी. आई.-६८-१२२७, दिनांक १८ मार्च, १९६८ द्वारा इन्हीं ९ संभागों में उनके सामने स्तम्भ (३) में दी गई टाटपट्टी की अतिरिक्त मात्रा प्रदाय करने के आदेश भी दिये गये :—

संभाग का नाम	टाटपट्टी की मात्रा (मीटरों में)	अतिरिक्त टाटपट्टी की मात्रा (मीटरों में)
(१)	(२)	(३)
१. रायपुर	१,००,०००	१०,०००
२. बिलासपुर	४५,०००	३५,०००
३. जबलपुर	४५,०००	३५,०००
४. नर्बदा (होशंगाबाद)	५०,०००	५०,०००
५. ग्वालियर	१,००,०००	१,३०,०००
६. इन्दौर	५०,०००	३०,०००
७. उज्जैन	८०,०००	९५,०००
८. रीवा	१,००,०००	८५,०००
९. भोपाल	८०,०००	६०,०००
कुल योग ..	६,५०,०००	५,००,०००

उक्त आदेशों द्वारा यह भी सूचित किया गया कि टाटपट्टी प्रदाय के देयकों की दो प्रतियां संबंधित संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को सत्यापन के लिये तथा दो प्रतियां संचालक, लोक शिक्षण को चुकौती के लिये भेजी जायं.

भाग ६--विचारणीय विषयों पर जांच व चर्चा

२६. विचारणीय विषय क्रमांक १ (१)--नियमानुसार टेन्डर बुलाये गये थे क्या ?

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक १५३२२-५१४०-२०-बी, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६७ में निर्देश दिये गये हैं कि जब कभी किसी राज्य शासन के किसी अधिकारी को इस आदेश में दी गई सूची में से कोई चीज खरीदनी हो और यदि वे चीजें मध्यप्रदेश राजकीय उद्योग निगम या मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम या उद्योग विभाग द्वारा बनाई जाती हों तो उन्हीं से ही खरीद करनी चाहिये. चूंकि टाटपट्टियों का नाम आदेश के साथ संलग्न सूची में नहीं था इसलिये टाटपट्टियों का प्रदाय उक्त निगमों या उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता था. अतः मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड के नियम ११७ के साथ पठित परिशिष्ट ५ की प्रविष्टि २४ के अधीन टेन्डर आमंत्रित करना अनिवार्य था. ६।। लाख मीटर टाटपट्टी के क्रय के लिये टेन्डर बुलाये गये. संचालक, लोक शिक्षण के कथन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार भिन्न-भिन्न जिलों के लिये १७ लाख मीटर टाटपट्टियों की आवश्यकता थी. विगत वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्रय की गई टाटपट्टियों की दरों को ध्यान में रखते हुए इसकी अंदाजन दर २ रु. २५ पैसे प्रति मीटर मानकर टाटपट्टी, श्यामपट तथा बाल्टियों की खरीद के लिये स्वीकृत की गई १६ लाख ८० हजार रुपयों की राशि में केवल ६।। लाख मीटर टाटपट्टी खरीद सकने का अनुमान लगाया गया तथा उसके अनुसार टेन्डर नोटिस निकाला गया. इस अनुमान में इसका ध्यान नहीं रखा गया कि जिला अधिकारियों द्वारा अलग-अलग खरीदी गई टाटपट्टीबहुत कम मात्रा में रहती थीं तथा वहां के या आसपास के स्थानीय छोटे व्यापारियों द्वारा ही प्रदाय किया जाता था. बहुत बड़ी मात्रा में तथा केन्द्रीय रूप से क्रय किये जाने से विस्तृत रूप से प्रकाशन के कारण बड़े-बड़े व्यापारियों, मिलों या उनके एजेन्टों द्वारा ठीक दरों से प्रदाय किया जाता है जिससे छोटे तथा स्थानीय व्यापारियों की दरों की तुलना में इनकी दर कम रहने की संभावना रहती है. संचालक, लोक शिक्षण की टिप्पणी में भी दिया गया है कि "अभी तक टाटपट्टियां तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अन्य साज-सज्जा जिला स्तर पर ही जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्रय की जाती थी. ऐसी अनेक शिकायतें विभाग में प्राप्त होती थीं. कि जिन मूल्यों पर ये सामग्री क्रय की जाती थीं वे सामान्य मूल्यों से अधिकांश रूप में अधिक होते थे तथा जो सामग्री उपलब्ध होती थी वह भी उतने अच्छे स्तर की नहीं होती थी. क्रय की इस प्रक्रिया के संबंध में अनेकों बार महालेखापाल द्वारा भी विभाग को यह सुझाव दिया गया कि जिला अथवा अन्य छोटे स्तरों पर क्रय होने वाली वस्तुओं में अनियमितताओं को दूर करने तथा कम मूल्य में अच्छी सामग्री क्रय करने के उद्देश्य से यह उचित होगा कि इस प्रकार की सामग्री को केन्द्रीय रूप से संचालनालय स्तर पर क्रय किया जाय" इससे स्पष्ट है कि जिस सिद्धान्त के लिये केन्द्रीय रूप से क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था उसे भूलकर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्रय किय गये मूल्यों को ध्यान में रखते हुए केवल ६।। लाख मीटर की ही खरीद का टेन्डर नोटिस निकालना बड़ी भारी गलती थी जिसके फलस्वरूप एक तो दरों में अधिक कमी नहीं हुई और उसी दर पर ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी की खरीद के आदेश उसी टेन्डरदाता को दिये गये. यदि पहिले से ही ११।। लाख मीटर खरीद के लिये टेन्डर नोटिस निकाला गया होता तो ६।। लाख मीटर टेन्डर के नोटिस के फलस्वरूप प्राप्त दरों से भी कम दर के टेन्डर आना संभव था. समिति के समक्ष जो अन्य व्यापारियों ने साक्ष्य दी है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अधिक से अधिक माल का टेन्डर नोटिस मंगाया जाता तो माल की दरों में कमी आती. यह बात व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक है. यदि ११।। लाख मीटर खरीद के लिये कुछ शंका थी तो टेन्डर नोटिस में यह भी लिखा जा सकता था कि लगभग ६।। लाख मीटर से ११।। लाख मीटर खरीद के टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं और उसके फलस्वरूप ६।। लाख मीटर से अधिक ११।। लाख मीटर तक किसी भी मात्रा में माल खरीद किया जा सकता था. इससे दूसरे व्यापारियों को न तो कोई आपत्ति करने का प्रसंग आता और न दिनांक १७ फरवरी, १९६८ को ६।। लाख मीटर की खरीद के आदेश के पश्चात् ही दिनांक २० फरवरी, १९६८ से ही ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी के खरीद की कार्यवाही बिना दूसरा टेन्डर प्रकाशित किये, करने की आवश्यकता पड़ती.

२७. दिनांक १४ फरवरी, १९६८ को टेन्डर खोलने के पश्चात् श्री राजकिशन गुप्ता का टेन्डर, जो १ रुपये ३५ पैसे के हिसाब से था, स्वीकृत करने का प्रस्ताव था. ऐसी दशा में संचालक, लोक शिक्षण के समक्ष यह स्पष्ट कल्पना थी कि टेन्डर नोटिस में ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी की जो मात्रा प्रस्तावित की गई थी, उसकी कीमत रुपये ८,७७,५०० हो रही थी. टाटपट्टी के लिये जो स्वीकृत रकम थी उसमें ८,७७,५०० रुपये घटाने के पश्चात ६,७५,००० रुपये शेष रहते थे तथा विभिन्न संभागों से टाटपट्टी की मांग १७ लाख मीटर थी जिसके अनुसार ११ लाख मीटर की और आवश्यकता थी. उन्होंने दिनांक १७ फरवरी, १९६८ को अपने आदेश द्वारा श्री राजकिशन गुप्ता से पूछताछ भी की थी कि क्या वे ७॥ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी प्रदाय कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में समिति का मत है कि जब संचालक, लोक शिक्षण के समक्ष दिनांक १४-२-६८ को स्थिति स्पष्ट थी तो उन्हें आवश्यक था कि इस अतिरिक्त टाटपट्टी के लिये टेन्डर मंगातीं या अन्य व्यापारियों से, जिन्होंने टेन्डर प्रस्तुत किये थे, बातचीत करतीं. टेन्डर नोटिस में प्रस्तावित ६॥ लाख से अधिक ७॥ लाख मीटर के लिये जब संचालक, लोक शिक्षण प्रस्ताव कर रही थीं तो समिति का मत है कि इतनी बड़ी मात्रा के लिये फिर से टेन्डर मंगाना आवश्यक था किन्तु ऐसा न करके उसी व्यक्ति को अतिरिक्त टाटपट्टी का आदेश देना अनुचित था. यहां समिति इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक समझती है कि जो धनराशि टाटपट्टी के लिये स्वीकृत हुई थी उसका उपयोग यदि ३१ मार्च, १९६८ के पूर्व किया जाना था तो ७॥ लाख मीटर के लिये नवीन टेन्डर नोटिस प्रकाशित किया जाता तथा पूर्व के अनुसार ३१ मार्च तक इसके प्रदाय का आदेश दिया जाता. इस प्रकार ३१ मार्च के पूर्व इसका उपयोग हो सकता था.

२८. इससे स्पष्ट है कि टेन्डर आमंत्रित करने की प्रक्रिया नाम मात्र के लिये ही अपनाई गई थी और उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण व उससे होने वाले लाभ का बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया. टेन्डर नोटिस प्रकाशित होने पर व्यावहारिक दृष्टि से इतना कम समय था कि जिससे अपेक्षित व्यापारी इत्यादि से टेण्डर नहीं प्राप्त हो सकते थे. इस विषय पर इस प्रतिवेदन की आगे की कण्डिकाओं में प्रकाश डाला गया है.

२९. उक्त कारणों से विचारणीय विषय क्रमांक १ (१) का उत्तर यह है कि नियमानुसार टेण्डर नहीं मंगाये गये थे.

३०. विचारणीय विषय क्रमांक १ (२)—टेण्डर नोटिस में प्राप्त किये जाने वाले टाटपट्टी इत्यादि के विषय में विवरण तथा शर्तें आवश्यकतानुसार ठीक थीं क्या ?

संचालक, लोक शिक्षण द्वारा टाटपट्टी क्रय करने के लिये टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ प्रकाशित करवाया गया जिसमें टाटपट्टियां क्रय करने हेतु विवरण तथा शर्तें दी गई हैं. यह टेन्डर नोटिस निम्न प्रकार है :—

"टेन्डर नोटिस क्र. १, वर्ष १९६८.

संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निम्नांकित विवरण की टाटपट्टियां क्रय करने हेतु टाटपट्टियों के निर्माताओं, उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा संस्थापित व्यापारियों से दोहरे लिफाफे में मुहरबन्द टेण्डर्स आमंत्रित किये जाते हैं :—

वस्तु का विवरण (१)	अनुमानित मात्रा (२)
अच्छी किस्म की टाटपट्टी २० मीटर के टुकड़ों में (चौड़ाई १८") (शालाओं के उपयोग के लिये).	६.५ लाख मीटर (साढ़े छः लाख मीटर)

(२) टेण्डर्स, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किए जावें ताकि वे दिनांक १३ फरवरी, १९६८ के २ बजे अपराह्न तक अथवा उसके पूर्व प्राप्त हो सकें. प्रत्येक टेण्डर लिफाफे के ऊपर टेण्डर क्रमांक १, वर्ष १९६८ अंकित होना चाहिये.

(३) निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा.

(४) प्रत्येक टेण्डर के साथ निम्नांकित भेजना अनिवार्य होगा :—

(अ) प्रदाय की जाने वाली टाटपट्टी का नमूना.

(आ) अर्नेस्ट मनी (बयाने की राशि) १०,००० रुपये (दस हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी शेड्यूल बैंक के काल डिपाजिट रसीद के रूप में जो कि संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम में प्राप्त किया गया हो. अर्नेस्ट मनी किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा.

(५) सभी टेन्डर संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय में दिनांक १४ फरवरी, १९६८ को ११ बजे खोले जावेंगे. टेन्डरों के प्रस्तुतकर्त्ता अथवा उनके प्रतिनिधि यदि चाहें तो टेन्डरों के खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं.

(६) जो टेण्डर स्वीकार किये जावेंगे उनके प्रस्तुतकर्ताओं को आर्डर की कुल राशि को ५ प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में आर्डर दिए जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी. यदि जमानत की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा न की गई तो आर्डर स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा.

(७) टाटपट्टियां रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, रीवां, होशंगाबाद, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल स्थानों पर अथवा आर्डर में निर्देशित स्थानों पर भेजनी होगी. टेण्डर में दी गई दरों में सभी कर (टैक्स) तथा एफ.ओ. आर. स्टोर डिलीवरी का व्यय सम्मिलित होना चाहिये.

(८) किसी भी क्वोटेशन अथवा तुलनात्मक चार्ट अथवा टेण्डर से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी रूप में किसी को नहीं दी जावेगी और न इस संबंध में कोई प्रार्थना ही स्वीकार की जावेगी.

(९) अधो हस्ताक्षरकर्त्ता को किसी भी अथवा सभी टेण्डरों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा.

(१०) सम्पूर्ण सामग्री आर्डर में निर्देशित स्थानों पर दिनांक १५ मार्च, १९६८ के पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिय. यदि इस दिनांक तक संपूर्ण सामग्री अभीष्ट स्थानों पर प्राप्त नहीं होती है तो अर्नेस्ट मनी तथा जमानत की राशि जब्त हो जावेगी.

(११) सामग्री के प्रदायकों से प्राप्त बिलों को भुगतान संबंधी अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण प्राप्त होने पर ही किया जायगा कि आर्डर की समस्त सामग्री ठीक हालत में उन्हें प्राप्त हो गई है.

(१२) इस कार्यालय के टेण्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ के संदर्भ में जितने भी टेण्डर प्राप्त होंगे उन सभी पर उपरोक्त शर्तें लागू होंगी.

एफ. चौधरी
संचालक, लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश, भोपाल."

३१. उक्त टेन्डर नोटिस में वस्तु के विवरण में केवल "अच्छे किस्म की टाटपट्टी" लिखा गया है. केवल "अच्छे किस्म की" इन शब्दों के प्रयोग से वस्तु के गुण वर्णन तथा प्रकार का कतई बोध नहीं होता है. वस्तु का मूल्य केवल रुपयों की संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है. टाटपट्टी किस प्रकार के सन या जूट की होगी, उसका वजन कितना रहेगा आदि आवश्यक बातों का वर्णन निविदा सूचनापत्र में दिया जाना आवश्यक था. इसमें यह भी दिया जाना अत्यन्त आवश्यक था कि टाटपट्टी किस वस्तु की बनाई हुई होनी चाहिये क्योंकि टाटपट्टियां सन, सुतली, जूट, नारियल जटा इत्यादि से बनती हैं. यह भी अत्यन्त आवश्यक था कि टाटपट्टी के एक मीटर लम्बे और १८ इंच चौड़े टुकड़े का वजन भी दर्शाया जाता क्योंकि उसके वजन एवं बुनाई पर ही टाटपट्टी का अच्छी या बुरी किस्म का होना निर्भर करता है.

३२. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने अपनी साक्ष्य में समिति को बतलाया था कि "टेन्डर नोटिस में वजन जानबूझकर नहीं दिया गया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई". समिति इससे बिलकुल सहमत नहीं है तथा समिति का मत है कि वजन न देना ही भ्रष्टाचार के लिये रास्ता खुला रखना है.

३३. संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से १३ फरवरी, १९६८ के २ बजे अपराह्न तक टेन्डर भेजे जाने की जो शर्त रखी गई है वह समय अत्यन्त अपर्याप्त है. यह टेन्डर नोटिस भोपाल से प्रकाशित होनेवाले हितवाद व क्रानिकल में ३ फरवरी, १९६८ को, जागरण इन्दौर तथा नवभारत जबलपुर में ४ फरवरी, १९६८ को हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड कलकत्ता में ६ फरवरी, १९६८ को, युगधर्म जबलपुर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस बम्बई, पायनियर लखनऊ में ७ फरवरी, १९६८ को, तथा इन्डियन एक्सप्रेस दिल्ली में ८ फरवरी, १९६८ को प्रकाशित हुआ था. टेन्डर नोटिस के उक्त प्रकाशन को देखते हुए दिनांक १३ फरवरी, १९६८ तक की अवधि बहुत ही कम थी. इस टेन्डर नोटिस के अनुसार प्रदाय की जाने वाली टाटपट्टी का नमूना या अर्नेस्ट मनी (बयाने की राशि) के दस हजार रुपये बैंक ड्राफ्ट या किसी शेड्यूल बैंक के काल डिपाजिट की रसीद के साथ भेजा जाना था. इतनी बड़ी मात्रा में टाटपट्टी बनाने वाला कोई कारखाना या टाटपट्टियों का इतना बड़ा व्यापारी भोपाल में या आसपास मध्यप्रदेश में नहीं था. कलकत्ते में टाटपट्टी बनाने के मिल हैं इसलिये वहां से तथा बम्बई, दिल्ली तथा लखनऊ, कानपुर आदि के बड़े व्यापारियों से टेन्डर प्राप्त हो सकते थे. इतनी कम अवधि में अर्थात् केवल ४, ५ दिनों में १० हजार रुपये की अर्नेस्ट मनी के साथ ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी की खरीदी के टेन्डर देना कई व्यापारियों इत्यादि के लिये संभव नहीं हो सकता था. यह महत्वपूर्ण है कि टेंडरर्स द्वारा टेन्डर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि जो दिनांक १३ फरवरी, १९६८ रखी गई थी वह टेन्डरर्स के लिये अपना टेन्डर अर्नेस्ट मनी तथा नमूने के साथ भेजने के लिये अपर्याप्त थी. टेन्डरर्स को टेन्डर प्रस्तुत करने के लिये यथोचित समय देना आवश्यक था.

३४. समिति की राय में ऐसे प्रकरणों में टेन्डर के लिये यथोचित समय निर्धारित करते समय किस प्रकार विचार करना चाहिये इसके लिये समिति "यथोचित समय" की निम्न परिभाषाओं का उल्लेख करना आवश्यक समझती है. यथोचित समय (रीजनेबल टाइम) की परिभाषा पी. रामनाथ अय्यर की पुस्तक "ला लैक्सिकन" १९४० संस्करण, पृष्ठ १०८४ में निम्न प्रकार है :—

> "Reasonable time—is defined to be so much time as is necessary under the circumstances to do conveniently what the contract or duty requires should be done in a particular case."

एनसाइक्लोपैडिक ला डिक्शनरी—तृतीय संस्करण के पृष्ठ ६३६ पर यथोचित समय (रीजनेबल टाइम) की परिभाषा निम्न प्रकार है :—

> "Reasonable time—so much time as is necessary under the circumstances for a reasonably prudent and diligent man to do, conveniently, what the contract or duty requires, should be done, having a regard for the rights and possibility of loss if any to the other party to be affected."

ए. आई. आर. १९५६ एम. पी. २७६ मैनेजिंग एजेन्ट्स (मार्टिन एन्ड कं.) विरुद्ध सेठ देवकीनन्दन में यथोचित समय (रीजनेबल टाइम) निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :—

"A reasonable time means what is reasonable looking to all the circumstances".

३५. कलकत्ता में ६ फरवरी, लखनऊ व बम्बई में ७ फरवरी व दिल्ली में ८ फरवरी को टेन्डर नोटिस प्रकाशित हुआ है इसलिये समिति की राय में वहां के टन्डरर्स के लिये दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को २ बजे तक की अवधि यथोचित नहीं हो सकती.

३६. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने अपनी साक्ष्य में समिति को बतलाया कि "जिस तारीख को मैंने टेण्डर नोटिस जारी किया और १३ फरवरी, १९६८ अन्तिम तिथि निर्धारित की उस समय मेरा उद्देश्य यह था कि कम से कम व्यापारियों को टेण्डर देने हेतु आठ-दस दिन की अवधि मिल जाये."

३७. समिति की राय में संचालक, लोक शिक्षण द्वारा बताई गई अवधि इतनी धनराशि के टेन्डर के लिये बहुत कम है किन्तु उनके द्वारा बताई गई उक्त ८-१० दिन की अवधि भी व्यापारियों आदि को नहीं मिल सकी क्योंकि यह टेन्डर नोटिस मध्यप्रदेश के बाहर के समाचारपत्रों में ७, ८ फरवरी १९६८ को प्रकाशित हुआ है. यथोचित समय न मिलने के कारण ही इन बड़े-बड़े शहरों के मिल-मालिक या उनके प्रतिनिधि तथा सुस्थापित व्यापारी टेन्डर प्रस्तुत नहीं कर सके. संचालक, लोक शिक्षण का उद्देश्य भी यही था कि कम से कम व्यापारियों को ८-१० दिन की अवधि मिले.

३८. श्री संजीवाराव द्वारा लिखित इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट, १८७२ एण्ड ला रिलेटिंग टू टेन्डर्स की टीका, छठवां संस्करण खण्ड १ के पृष्ठ १५० पर टेन्डर्स के विषय में समीक्षा करते हुए लिखा है कि—

"Sufficient notice should be given for submission of tenders which in the case of large works should not be less than a month."

३९. उक्त कारणों से समिति का मत है कि टेण्डर नोटिस में टाटपट्टी संबंधी आवश्यक विवरण नहीं था तथा समय संबंधी जो शर्त अंकित की गई थी वह बिलकुल ही अनुचित, अव्यवहारिक एवं अपर्याप्त थी, फलस्वरूप विचारणीय विषय क्रमांक १(२) का उत्तर यह है कि टेन्डर नोटिस में प्राप्त किये जाने वाले टाटपटटी इत्यादि के विषय में विवरण तथा शर्तें आवश्यकतानुसार ठीक नहीं थीं.

४०. विचारणीय विषय क्रमांक १(३)—टेन्डर नोटिस उचित रीति से आवश्यक वर्तमान पत्रों में मध्यप्रदेश में तथा मध्यप्रदेश के बाहर प्रकाशित कर टेन्डर भेजने के लिये उचित समय दिया गया था क्या?

संचालक, लोक शिक्षण की ओर से ज्ञापन क्रमांक स्टेनो-डी. पी. आई.-६८-५७०, दिनांक १ फरवरी, १९६८ द्वारा टाटपट्टी के बारे में टेन्डर नोटिस समस्त स्थानीय तथा भारत के प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लगातार दो बार प्रकाशित करने के लिये भेजा गया था तथा यह भी निदेश दिये गये थे कि टेण्डर नोटिस का विज्ञापन स्थानीय पत्रों को तुरन्त उपलब्ध कर दिया जाय ताकि वे उसे दूसरे दिन प्रकाशित कर सकें.

४१. सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय द्वारा जो समाचार पत्रों के विज्ञापन व्यवस्थापकों को भेजा गया है तथा जिसकी प्रतिलिपि पृष्ठांकण क्रमांक १२३५-१२६-६८, दिनांक १ फरवरी, १९६८ द्वारा संचालक, लोक शिक्षण को भेजी गई है उसमें इस विज्ञापन को केवल एक बार प्रकाशित करने के लिये लिखा गया है.

४२. दिनांक २४ अप्रैल, १९६८ को श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण (साक्ष्य क्र. १) द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय बतलाया गया कि "टाटपट्टियों का निर्माण मुख्यतः कलकता में होता है चूंकि यह टाटपट्टियां जूट की होती हैं और जूट कलकत्ते में मिलता है. जहां पर यह टाटपट्टियां बनती है वहां पर समाचार पत्रों में टेन्डर नोटिस की वाइड पब्लिसिटी आवश्यक थी. मुझे यह कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ते के समाचारपत्रों में टेन्डर नोटिस का प्रकाशन हुआ या नहीं क्योंकि यह प्रकाशन विभाग का कार्य है. दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को टेन्डर खोलते समय हमने प्रकाशन एवं सूचना विभाग से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था कि टेन्डर नोटिस सूचना किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और सूचना विभाग से मुझे यह जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई है. सूचना विभाग से प्रकाशन संबंधी माहिती मांगने के लिये पत्र मैंने दुबारा नहीं लिखा बल्कि १-२-६८ को सूचना विभाग से संचालनालय के टेन्डर नोटिस को जो समाचार पत्रों को पृष्ठांकित किया था उसकी सूचना कार्यालय में आई थी. उसमें कलकत्ते का केवल एक "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" पत्र था जिसमें हमारा टेन्डर नोटिस प्रकाशित हुआ. मैं नहीं बता सकती कि हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड में हमारा टेन्डर नोटिस छपा या नहीं छपा. कानपुर के किसी भी पेपर में टेन्डर नोटिस छपने की सूचना मेरे पास नहीं आई.

दिनांक १३-२-६८ को टेन्डर नोटिस की मुद्दत समाप्त होने तक मुझे यह पता नहीं कि कलकत्ते के हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड में प्रकाशन हो चुका था या नहीं. टेन्डर नोटिस में जो १३-२-६८ टेन्डर आने की अन्तिम तिथि निर्धारित की थी वह प्रकाशन की तिथि से १३ तारीख तक होगी ऐसा मेरा उद्देश्य था."

४३. समिति द्वारा सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय से जानकारी प्राप्त करने पर विदित हुआ कि यह टेन्डर नोटिस निम्नलिखित समाचारपत्रों में एक बार प्रकाशित हुआ है जिसके प्रकाशन का दिनांक उस पत्र के सामने दिया गया है :—

मध्यप्रदेश के समाचार पत्र.—

१.	हितवाद, भोपाल (अंग्रेजी)	..	३-२-६८
२.	मध्यप्रदेश क्रानिकल, भोपाल (अंग्रेजी)		३-२-६८
३.	नई दुनिया, इन्दौर (हिन्दी)	..	..
४.	जागरण, इन्दौर (हिन्दी) ..	..	४-२-६८
५.	नवभारत, जबलपुर (हिन्दी)	..	४-२-६८
६.	युगधर्म, जबलपुर (हिन्दी)	..	७-२-६८

मध्यप्रदेश के बाहर के समाचार पत्र--

१.	फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, बम्बई (अंग्रेजी) .		७-२-६८
२.	इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली (अंग्रेजी) ..		८-२-६८
३.	हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड, कलकत्ता (अंग्रेजी) ..		६-२-६८
४.	पायनियर, लखनऊ (अंग्रेजी)	..	७-२-६८

४४. उपर्युक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि टेन्डर नोटिस मध्यप्रदेश में केवल ६ स्थानीय समाचार पत्रों में केवल एक-एक अंक में जिनमें भोपाल के दोनों वर्तमान पत्र अंग्रेजी के हैं तथा मध्यप्रदेश के बाहर केवल चार अंग्रेजी समाचार पत्रों में केवल एक-एक अंक में प्रकाशित किया गया था.

४५. सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय ने क्यों एक-एक अंक में प्रकाशित कराया, इसके बारे में संचालक, लोक शिक्षण बिलकुल अनभिज्ञ है तथा उन्होंने सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय से इस विषय का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया कि उन्होंने क्यों एक ही अंक में प्रकाशन कराया. वे सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय का पृष्ठांकन दिनांक १ फरवरी, १९६८ के प्राप्त होते ही सूचना तथा

प्रकाशन संचालनालय को और अंकों में तथा खासकर कलकत्ते के समाचार पत्रों में विस्तृत प्रकाशन करने के लिये कह सकती थीं.

४६. मध्यप्रदेश फायनान्सियल कोड खंड २ के परिशिष्ट ५ के नियम २६ के अनुसार टेन्डर नोटिस को डायरेक्टर जनरल आफ कार्मसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "इन्डियन ट्रेड जरनल" में प्रकाशित करना आवश्यक था. सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय को टेन्डर नोटिस भेजते समय उसे उक्त जरनल में प्रकाशित करने के लिये संचालक, लोक शिक्षण द्वारा सूचना दी जानी चाहिये थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया.

४७. समिति श्रीमती चौधरी के इस कथन से पूर्णत: सहमत है कि कलकत्ता में जहां जूट होता है और उसकी टाटपट्टियां बनती हैं, वहां पर समाचारपत्रों में टेन्डर नोटिस का विस्तृत प्रकाशन आवश्यक था. समिति का मत है कि मध्यप्रदेश में भोपाल तथा अन्य स्थानों के हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में तथा मध्यप्रदेश के बाहर खासकर कलकत्ता में इंडियन ट्रेड जरनल में और अन्य प्रमुख सामाचार पत्रों में एक से अधिक बार प्रकाशित करना अत्यन्त आवश्यक था. कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशन होता तो फलस्वरूप टाट-पट्टी के निर्माता, उनके प्रतिनिधि तथा सुस्थापित व्यापारी टेन्डर भेज सकते और प्रतियोगी भावों पर टाट-पट्टियों के टेन्डर प्राप्त हो सकते. समिति को खेद है कि टेन्डर प्रस्तुत करने के लिये न्यूनतम अवधि रखने के पश्चात भी संचालक, लोक शिक्षण ने इस बात को देखने की बिलकुल परवाह नहीं की कि टेन्डर नोटिस प्रकाशित भी हुआ या नहीं और यदि हुआ तो किन समाचार पत्रों में तथा कितनी बार.

४८. टेन्डर नोटिस के अनुसार दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को २ बजे तक टेन्डर भरकर उसके साथ टाटपट्टी का नमूना व बयाने की दस हजार रुपये की राशि अथवा बैंक ड्राफ्ट या शेड्यूल्ड बैंक की काल डिपाजिट की रसीद के साथ प्रस्तुत करना था. समिति की राय है कि इतने कम समय में समाचार पत्रों की जानकारी व्यापारियों को होना तथा इसी अवधि में व्यापारियों को माल की जानकारी मिलों, कारखानों आदि से प्राप्त करके निश्चित अवधि में टेन्डर प्रस्तुत करना संभव नहीं था.

४९. उक्त कारणों से समिति का यह स्पष्ट मत है कि टेन्डर नोटिस उचित रीति से आवश्यक वर्तमान पत्रों में मध्यप्रदेश में तथा मध्यप्रदेश के बाहर विशेषकर कलकत्ता में प्रकाशित नहीं किया गया और टेन्डर भेजने के लिये उचित समय भी नहीं दिया गया. इसलिये विचारणीय विषय क्रमांक १ (३) का उत्तर नकारात्मक है.

५०. विचारणीय विषय क्रमांक १ (४)—टेण्डर स्वीकार या अस्वीकार करने में कोई पक्षपात तो नहीं किया गया, यदि किया गया तो क्या और उसका उत्तरदायी कौन है ?

संचालक, लोक शिक्षण का टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ की कंडिका २ के अनुसार टेन्डर्स दिनांक १३ फरवरी, १९६८ के २ बजे अपरान्ह तक अथवा उसके पूर्व प्राप्त होना था. इसके अनुसार दिनांक १३ फरवरी, १९६८ को २१ टेन्डर्स प्राप्त हुये. इन टेन्डरर्स का नाम व पता, टेन्डर का दिनांक टेन्डर प्राप्ति का दिनांक आदि परिशिष्ट ४ में दिया गया है. इनमें से उक्त परिशिष्ट में दिये गये क्रमांक १, ६, ७, ८, १०, १३, १४, १५, १६, १७ तथा २१ संचालक, लोक शिक्षण द्वारा वैध माने गये. इन वैध टेन्डरर्स द्वारा अपने टेन्डरों में दी गई टाटपट्टी की दरें तथा शर्तें परिशिष्ट ६ में दी गई हैं. क्रमांक २, ३, ४, ५, ९, ११, १२, १८, १९ तथा २० के टेन्डर्स संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अस्वीकृत किये गये हैं. इनके द्वारा टेन्डरों में दी गई टाटपट्टी की दरें तथा शर्तें एवं उन्हें अस्वीकृत किये जाने के कारण परिशिष्ट ७ में दिये गये हैं.

५१. श्री राजकिशन गुप्ता का जो टेन्डर स्वीकार किया गया है वह निम्न प्रकार है :—

RAJ KISHAN GUPTA, Phone No. 2763
Selling Agents. Delhi Darwaza, 7 Chatta Gaziabad
The Kharda Jute Company Limited. Date February 13, 1968.
Mg. Agents. Anderson Wright Ltd. Calcutta.
Ref. 6533

The Director,
Public Instructions,
M.P. BHOPAL.

QUOTATIONS
Tender No. 1/1968-*School*
Matting to be received by 13-2-1968

Dear Sir,

In pursuance of your tender notice as stated above, we have the pleasure to submit our quotations for the—supply of School Mattings. We have read the prescribed terms and conditions and the quotations are submitted accordingly.

Earnest Money.—Call Deposit Receipt of Punjab National Bank Ltd. for Rs. 10,000 Vide No. 377961 is enclosed herewith.

Sample.—A full Role of meters width 18″ is submitted herewith, please approve, and place your esteemed order. The length of the Role would be between 20 to 25 meters.

Rates.—Rs. 1.35 paisa per meter; inclusive of all taxes, excise duty, local octroi, freight charges etc. F. O. R. Store delivery at the respective destinations AGAINST PRODUCTION OF DECLARATION FORM: otherwise 7% extra.

School Mattings: A-45-72 (18″)

Supply Position.—1/3 requirement would be fulfilled in the month of March 1968 and the remaining in next month of April 1968 positively.

Thanking you,

Yours faithfully,
RAJ KISHAN, GUPTA,
Selling Agents.

Encl.
Call Deposit receipt.
Sample: Role of Mattings.

५२. टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ में टाटपट्टियों के निर्माताओं, उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा सुस्थापित व्यापारियों से टेन्डर बुलाये गये थे. श्री राजकिशन गुप्ता न तो टाटपट्टियों के निर्माता, न उनके अधिकृत प्रतिनिधि और न सुस्थापित व्यापारी ही हैं. श्री राजकिशन गुप्ता ने दिनांक १२ अगस्त १९६८ को अपनी साक्ष्य में बतलाया कि—

"मेरी आमदनी का साधन भवनों से जो किराया आता है वही है—

पहिले मैं इंश्योरेन्स का भी काम करता था · · · · · · · · · · · · · मैं इन्कम टैक्स नहीं देता हूं · · · · ·
मैं खारड़ा जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का सेलिंग एजेन्ट नहीं हूं · · · · · · · · · ·
मैं गाजियाबाद में कोई बिजनेस नहीं करता · · · · · · · · · · · · · इस टाटपट्टी की सप्लाई के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे पास कोई कागज हैं · · · · ·

मैं गाजियाबाद में और कहीं भी कोई व्यापार नहीं करता · · · · · · · · · मेरी जायदाद कुल ५०–६० हजार रुपये की है जो कि गाजियाबाद में है जिसका किराया मासिक मकान का करीब १२५ रुपये मिलता है और उसी से गुजर बसर होता है और कोई धंधा व्यापार नहीं है."

५३. समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से जानकारी मंगाई जाने पर उन्होंने सूचित किया है कि मेसर्स राजकिशन गुप्ता, दिल्ली दरवाजा, १३ छत्ता गाजियाबाद उत्तरप्रदेश के नाम से गाजियाबाद मंडल में कोई फर्म विक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयित नहीं है तथा इस नाम की कोई फर्म गाजियाबाद मंडल में नहीं है.

५४. मध्यप्रदेश फायनेन्सियल कोड खण्ड २ के परिशिष्ट ५ की प्रविष्टि १४ निम्न प्रकार है :—

"14. In selecting the tender to be accepted the financial status of the individuals and firms tendering must be taken into consideration in addition to all other relevant factors."

५५. श्री संजीवाराव द्वारा लिखित इन्डियन कांट्रेक्ट एक्ट १८७२, एण्ड ला रिलेटिंग टू टेन्डरर्स की टीका, छठवां संस्करण १९६५ के खण्ड १ के पृष्ठ १४७-१४८ पर लिखा है कि :—

"No work or supply should ordinarily be entrusted for execution to a contractor whose capacity and financial status has not been investigated before hand and found satisfactory."

आगे उनका आशय यह भी है कि टेन्डरर के विषय में निम्नलिखित जानकारी भी प्राप्त करना चाहिये—

(a) His position as an independent contractor,

(b) his capacity to undertake and carry out works satisfactorily as vouched for by a responsible official or firm,

(c) his previous experience on works similar to that to be contracted for in proof of which original certificates or testimonials may be called for and their genuineness varified if need be, by reference to the signatories thereof.

(d) his ability to supervise the work personally or by competent and duly authorised agents."

५६. उक्त नियम, समीक्षा तथा व्यवस्थाओं की मंशा यही है कि टेन्डर स्वीकृत करते समय दूसरी संबंधित बातों के साथ ही साथ टेन्डर देने वाले की वित्तीय स्थिति, कार्य का अनुभव, क्षमता, व्यापारिक शाख इत्यादि पर भी विचार करना आवश्यक है. उक्त सिद्धांत तथा श्री राजकिशन गुप्ता की वित्तीय तथा अन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्हें इतनी बड़ी रकम के टेन्डर का कार्य सौंपना उचित नहीं था. इससे स्पष्ट है कि टेन्डर में दी गई उक्त शर्तें ये पूरी नहीं करते.

५७. केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दिनांक १६ फरवरी, १९६८ को बैठक में किसी वरिष्ठ अधिकारी को फर्म के गोदाम फैक्टरी में भेजकर, जांच कराकर तथा सामग्री अधिकार में लेने का निर्णय किया गया. यहां फर्म के गोदाम से क्रय समिति का संभवत: श्री राजकिशन गुप्ता के गोदाम फैक्टरी से है और कलकत्ता के खारडा जूट कम्पनी को इस कार्य के लिये श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल को भेजा भी गया. यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर दिनांक १३ फरवरी, १९६८ (एक्जीबिट पी-१०६) में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उनकी फर्म है. दिनांक १६ फरवरी १९६८ को जब क्रय समिति ने टेन्डरों की जांच की थी तब उस समिति के समक्ष संचालक लोक शिक्षण ने ११ वैध टेन्डरों का

तुलनात्मक विवरण रखा था (एक्जीबिट पी-११४) जो श्री विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग (क्रय समिति के सदस्य) ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है. इस विवरण में श्री राजकिशन गुप्ता को "मेसर्स" राजकिशन गुप्ता संबोधित किया गया है. उनका टेन्डर (एक्जीबिट पी-१०६) उनके व्यक्तिगत नाम से है. समिति को यह समझ में नहीं आया कि श्री राजकिशन गुप्ता के व्यक्तिगत नाम को इस तरह से परिवर्तित कर फर्म का रूप क्यों दिया गया. संचालक लोक शिक्षण एवं क्रय समिति को इस प्रकार व्यक्तिगत टेन्डर को फर्म के रूप में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था. श्री हनुमन्त राव, सचिव, शिक्षा विभाग जो क्रय समिति के अध्यक्ष भी थे तथा श्री विजयवर्गीय, जो क्रय समिति के सदस्य थे, ने समिति के समक्ष अपनी साक्ष्य में बतलाया था कि दिनांक १६ फरवरी, १६६८ की क्रय समिति की बैठक के समय जब श्री राजकिशन गुप्ता का टेन्डर स्वीकृत किया गया तब यह किसी फर्म का टेन्डर है, इसका उनके पास कोई आधार नहीं था. समिति को इस बात का अत्यन्त खेद है कि क्रय समिति के इन दोनों उच्चाधिकारी सदस्यों ने इस बात की सावधानी नहीं बरती कि वे श्री राजकिशन गुप्ता अथवा किसी फर्म मेसर्स राजकिशन गुप्ता का टेन्डर स्वीकार करने जा रहे हैं. इस प्रकार के काल्पनिक परिवर्तन के कारण इसमें अनेक वैधानिक अड़चनें आ सकती हैं. यदि क्रय समिति के सदस्य सावधानी से टेन्डर का निरीक्षण करते तो वे अपनी दिनांक १६ फरवरी १६६८ की बैठक में श्री राजकिशन गुप्ता के स्थान पर मेसर्स राजकिशन गुप्ता का उल्लेख कदापि न करते व इस प्रकाश में समिति अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करती. सावधानी एवं बारीकी से टेन्डरों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व क्रय समिति के इन दोनों सदस्यों ने तथा श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक लोक शिक्षण ने नहीं निभाया. समिति को प्रतीत होता है कि क्रय समिति के सदस्यों ने संचालक लोक शिक्षण पर अंधविश्वास रख इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही की.

५८. टेन्डर नोटिस में एक शर्त यह भी है कि टाटपट्टी २० मीटर के टुकडों में प्रदाय की जायगी. श्री राजकिशन गुप्ता के टेंडर में २०से २६ मीटर के टुकडे प्रदाय करने की शर्त है जो टेन्डर नोटिस के अनुसार नहीं है. टेन्डर नोटिस की कंडिका ४ के अनुसार टेन्डर के साथ टाटपट्टी का नमूना तथा बयाने की राशि दस हजार रुपये बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी शेड्यूल्ड बैंक की काल डिपाजिट की रसीद के साथ प्रस्तुत करना था. श्री राजकिशन गुप्ता ने अपनी साक्ष्य के समय समिति को बतलाया कि "अर्नेस्ट मनी जो जमा की गई थी वह श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने की होगी लेकिन मैंने तो नहीं की."

५६. टेन्डर नोटिस की कंडिका ७ के अनुसार टेन्डर में दी गई दरों में सभी कर तथा एफ. ओ. आर. स्टोर डिलीवरी का व्यय सम्मिलित होना चाहिये परन्तु इनके टेन्डर में यह उल्लेख है कि एफ. ओ. आर. स्टोर डिलीवरी संबंधित स्थानों पर डिक्लेरेशन फार्म प्रस्तुत करने पर होनी चाहिये अन्यथा ७ प्रतिशत अधिक दर होगा. यह शर्त भी टेन्डर नोटिस के विपरीत है.

६०. टेन्डर नोटिस की कंडिका १० में संपूर्ण सामग्री आर्डर में निर्देशित स्थानों में दिनांक १५ मार्च, १६६८ के पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिये परन्तु श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर में एक तिहाई माल मार्च, १६६८ में तथा शेष दो तिहाई माल अप्रैल में देने का उल्लेख है जो टेन्डर नोटिस के विपरीत है.

६१. इस टेन्डर के ऊपर राजकिशन गुप्ता, सैलिंग एजेन्ट्स, खारडा जूट कम्पनी, लिमिटेड, मेन्यूफैक्चरिंग एजेन्ट्स एन्डरसन राइट लिमिटेड कलकत्ता तथा फोन नं. २७६३ देहली दरवाजा ७, छत्ता गजियाबाद, अंग्रेजी में लिखा है परन्तु श्री राजकिशन गुप्ता ने अपनी साक्ष्य के समय बताया कि इस प्रकार का फार्म लैटरहैड उन्होंने नहीं छपाया तथा "टेलीफोन नम्बर २७६३ मेरा नही है. मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं है". उन्होंने यह भी बतलाया कि "इस टेन्डर पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं"... "इसके अन्त में सेलिंग एजेन्ट्स के ऊपर इंगलिश में जो राजकिशन गुप्ता लिखा है यह मेरी सही नहीं है". श्रीमती चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने अपनी दिनांक २४-४-६८ की साक्ष्य के समय समिति को बतलाया था कि "राजकिशन गुप्ता का जो टेन्डर हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ है उसको भी मैंने आज अच्छी तरह देखा इस दस्तावेज पर जो राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर हैं वे हस्ताक्षर करारनामे दिनांक २८-२-६८ के हस्ताक्षर से बिलकुल भिन्न हैं." उन्होंने यह भी बतलाया कि "टेन्डर पर के हस्ताक्षर और टेन्डर प्राप्ति की रसीद पर जो हस्ताक्षर हैं वह एक ही व्यक्ति के मालूम होते हैं." श्री राजकिशन गुप्ता ने अपनी साक्ष्य में समिति को यह भी बतलाया कि "एक्जीबिट पी.–१०६ का टेन्डर मेरे देखते (मेरे दामाद के बड़े

भाई के लड़के) ने जाकर संचालक, लोक शिक्षण के दफ्तर में दिया. टेन्डर मेरी राय में उन्होंने दिया था. यह टेन्डर पी.-१०६ मुझे दिखाकर देने के लिये गये. मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूं. मैंने ड्राफ्ट देखने के बाद टाइप किया हुआ कागज टेन्डर देखने के बाद भी हस्ताक्षर नहीं किया. यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की थी कि वे इसकी छानबीन करते कि टेन्डर में हुआ हस्ताक्षर सही है या नहीं. एक्जीबिट पी-१०६ पर राज किशन गुप्ता जो इंग्लिश में लिखा है वह मेरे दामाद के बड़े भाई के लड़के ने लिखा है जिसका नाम रमेशचन्द्र अग्रवाल है और यह द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का लड़का है."

६२. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने अपनी साक्ष्य के समय समिति को बताया कि—

"मैंने हमारे नोट के साथ में प्रदर्श "घ" में जो अंग्रेजी में विवरण संलग्न किया है उसमें मेसर्स राजकिशन गुप्ता ने अपने टेन्डर में एक तिहाई माल मार्च में और बाकी का माल अप्रैल, १९६८ में देने का जो प्रस्ताव किया था उस पर केन्द्रीय क्रय समिति ने विचार किया था वैसे ही राजकिशन गुप्ता ने जो टेन्डर में टाटपट्टी का टुकड़ा २० से २६ मीटर तक की मर्यादा अंकित की है, इस प्रतिबंध पर भी केन्द्रीय क्रय समिति ने विचार किया था किन्तु दिनांक १६ फरवरी, १९६८ को केन्द्रीय समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक का कार्य विवरण जो लिखा गया, इस विषय पर कोई उल्लेख नहीं है किन्तु मुझे यह मालूम है कि समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया था."

६३. क्रय समिति की केवल एक ही बैठक दिनांक १६ फरवरी, १९६८ को हुई थी जिसमें संचालक लोक शिक्षण द्वारा उक्त विषय में निर्णय लिये जाने का जो कथन किया है वह क्रय समिति के कार्य विवरण में नहीं है.

६४. श्री हनुमंतराव, शिक्षा सचिव ने अपनी साक्ष्य में समिति को बताया कि टेन्डर नोटिस में जो शर्तें प्रकाशित की गई थीं उन्हें बदलने का कोई अधिकार क्रय समिति को नहीं था बल्कि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर क्रय समिति या विभाग द्वारा शासन से परिवर्तन की मंजूरी ली जाती और पुनः टेन्डर मंगाये जाते.

६५. दिनांक १६ फरवरी, १९६८ की क्रय समिति के कार्य विवरण तथा शिक्षा सचिव की उक्त साक्ष्य में दिये गये कथन को दृष्टिगत रखते हुए संचालक, लोक शिक्षण, श्रीमती चौधरी का यह कथन सत्य नहीं प्रतीत होता कि क्रय समिति ने श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर में दी गई एक तिहाई माल मार्च, १९६८ में तथा शेष दो तिहाई माल अप्रैल, १९६८ में प्रदाय करने विषयक शर्तों पर विचार कर अनुमति दी होगी और यदि अनुमति दी गई होती तो वह कार्यवाही में अवश्य लिखी जाती. इससे स्पष्ट है कि श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने टेन्डर नोटिस की शर्त के विरुद्ध अधिकार न रहते हुए भी इस शर्त को मंजूर किया.

६६. क्रय समिति की दिनांक १६ फरवरी, १९६८ के कार्य विवरण की कंडिका २ तथा ३ से विदित होता है कि समिति ने वैध टेन्डरों में दी गई दरों और शर्तों के तुलनात्मक विवरण को जांच कर राजकिशन गुप्ता गाजियाबाद का १ रुपये ३५ पैसे प्रति मीटर का टेन्डर स्वीकृत किया तथा उसे तार द्वारा यह पूछने के लिये कहा कि क्या वे वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा माल प्रदाय कर सकेंगे.

६७. सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा अपनी साक्ष्य के समय समिति के समक्ष किये गये कथन एवं क्रय समिति के उक्त कार्यविवरण से विदित होता है कि क्रय समिति के सदस्यों ने टेन्डर नोटिस में दी गई शर्तों का अध्ययन नहीं किया या संचालक, लोक शिक्षण ने जो इस समिति की सचिव भी थीं, उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं समझी कि टेन्डर नोटिस की शर्त के अनुसार सम्पूर्ण माल १५ मार्च, १९६८ तक प्रदाय कर दिया जाना चाहिये. यदि यह बात क्रय समिति के सामने संचालक, लोक शिक्षण द्वारा स्पष्ट कर दी जाती तो संभवतः क्रय समिति द्वारा श्री राजकिशन गुप्ता से तार द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने का निर्णय न लिया जाता कि क्या वे वित्तीय वर्ष के अन्त तक संपूर्ण माल का प्रदाय कर सकेंगे.

६८. शिक्षा संचालनालय की नस्ती दिनांक १७ फरवरी, १९६८ की टिप्पणी में लिखा है कि "समिति ने निर्णय लिया है कि राजकिशन गुप्ता को तार द्वारा आदेश दिया जावे व पूछा जावे कि क्या वे निर्धारित समयावधि में नमूने के मुताबिक टाटपट्टियों का प्रदाय कर सकते हैं. टेन्डर में उन्होंने एक तिहाई मात्रा समयावधि में देने का वचन दिया है. श्री राजकिशन गुप्ता आज कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनसे उक्त प्रदाय का लेखी में अनुबंधन पत्र ले लेना उचित होगा. उसके पश्चात् फर्म को सामान के प्रदाय का आर्डर देना उचित होगा." श्री राजकिशन गुप्ता ने अपनी साक्ष्य के समय समिति को बताया कि दिनांक २८ फरवरी, १९६८ के अलावा वे डी. पी. आई. आफिस में कभी नहीं गये. इससे पता लगता है कि या तो उक्त टिप्पणी में गलत लिखा है या श्री राजकिशन गुप्ता का नाम बतलाकर कोई दूसरा व्यक्ति शिक्षा संचालक के कार्यालय में गया.

६९. श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल (साक्ष्य क्रमांक २२) ने दिनांक २६ जुलाई, १९६८ को समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय बतलाया कि "द्वारका प्रसाद ब्रदर्स नाम की एक फर्म है और उस फर्म के हम पार्टनर हैं. इस फर्म में हम व हमारे भाई पार्टनर हैं और हमारे रिश्तेदार भी पार्टनर हैं. पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है. इस पार्टनरशिप में हमारे भाई विशम्भरदयाल, मेरे भाई महेशप्रसाद अग्रवाल हैं तथा मेरे पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल तथा कुछ रिश्तेदार व मित्र हैं. श्री राजकिशन गुप्ता जो मेरे छोटे भाई महेशप्रसाद के ससुर हैं वे भी पार्टनर हैं. इसमें और भी पार्टनर मामा आदि हैं. . . . . .श्री राजकिशन गुप्ता के नाम का जो एक्जीबिट पी-१०६ का टेन्डर है वह स्वीकार हुआ था. इकरारनामा मेरे सामने नहीं लिखा गया. हमारी फर्म का नाम द्वारकाप्रसाद अग्रवाल एन्ड ब्रदर्स है इसमें श्री राजकिशन गुप्ता का भी समावेश हो जाता है, ऐसा हम यह मानते हैं कि श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से जो टेन्डर स्वीकृत हुआ है वह हमारे द्वारकाप्रसाद अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स की फर्म के नाम से ही हुआ है, ऐसा मानते हैं."

७०. श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के उक्त कथन के संदर्भ में श्री राजकिशन गुप्ता द्वारा समिति के समक्ष दिया गया निम्नलिखित कथन यहां देना असंगत न होगा. उन्होंने कहा था कि——

> "इस टाटपट्टी की सप्लाई के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे पास कोई कागजात हैं बल्कि इस संबंधी संपूर्ण जानकारी व कागजात श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के पास हैं. मैं श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के साथ कोई व्यापार नहीं करता और न उनके साथ में हमारी कोई पार्टनरशिप है."

इससे स्पष्ट है कि श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ही श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से ये सब जाली कार्यवाहियां कर रहे हैं और इसीलिये श्री राजकिशन गुप्ता को इस व्यापार का कुछ हाल भी नहीं मालूम.

७१. उक्त कंडिकाओं में दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री राजकिशन गुप्ता का टेन्डर, टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ की शर्तें पूरी नहीं करता तथा वह जाली है. इसलिये उसे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिये था. परन्तु ऐसा न करके श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने उसे क्रय समिति द्वारा स्वीकृत करवाया. उक्त कंडिकाओं से यह भी स्पष्ट है कि क्रय समिति के सदस्यों को भी संचालक द्वारा भ्रम में रखा गया तथा श्री राजकिशन गुप्ता के उनके कार्यालय में उपस्थित न होने पर भी उन्हें उपस्थित मानकर आगे की कार्यवाही की गई. यह एक विचारणीय विषय है कि इस प्रकरण में ऐसी कार्यवाही संचालक द्वारा क्यों की गई. उक्त कंडिकाओं में दिये गये श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल तथा श्री राजकिशन गुप्ता के कथनों पर से यह सिद्ध हो जाता है कि श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने ही श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से अपने पुत्र रमेश से श्री राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर कराकर जाली टेन्डर दिया और श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण को मिलाकर यह टेन्डर अपने लिये प्राप्त किया. श्रीमती चौधरी के उक्त कंडिकाओं में दिये गये बयानों तथा आचरणों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री डी. पी. अग्रवाल का पक्ष लेने के लिये ही टेन्डर नोटिस की शर्तों के पूरा न होते हुए तथा टेन्डर नोटिस की शर्तों के विरुद्ध उन्हें १५ मार्च, १९६८ के पश्चात तथा जून १९६८ तक भी टाटपट्टी प्रदाय करने की अनुमति दी गई.

७२. उक्त कंडिकाओं से विदित होता है कि यदि टेन्डर नोटिस की शर्तों के विरुद्ध श्री राजिकशन गुप्ता को माल प्रदाय करने में सहूलियतें दी जाने की आवश्यकता थी तो फिर इसी के अनुसार दूसरे टेन्डरों में जो स्वीकृति किये गये टेन्डर से कम दरें दी गई थीं उन्हें भी यदि पूछ लिया जाता कि अमुक-अमुक शर्तों को शिथिल करने के पश्चात् वे माल देने के लिये तैयार हैं क्या तो संभवतः वे भी कम दरों में माल देने को तैयार हो जाते जिससे शासन को बहुत फायदा होता. उदाहरणार्थ पंकज अंबुज ट्रेडर्स उपवितरक खारडा जूट मिल्स लिमिटेड, सुभाष मार्ग, दिल्ली ने निम्नलिखित दरें दी थीं :—

११ औंस—१ रुपये १७ पैसे प्रति मीटर

१२ औंस—१ रुपये २४ पैसे प्रति मीटर

१४ औंस—१ रुपये ३५ पैसे प्रति मीटर.

परमाणिक एन्ड कं. जवाहरगंज, जबलपुर ने अपने टेन्डर (एक्जीबिट पी./१) में निम्नलिखित दरें दी थीं :—

११ औंस—१ रुपये ८ पैसे प्रति मीटर.

१२ औंस—१ रुपये १२ पैसे प्रति मीटर.

१४ औंस—१ रुपये २२ पैसे प्रति मीटर.

इन टेण्डरों को टेन्डर नोटिस की शर्तें न पूरी करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था. यदि यही सिद्धान्त श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर पर लागू किया जाता तो उसे भी टेन्डर नोटिस की शर्तें पूरी न करने के कारण, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अस्वीकृत कर दिया जाना था.

७३. श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर के साथ जो नमूना (आर्टिकल १) प्रस्तुत किया गया था उसके एक मीटर का वजन ३७० ग्राम (१३ औंस) था. यदि उपर्युक्त दो टेण्डरों में से कोई टेण्डर बातचीत करके स्वीकृत किया गया होता तो १३ औंस की टाटपट्टी १ रुपये ३५ पैसे प्रति मीटर से भी कम दर में अर्थात् १ रुपये १५ पैसे तक में प्राप्त हो सकती थी. जिससे शासन को २० पैसे प्रति मीटर की दर से ११॥ लाख मीटर में लगभग २ लाख ३० हजार रुपये का फायदा होता.

७४. श्रीमती चौधरी का यह कहना कि कम से कम दर में अच्छी टाटपट्टी मिलने के कारण श्री राजकिशन गुप्ता का टेन्डर स्वीकार किया गया, उचित प्रतीत नहीं होता. क्रय समिति ने भी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अस्वीकृत किये गये टेन्डरों की अच्छी तरह से छानबीन नहीं की.

७५. उक्त कारणों से समिति का स्पष्ट मत है कि श्री राजकिशन गुप्ता का जाली तथा अनियमित टेण्डर स्वीकार करके बहुत बड़ा पक्षपात किया गया. इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण पर है. टेण्डर के परीक्षण के समय श्री हनुमंतराव, सचिव, शिक्षा विभाग तथा श्री बी. एल. बीजावर्गीय, उपसचिव, वित्त विभाग, जो क्रय समिति के सदस्य थे, ने जो सावधानी व सतर्कता बरतनी चाहिये थी नहीं बरती.

७६. विचारणीय विषय क्रमांक १ (५)—टाटपट्टी इत्यादि का कब्जा लेने के पहले उसकी जांच टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार की गई थी क्या ? जांच किसने और किस प्रकार की तथा स्वीकृति किस प्रकार दी गई ?

टेन्डर नोटिस क्रमांक १, वर्ष १९६८ के अनुसार निम्नांकित विवरण (स्पेसिफिकेशन) की टाटपट्टियां क्रय करने हेतु टेन्डर आमंत्रित किये गये थे :—

(१) अच्छी किस्म की टाटपट्टी

(२) २० मीटर के टुकड़े

(३) चौड़ाई १८ इंच

(४) शालाओं के उपयोग के लिये.

७७. श्री राजकिशन गुप्ता देहली दरवाजा, १३ छत्ता गाजियाबाद का १ रु. ३५ पैसे का टेन्डर स्वीकृत किया गया था. इस टेन्डर के साथ जो नमूना प्राप्त हुआ था वह संचालक लोक शिक्षण द्वारा समिति को भेजा गया है. यह नमूना (आर्टिकल १) एक मीटर लम्बा १८ इंच चौड़ा तथा वजन में ३७० ग्राम है.

७८. केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक १६ फरवरी, १९६८ की कार्यवाही जो परिशिष्ट ५ में दी गई है, में संचालक लोक शिक्षण के सुझाव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि स्कूलों के लिये टाटपट्टियों की अनिवार्य आवश्यकता तथा उपलब्ध समय को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपलब्ध आवंटित राशि का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने के लिये यदि ९ शिक्षा संभागों में टाटपट्टी भेजने में लगने वाला समय बचाने के लिये विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को फर्म के गोदाम/फैक्टरी में भेजकर ९ शिक्षा संभागों में माल बुक कराने के पूर्व नमूने की सहायता से उसकी जांच करा ली जाय तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री अधिकार में ले ली जाय और उसे ९ संभागों के लिये भिजवा दिया जाय. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने अपनी साक्ष्य में समिति को बतलाया कि—

"श्री गोयल डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट आफ एजुकेशन, भोपाल डिवीजन हैं. ये २५-२६ मार्च को माल देखने के लिये कलकत्ता गये थे. मैंने इनको भेजा था. २८, २९ मार्च को वे लौटे. वहां से उन्होंने तार भेजा. २७ तारीख को माल चैक कर लेने के संबंध में और जब वे वापस आये तब मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने माल किस तरह से चैक किया. ९ लाख मीटर टाटपट्टी २८ मार्च को कलकत्ते में ही थी. श्री गोयल ने ९ लाख मीटर टाटपट्टी का चार्ज कलकत्ते में ले लिया था."

७९. श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल द्वारा दिनांक २७ मार्च १९६८ को कलकत्ता से जो तार दिया गया था वह निम्न प्रकार है :—

"X 1700 AC 4444 Calcutta 16-43

SMT. FLORENCE CHOUDHARY, DIRECTOR PUBLIC INSTRUCTION PROFESSOR COLONY RESIDENCE DELIVERY BHOPAL.

INSPECTED KHARDA MILL NINE LAKHS METERS TATPATIS AVAILABLE FOR DESPATCH WHICH WAS HELD FOR BOOKING DIFFICULTIES STOP DISCUSSED WITH MANAGER WHO IS ARRANGING DESPATCHES BY ROAD TRANSPORT SHORTLY.

—GOEL—"

८०. दिनांक २५ अप्रैल, १६६८ को श्री विहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने अपनी साक्ष्य में समिति को बताया कि :—

"मुझे कलकत्ता जाने के लिये श्रीमती चौधरी, संचालिका ने कहा. मुझे २२ तारीख को जाने का आदेश मिला. मैं २४ तारीख को गया और २६ तारीख को पहुंचा. वहां पर मैं एक होटल में ठहरा. मेरे साथ एक आदमी गया था. कोई शिक्षा अधिकारी नहीं गया था, न वहां पर कोई पहले से मौजूद था. मैं तारीख २८ को वहां से निकला. मैं वहां पर खारडा मिल में गया. झांसी से वह आदमी हमारे साथ था जो उनका आदमी था. यह आदमी महेशप्रसाद अग्रवाल था. महेशप्रसाद अग्रवाल द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के भाई हैं. वह आदमी मेरे साथ जायेगा, यह बात संचालिका महोदया ने मुझसे कहा था कि द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का आदमी झांसी से तुम्हारे साथ जायेगा. उसका नाम उन्होंने नहीं बताया था. महेशप्रसाद अग्रवाल मुझको जानता है. उसने मुझसे कहा कि मैं द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का भाई हूं और टाटपट्टी बतलाने के लिये मैं आपके साथ कलकत्ता चल रहा हूं. वहां से मैं खारडा मिल गया. मैं २६ तारीख की सुबह ६ बजे खारडा मिल पहुंचा. साथ में वहां के मैनेजर साहब ने मुझे टाटपट्टियों के गोदाम को बताया. मैंने सब स्टाक देखा. मैंने स्टाक को काउन्ट किया. बंडल कई जगह रखे हुए थे. जहां पर माल तैयार होता है और बंडल रखे हुए थे वहां पर २२०० बंडल थे. . . . . एक बंडल नहीं ५० बंडल खुलवाकर मैंने देखा, उनको नपवाया. एक बंडल में ४५, किसी में ४६ मीटर लम्बी टाटपट्टी निकली. टेन्डर नोटिस में लम्बाई व चौड़ाई कितनी थी यह मुझे नहीं मालूम. टेन्डर के स्पेसिफिकेशन मुझे यह मालूम था कि एक मीटर होना चाहिए और नमूना साथ में दिया था. पूरे स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं मालूम थे. जहां पर स्टाक रहता है वहां पर १४,४०० बंडल थे. इसके बाद जहां पर बंडलों पर टाटपट्टी लगाते हैं जहां पर १८४५ बंडल थे. इसके बाद जहां से अन्तिम बार माल की निकासी की जाती है वहां पर १०६० बंडल और थे और लगभग ३५० बंडल लदाई के लिये बाहर आ रहे थे. यह सब मैंने २६ तारीख को देखा. शाम तक मैंने यह सब देखा. २०० बंडल जो मैंने खुलवाये और नपवाये उन्हें देखने में मुझे ५ घंटे लगे. इसके बाद मैं १४,००० बंडल देखने गया. उनमें प्रत्येक बंडल की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई में रखे हुए थे उनको काउन्ट करके उनको मैंने चेक किया लेकिन खुलवाया नहीं. मैनेजर ने बताया था कि ३५० बंडल ट्रक से भेजे जाने वाले हैं. उनको मैंने काउन्ट नहीं किया. ट्रक में लदते हुए मैंने देखा. समस्त बंडलों का चार्ज मैंने लिखित रूप में नहीं लिया, मौखिक रूप से लिया. वहां मैंने कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया उन बंडलों की देखभाल के लिये. वह माल मध्यप्रदेश के लिये था इसलिये हमारे पास आ गया. चूंकि मैनेजर ने कहा कि यह माल आपके मध्यप्रदेश के लिये है इसलिये उसको अपने चार्ज में लिया मान लिया है. माल के भेजने का प्रबन्ध नहीं कराया, न माल का कोई इंश्योरेन्स कराया और न कोई चौकीदार माल की देखभाल के लिये तय कराया. इस संबंध में कोई आदेश मुझे प्रदान नहीं किये गये थे. . . . . जो नमूना मैं ले गया था एक मीटर का था और चौड़ाई १८ इंच की और ३४० ग्राम वजन था."

* * *

"स्टाक की जगह पर जो रोल्स थे उनके टुकड़े मैंने नहीं कटवाये और उनकी क्वालिटी के बारे में केवल अपनी नजर से कह दिया कि वे उसी के अनुरूप हैं. . . . . सेम्पल जो मेरे साथ था उस नमूने को तराजू में रखकर खारडा मिल के तैयार शुदा माल के टुकड़े से वजन नहीं करवाया. . . . . श्री महेशप्रसाद अग्रवाल ने ही हमारे कलकत्ता यात्रा व्यय वहन किया था, शासकीय व्यय नहीं हुआ था. वापस आने का खर्चा टिकिट आदि भी उन्होंने ही किया और वह हमारे साथ झांसी तक आये. श्री महेशप्रसाद अग्रवाल से मेरा परिचय गत वर्ष से है और चूंकि हम भी अग्रवाल हैं और यहां पर द्वारकाप्रसाद

अग्रवाल का दैनिक भास्कर का प्रेस है और महेशप्रसाद जी उनके भाई हैं........ कलकत्ते में मैं अशोक होटल में ठहरा था वहां पर महेशप्रसाद अग्रवाल ही मुझे ले गये थे और वहां का खर्चा भी उन्होंने वहन किया था."

८१. श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने कलकत्ता से आने के पश्चात् दिनांक ३१ मार्च, १९६८ को संचालक, लोक शिक्षण को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें लिखा है कि :—

"संचालक महोदय के मौखिक आदेशानुसार मैं कलकत्ते पहुंचकर २६ मार्च, १९६८ को खारडा जूट मिल्स गया. संचालक महोदय द्वारा प्राप्त सैम्पल साथ ले गया था. उक्त सैम्पल से मिल्स में उपलब्ध टाटपट्टियों के स्टाक का मिलान करने पर स्टाक सैम्पल के अनुरूप पाया गया. मिल्स में ४५ मीटर से ४८ मीटर की संख्या वाले रोल्स मौजूद थे. कुल माल लगभग ९ लाख मीटर आंका गया."

८२. श्री बिहारीलाल गोयल ने दिनांक २७ जुलाई, १९६८ को साक्ष्य में बतलाया कि टाटपट्टी का जो टुकड़ा आर्टिकल २६ है उसे वे नमूने के रूप में कलकत्ता ले गये थे और इसे उन्होंने पिछली साक्ष्य के समय श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण को देना बतलाया था. यह आर्टिकल २६ टाटपट्टी का टुकड़ा जो सीलबन्द लिफाफे में समिति को संचालक, लोक शिक्षण से प्राप्त हुआ था को, श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव की दिनांक २७ जुलाई, १९६८ की साक्ष्य के समय उनके सामने खोला गया क्योंकि उस पर इनके हस्ताक्षर थे. उस टुकड़े का वजन करने पर उसका वजन ३६५ ग्राम निकला परन्तु इसी टुकड़े के विषय में श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने अपनी साक्ष्य में बतलाया था कि उसका वजन ३४० ग्राम है.

८३. यद्यपि प्रत्येक बंडल की लम्बाई नापना संभव नहीं था किन्तु श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल, परीक्षण के समय इस बात का ध्यान अवश्य रख सकते थे कि जब बंडल ४५ या ४८ मीटर के थे और उनके पास ३४० ग्राम का टाटपट्टी का नमूना था तो वे उन बंडलों में से कुछ बंडलों का वजन करवाकर नमूने से तुलनात्मक मिलान कर सकते थे.

८४. श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने दिनांक २६ जुलाई, १९६८ को अपनी साक्ष्य के समय समिति को बताया था कि—

"हमने श्री डी. डी. अमरनाथ, चांदनी चौक, नई दिल्ली से माल मंगवाया. उन्होंने खारडा मिल के अलावा दूसरी मिलों से लेकर माल सप्लाई किया होगा. गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन, चांदनी-चौक, दिल्ली की जो फर्म है वह डी. डी. अमरनाथ की ही एक शाखा है. मिलों से टाट-पट्टी का माल जो अलग-अलग संभागों में गया है वह द्वारकाप्रसाद एण्ड ब्रदर्स के नाम से ही गया है. ....शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी डी. एस. ई., भोपाल श्री गोयल मेरे भाई श्री महेशप्रसाद अग्रवाल के साथ कलकत्ता गये हुए थे. श्री गोयल का जाने आने का खर्चा आदि हमीं ने किया."

८५. समिति को जांच में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता से रीवा, बिलासपुर आदि संभागों में टाटपट्टी प्राप्त हुई है इसलिये समिति ने फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड २१ स्ट्रेन्ड रोड कलकत्ता से जानकारी चाही थी कि मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग में जो टाटपट्टियां इस वर्ष उनके द्वारा दी गई हैं उसके संबंध में उनको कब, किसके द्वारा तथा कितने माल का आर्डर दिया गया था तथा उन्होंने वह माल कब-कब और कहां-कहां भेजा तथा उसकी डिलीवरी कहां-कहां की गई. फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड, कलकत्ता ने अपने दिनांक २९ जुलाई, १९६८ के पत्र द्वारा समिति को सूचित किया है कि मसर्स गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन, चांदनी चौक दिल्ली ६ द्वारा १८ इंच—११ औंस की २ लाख गज

टाटपट्टी का आदेश दिनांक १ मार्च, १९६८ को तथा ४ लाख गज का ट्रंक काल से आदेश दिनांक ४ अप्रैल, १९६८ को दिया गया. और यह सब माल मेसर्स गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन के आदेशानुसार प्रदाय कर दिया गया. इससे यह विदित होता है कि फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता द्वारा मेसर्स गुप्ता सेल्स कारपोरेशन, चांदनी चौक दिल्ली की मार्फत ६ लाख गज अर्थात् लगभग ५।। लाख मीटर टाटपट्टी प्रदाय की गई. संचालक, लोक शिक्षण द्वारा कुल ११।। लाख मीटर टाटपट्टी क्रय करने का आदेश दिया गया था. इसमें से यदि ५।। लाख मीटर फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता से प्रदाय की गई तो शेष ६ लाख मीटर ही बचती है जिसका प्रदाय खारडा जूट कं. कलकत्ता द्वारा किया गया होगा. समिति ने व्यवस्थापक खारडा जूट कं. लिमिटेड कलकत्ता से भी फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज कलकत्ता से मांगी गई जानकारी के अनुसार ही जानकारी चाही थी किन्तु समिति को खेद है कि बारबार स्मरणपत्र भेजने पर भी उनसे जानकारी नहीं प्राप्त हुई.

८६. श्री बिहारीलाल गोयल, सभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल द्वारा खारडा जूट कं. कलकत्ता से ९ लाख मीटर टाटपट्टी की जांच करके संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को सूचित करने हेतु जो तार भेजा गया था तथा बाद में समिति के समक्ष उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि उन्होंने खारडा जूट कम्पनी कलकत्ता में ९ लाख मीटर टाटपट्टी का चार्ज लिया सर्वथा असत्य है. यहां यह भी स्मरणीय है कि नमूना ३७० ग्राम (१३ औंस) का स्वीकृत हुआ था किन्तु फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता को टाटपट्टी के प्रदायहेतु जो आदेश दिया गया था वह ११ औंस का था. श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल के व्यवहार से समिति का अनुमान है कि उन्होंने श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुंचाने के हेतु ही टाटपट्टी का परीक्षण खारडा जूट कं. कलकत्ता में समुचित रीति से नहीं किया व असत्य कथन दिये हैं.

८७. संचालक, लोक शिक्षण के दिनांक ७ मार्च, १९६८ के ज्ञापन द्वारा साढ़े छः लाख मीटर तथा दिनांक १८ मार्च, १९६८ के ज्ञापन द्वारा पांच लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी मध्यप्रदेश के ९ शिक्षा संभागों में प्रदाय करने के लिये श्री राजकिशन गुप्ता को आदेश दिये गये थे. इसका कब्जा इन ९ संभागों में किसने-किसने तथा कब-कब और कितना-कितना लिया तथा उसे टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण (स्पेसिफिकेशन) से किस प्रकार जांचा गया इसका विवेचन आगे दिये गये विचारणीय विषय क्रमांक १ (६) में किया गया है.

८८. उक्त कारणों से विचारणीय विषय क्रमांक १ (५) का उत्तर यह है कि टाटपट्टी इत्यादि का कब्जा लेने के पहले उसकी जांच टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण (स्पसिफिकशन) के अनुसार बिलकुल नहीं की गई. खारडा जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में जाकर श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने समुचित जांच नहीं की.

८९. विचारणीय विषय क्रमांक १ (६)—प्राप्त टाटपट्टी इत्यादि आवश्यक विवरण (स्पेसिफिकेशन) तथा शर्तों के अनुसार ठीक थी क्या ? उसकी डिलीवरी यहां किसने ली और उसने क्या सब माल विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार ठीक पाया ? यदि नहीं तो उस विषय पर क्या कार्यवाही की गई ?

संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ में टाटपट्टी के विवरण में केवल अच्छी किस्म की टाटपट्टी २० मीटर के टुकड़ों में (चौड़ाई १८ इंच) (शालाओं के उपयोग के लिये) दिया गया था.

९०. श्री राजकिशन गुप्ता द्वारा दिये गये टेन्डर दिनांक १३ फरवरी १९६८ (एक्जीबिट पी-१०९) के साथ जो टाटपट्टी का नमूना (आर्टिकल १) प्रस्तुत किया गया था उसके नमूने के एक मीटर के टुकड़े का वजन ३७० ग्राम (लगभग १३ औंस) था.

६१. समिति ने दिनांक २५ अप्रैल, १९६८ को भोपाल में सभागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जाकर टाटपट्टी, बाल्टियों तथा श्यामपटों का निरीक्षण किया तथा संभागीय शिक्षा अधीक्षक की साक्ष्य ली और इसी प्रकार दिनांक १३ जून, १९६८ से दिनांक २३ जून, १९६८ तक ग्वालियर, रीवा, सीधी, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर तथा बालाघाट और दिनांक ६ व ७ जुलाई, १९६८ को इन्दौर तथा उज्जैन का दौरा कर वहां के संबंधित शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जाकर टाटपट्टी, बाल्टियों तथा श्यामपटों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों की साक्ष्य ली.

६२. टाटपट्टी इत्यादि के निरीक्षण के समय समिति ने संबंधित कार्यालयों में रखे हुए स्टाक का निरीक्षण किया, टाटपट्टियों के बंडलों में से कोई भी एक दो बंडल निकालकर उन्हें नपवाया, उसमें से एक मीटर लम्बा टुकड़ा कटवाकर उसकी चौड़ाई नापी तथा वजन किया तथा उन टुकड़ों पर आर्टिकल क्रमांक दिया गया और उस पर संबंधित अधिकारी तथा सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये गये. कहीं-कहीं टाटपट्टी के एक पूरे बंडल का भी वजन किया गया तथा उस बंडल पर उत्पादक द्वारा अंकित लम्बाई की टीप ली गई.

६३. संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ने अपने ज्ञापन क्रमांक स्टेनो।डी. पी. आय.।६८।१११९, दिनांक ११ मार्च १९६८, द्वारा समस्त संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को कंडिका ६ में निम्नलिखित सूचना दी थी :—

.. ..

"6. For verifying the quality of Tatpatties cut one piece of one metre from the supply, weigh it and compare with the sample supplied by this office."

६४. इसके द्वारा प्रदाय की गई टाटपट्टी में से टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा काटकर उसका वजन करना था तथा संचालक लोक शिक्षण द्वारा भेजे गये नमूने से तुलना करना था.

.. ..

६५. समिति ने संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न संभागों में भेजे गये टाटपट्टी के नमूने की लम्बाई, चौड़ाई नापी, उनका वजन किया, आर्टिकल क्रमांक दिया, उन पर संबंधित अधिकारी तथा समिति के सभापति ने हस्ताक्षर किये तथा उन्हें संबंधित अधीक्षक को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु वापस कर दिया.

६६. उक्त संभागों में टाटपट्टी के विषय में संबंधित अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई है तथा समिति के समक्ष जो नाप की गई है व वजन लिया गया है एवं जिसका उल्लेख संबंधित अधिकारियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य के समय किया है वह नीचे दिया गया है :—

आर्टिकल क्रमांक	एक मीटर टुकड़े का वजन (ग्राम में)	एक बंडल का/की वजन (किलोग्राम)	एक बंडल का/की अंकित लंबाई (मीटर में)	एक बंडल का/की नापी गई लंबाई (मीटर में)	किससे प्राप्त हुआ
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	३७०	..	..	..	संचालक, लोक शिक्षण (यह श्री राजकिशन गुप्ता ने टेंडर के साथ नमूने के रूप में दिया था).

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२	३४०	..	..	..	संचालक, लोक शिक्षण (भोपाल, संभाग में प्राप्त हुए टाटपट्टी के बंडलों में से).
३	३३६	..	..	४७.६०	श्री गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल.
४	३२५	..	४८.४६	४८.२३	,, ,,
७	३००	..	..	१६३ फीट, १० इंच	श्री मनोहरलाल गर्ग, सं. शि. अ., ग्वालियर.
नमूना ७ (ए)	३५०	..	..	..	..
८	३००	..	..	१७५ फीट १० इंच	,, ,,
९	३३४	..	..	४७.७०	श्री बी. एस. नायडू, सं. शि. अ., सीधी.
नमूना ९ (ए)	३५०	..	..	..	..
१०	३१०	..	..	४८.७०	,, ,,
११	२७५	१४.९७५	४६.६८	४७.५०	श्री चन्द्रदेवसिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी.
१२	३२२	१५.४२२	४६.६८	४८.०५	,, ,,
१७	३०८	१५.२०	४८.४६	४९.४०	श्री बी. डी. नायक, स. शि. अ., जबलपुर.
नमूना १७(ए)	३३४	..	..	..	..
१८	३०४	१४.५७०	४८.४६	४९.३५	,, ,,
१९	३७०	३४.३७०	९५	९५.६५	श्री दत्तात्रय हरि खिरवड़कर, सं. शि. अ., बिलासपुर.
नमूना १९(ए)	३५५	..	..	..	..
२०	३२०	३०.२०	९२	९२.१५	,, ,,
२१	३००	२८	..	९३.५५	श्री व्ही. एन. ठाकुर, सं. शि. अ., रायपुर.

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
नमूना २१(ए)	३५०	..	..	..	..
२२	३४५	३३	..	९४.२०	श्री व्ही. एन. ठाकुर, सं. शि. अ., रायपुर.
२३	३१०	..	..		कु. लीलाबाई व्यास, सं. शि. अ., इंदौर.
नमूना २३(ए)	३३०	..	..	..	..
२४	३४५	..	..	..	,, ,,
२५	२९०	..	..	..	श्री श्यामबिहारी शर्मा सं. शि. अ., उज्जैन.
नमूना २५(ए)	३५८	..	..	..	..
..		३०.५०	९६.५	..	,, ,,
२६	३६५	..	..	..	संचालक लोक शिक्षण, भोपाल.

९७. दिनांक २१ मई, १९६८ को समिति ने श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण से निम्नलिखित जानकारी मांगी थी :—

(१) क्रय की गई टाटपट्टी कहां-कहां, कितनी-कितनी तथा किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई.

(२) उनकी डिलीवरी संबंधित स्थानों पर किस अधिकारी ने ली.

(३) डिलीवरी लेने वाले अधिकारी ने यह जांच किस प्रकार की कि यह टाटपट्टी टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण के अनुसार है और इस विषय पर उसकी क्या रिपोर्ट है.

९८. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण से दिनांक २३ मई, १९६८ के पत्र द्वारा उपर्युक्त क्रमांक (२) व (३) के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई :—

"(२) प्रत्येक संभाग में टाटपट्टी की डिलीवरी संबंधित संभागीय शिक्षण अधीक्षक को दी गई है और उन्हीं के कार्यालय द्वारा इसे प्राप्त किया जाकर स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया है.

(३) जांच करने के लिये संचालनालय से प्रत्येक संभागीय शिक्षण अधीक्षक को एक-एक मीटर के टुकड़े टेन्डर के साथ प्राप्त नमूने में से काटकर पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं. इसी से तुलना कर जांच की गई है जिसका अंकन प्रत्येक वेरीफाइड बिल पर होता है. इसी बिल पर स्टाक रजिस्टर का पृष्ठ क्रमांक भी अंकित किया जाता है जो कार्यालय में देखे जा सकते हैं. क्वालिटी, पृष्ठ क्रमांक इत्यादि के लिये पृथक से प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि किसी भी बिल का भुगतान तभी किया जाता है जब उस बिल के पृष्ठ पर यह अंकित कर दिया जावे कि नमूने के अनुसार ठीक हालत में माल प्राप्त हुआ व स्टाक रजिस्टर में अमुक पृष्ठ पर दर्ज कर लिया गया है."

९९. इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक संभाग में भेजी गई टाटपट्टी की डिलीवरी संबंधित संभागीय शिक्षण अधीक्षक ने ली, स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया और संचालक द्वारा भेजे गये टाटपट्टी के नमूने के टुकड़े से तुलना कर जांच किया जिसका अंकन प्रत्येक वेरीफाइड बिल पर किया. क्वालिटी तथा पृष्ठ क्रमांक इत्यादि के लिये पृथक से कोई प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गई. संबंधित संभागीय शिक्षा अधीक्षक द्वारा बिल पर यदि स्टाक रजिस्टर का पृष्ठ दर्ज कर दिया गया और यह लिख दिया गया कि नमूने के अनुसार ठीक हालत में माल प्राप्त हुआ तो बिल की रकम का भुगतान किये जाने के लिये यह काफी था. संचालक, लोक शिक्षण की ओर से प्राप्त लेख्य संग्रह से यह विदित होता है कि विभिन्न संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को, जिन्हें प्राप्त टाटपट्टियों को नमूने से मिलाकर बिल पर यह अंकित करना था कि नमूने के अनुसार ठीक माल प्राप्त हुआ, निम्नलिखित जानकारी नहीं दी गई थी :—

(१) संचालनालय के टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ में दिया गया टाटपट्टी का विवरण (स्पेसिफिकेशन) क्या है ?

(२) क्रय करने के लिये स्वीकृत की गई टाटपट्टी के एक मीटर के टुकड़े का वजन, उसकी बुनाई चौड़ाई इत्यादि क्या है ?

(३) टाटपट्टी के २०–२० मीटर के टुकड़े होना चाहिये.

(४) प्राप्त टाटपट्टी को संचालक द्वारा भेजे गये नमूने के टुकड़े से किस प्रकार मिलान करना चाहिये.

१००. उक्त बातों की अनभिज्ञता के कारण संबंधित शिक्षा अधीक्षकों को उनके पास के केवल नमूने को देखकर ही जैसा श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने कलकत्ते में किया था वैसा ही बिल पर अंकित कर देना था. समिति को अपने विभिन्न संभागों के दौरे के समय यह पता लगा कि संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर के अतिरिक्त अन्य संबंधित शिक्षा अधीक्षकों ने न तो उनको आवंटित पूरी टाटपट्टी की लम्बाई की संतोषजनक जांच की और न नमूने के टुकड़े से उन्हें मिलान करने की कोशिश की.

१०१. विभिन्न संभागीय शिक्षा अधीक्षकों के पास टाटपट्टी के जो बंडल प्राप्त हुए हैं उसका विवरण आगे की कंडिकाओं में दिया गया है जिससे विदित है कि प्राप्त बंडलों में २० मीटर के टुकड़े न होकर ४५ मीटर से लेकर १०० मीटर से भी ऊपर की लम्बाई के बंडल थे जिनके विषय में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि उन्हें विदित ही नहीं था कि टाटपट्टी के २० मीटर के ही टुकड़े होने चाहिये.

१०२. संचालक, लोक शिक्षण ने अपने पत्र दिनांक ११ मार्च, १९६८ में संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को निम्न प्रकार की सूचना दी थी :—

"As soon as the entry is made in the register it should be verified from the bills and the verification report sent to this office along with one copy of the bill. In order that the payment is not delayed and the allotment is not lapsed it should be better if the verification is conveyed either by telegram or by trunk call. Any delay in sending the verification report to this office will be your responsibility."

उक्त आदेश में यह स्पष्ट संकेत किया गया है कि आवंटित राशि व्यपगत न होने देने के लिये देयकों का भुगतान तुरन्त किया जाना है और अच्छा यही होगा कि माल प्राप्त होते ही स्टाक रजिस्टर में तुरन्त दर्ज किये जाने के पश्चात् तार या ट्रंक काल द्वारा मिलान की रिपोर्ट संचालक, लोक शिक्षण को भेज दी जाय. साथ ही साथ संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को यह ताकीद दी गई थी कि ऐसा न करने पर बिल की चुकौती न होने तथा आवंटित रकम व्यपगत होने की जिम्मेदारी उन पर होगी. चूंकि संचालक, लोक शिक्षण द्वारा संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि टाटपट्टी के बीस-बीस मीटर के ही टुकड़े लेना है इसलिये वे सम्यक जांच नहीं कर सके. संचालक, लोक शिक्षण के उक्त आदेश का आशय भी यही था कि बिल प्राप्त होते ही तुरन्त उस पर सत्यापन करके भेज दिया जाय और भेजने के पहिले तार या ट्रंक काल से संचालनालय को तुरन्त सूचित किया जाय ताकि उसकी रकम तुरन्त चुका दी जाय.

१०३. उपर्युक्त कण्डिका ९७ के क्रमांक (१) के विषय में श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने क्रय की गई टाटपट्टी कहां-कहां, कितनी-कितनी व किस दिनांक को प्राप्त हुई, इसकी जानकारी उनके संचालनालय के पत्र दिनांक २ व १३ अगस्त, १९६८ द्वारा दी है जो निम्न प्रकार है :—

संभाग का नाम (१)	टाटपट्टी की तादाद बंडलों में (२)	मीटर (३)	प्राप्ति का दिनांक (४)
१. होशंगाबाद	२८६	..	२८-५-६८
	१९०	..	३-६-६८
	१९०	..	४-६-६८
	१९०	..	५-६-६८
	१८९	..	७-६-६८
	३५	..	७-६-६८
कुल योग	१०८०		
	(बंडलों पर अंकित लंबाई के अनुसार १ लाख मीटर)		
२. रायपुर	१५४	१४०८२	३०-४-६८
	१९०	१७९५०	२-५-६८
	१८५	१७१७६	७-५-६८
	३८१	३२५९८	७-५-६८
	१८०	१७७६३	१७-५-६८
	१०७	९९८६	१८-५-६८
	१०	४६७	१८-५-६८
कुल योग	१२०७	१,१०,०२२	
३. भोपाल		१६७३५	४-३-६८
		१०४२३	२२-३-६८
		५८२३	२२-३-६८
		९२६२	२९-३-६८
		१९९७७	७-४-६८
		१७९८६	१०-४-६८
		१६७८४	१०-४-६८
		१६७८१	१३-४-६८
		२९२४७	२४-४-६८
कुल योग		१,४०,०१८	
४. उज्जैन	४८४	..	७-४-६८
	३८५	..	१९-६-६८
	३१६	..	२०-६-६८
	४००	..	२१-६-६८

(१)	(२)	(३)	(४)
	१९९	..	२२-६-६८
	४९०	..	२५-६-६८
कुल योग	२२७४		
५. रीवा ..	३४९	..	१९-४-६८
	४००	..	२६-४-६८
	४००	..	२६-४-६८
	४००	..	२७-४-६८
	४००	..	२८-४-६८
	३५०	..	२९-४-६८
	३९९	..	२-५-६८
	४००	..	५-५-६८
	३८९	..	१३-५-६८
	३६४	..	१५-५-६८
	८६	..	१३-६-६८
कुल योग	३९३७		
६. जबलपुर .	३५०	..	२९-३-६८
	३५०	..	१९-४-६८
	३००	..	२६-४-६८
	३८६	..	१४-५-६८
	३२५	..	१-६-६८
कुल योग	१७११		
७. इन्दौर ..	३००	..	२६-३-६८
	२७५	..	२७-३-६८
	२७५	..	२८-३-६८
	३५०	..	८-४-६८
	४९९	..	१८-४-६८
कुल योग..	१६९९		
८. ग्वालियर ..	४००	१८८८३	३-६-६८
	४००	१८८३०	७-६-६८
	१२००	५९०४०	१०-६-६८
	३५०	१६५७७	१२-६-६८
	१९१	१८१७३	१२-६-६८
	७००	३२८९१	१२-६-६८
	१९२	१९०११	१५-६-६८
	१९२	१८३५९	१५-६-६८

(१)	(२)	(३)	(४)
	४००	१८८२९	१७-६-६८
	१००	६४०२	१९-६-६८
कुल योग	४१२५	२,३०,०००	
६. विलासपुर ..	८४	७५६८ गज	१५-५-६८
दिनांक २-६-६८ के पश्चात् प्राप्त हुई टाटपट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है.	१७०	१७६६८ गज	२४-५-६८
	१८०	१८७२५ गज	२५-५-६८
	३६०	३७२३९ गज	२-६-६८
कुल योग	७९४	८१२६० गज	

१०४. उक्त विवरण में समिति के समक्ष संबंधित अधिकारियों की साक्ष्य में टाटपट्टियों की नाप व वजन की जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार टेन्डर के साथ टाटपट्टी का जो नमूना दिया गया था उसके एक मीटर के टुकड़े का वजन (आर्टिकल १) ३७० ग्राम था. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने जो अपने दिनांक ११ मार्च १९६८ के पत्र की कंडिका ६ में दर्शाये गये अनुसार जो नमूना भेजा था उस नमूने के एक मीटर लम्बे टुकड़े का वजन ३७० ग्राम होना चाहिये था परन्तु वह भोपाल में ३४० ग्राम, ग्वालियर में ३५० ग्राम, सीधी में ३५० ग्राम, जबलपुर में ३३४ ग्राम, बिलासपुर में ३५५ ग्राम, रायपुर में ३५० ग्राम, इन्दौर में ३३० ग्राम तथा उज्जैन में ३५८ ग्राम का था. वहां प्रदाय की गई टाटपट्टी जिन्हें समिति ने निरीक्षण करके तौला तो उनके एक मीटर के टुकड़े का वजन नमूने के टुकड़े के वजन से बहुत कम था.

१०५. समिति को आश्चर्य है कि नमूने के टुकड़े इतने कम तथा भिन्न-भिन्न वजन के विभिन्न संभागों में क्यों भेजे गये और उससे भी कम वजन का माल क्यों स्वीकार किया गया. सीधी में प्राप्त टाटपट्टी के एक मीटर के टुकड़े का वजन २७५ ग्राम का जो विभिन्न संभागों में प्रदाय किये गये माल में जिसका समिति द्वारा निरीक्षण किया गया उसमें न्यूनतम था. इससे प्रतीत होता है कि इस तरह से माल स्वीकार करने से शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है व परिणामस्वरूप टेन्डरर को इस व्यवहार में अनुचित लाभ हुआ है. संचालक, लोक शिक्षण द्वारा टेन्डर के साथ दिये गये टाटपट्टी के एक मीटर के नमूने के वजन से कम वजन के नमूने के टुकड़े संभागों में भेजना तथा टेन्डरर से उससे भी कम वजन वाली टाटपट्टी स्वीकार करना शंका का विषय बन जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार अवश्य हुआ होगा. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक २८-२-६८ को जो करारनामा लिखा गया है उसके चरण २ में श्री राजकिशन गुप्ता ने स्पष्ट रूप से यह शर्त मान्य की है कि एक मीटर के टुकड़े का वजन नमूने के अनुसार होगा. (यह वही नमूना है जो आर्टिकल १ है तथा जिसका वजन ३७० ग्राम है). इस प्रकार के वजन के संबंध में महत्वपूर्ण शर्त इकरारनामें में होते हुए भी संचालक, लोक शिक्षण द्वारा संभागीय अधीक्षकों का ध्यान न आकर्षित करना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है और समिति का निश्चित मत है कि व्यापारी को अनुचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई.

१०६. उक्त कण्डिकाओं में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि प्राप्त टाटपट्टी आवश्यक विवरण (स्पेसिफिकेशन) तथा शर्तों के अनुसार ठीक नहीं थी. उसकी डिलीवरी मध्यप्रदेश में विभिन्न संभागीय शिक्षा अधीक्षकों ने ली. जैसा कि ऊपर की कंडिकाओं में दर्शाया गया है वे सब माल को विवरण

(स्पेसिफिकेशन) के अनुसार चेक नहीं कर सके क्योंकि वे विवरण (स्पेसिफिकेशन) से अनभिज्ञ थे तथा उन्हें उस तरह के स्पष्ट आदेश भी नहीं थे. इस विषय पर संचालक, लोक शिक्षण द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई.

१०७. विचारणीय विषय क्रमांक १ (७)—नियमानुसार शासन की आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी क्या? उक्त रकम बैंक से निकालने में तथा उसकी चुकौती करने में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता गैर कानूनी कार्य तथा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है?

शासन की आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जिन ज्ञापनों के द्वारा दी गई है उनके संबंधित उद्धरण नीचे दिये गये हैं :—

(१) शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक ३६३/बाईस/डी. एस.आई/६८, दिनांक २६ जनवरी, १९६८.

To

The Secretary to Government
Madhya Pradesh,
Finance Department,
Bhopal.

Subjeot.—Utilisation of expected savings under Education Departmen—tPlan Budget—1967-68.

Orders of the Chief Minister, have been obtained for incurring an expenditure of Rs. 32 lakhs, on the following items :—

1. Supply of tatpatties and furniture to Primary and Middle Schools .. .. .. Rs. 20 lacs.

* * *

2. The expenditure on the above items is to be met out of the savings of the Education Department-Plan—by re-appropriation. Since all the items are new and there is no budget provision for them token advance from Contingency Fund is necessary, for each.

* * *

4. It is, requested that advances as requested above may be sanctioned from the Contingency Fund immediately so that action to implement the above proposals may be taken.

Sd/- V. P. Sheth,
Deputy Secretary to Govt., M. P.,
Education Deptt."

(२) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक ७४२/चार-बी-३/६८, दिनांक २ फरवरी, १९६८.

"To

The Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Education Department,
BHOPAL.

Subject.—Advance from Contingency Fund—Utilisation of expected savings under Education Department—Plan budget—1967-68.

Reference.—Your memo. No. 363/22 D.S. 1/68, dated the 30th January, 1968.

Government are pleased to sanction an advance of Rs. 32,00,000/- (Rupees thirty two lakhs) only, from the Contingency Fund for incurring the expenditure on the items as per details given below, during the current year :—

(1) Supply of Tatpatties and furniture to Middle and Primary Schools Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lakhs),

* * *

2. The advance should be recouped by obtaining a token supplementary grant of Rs. 100/- each under the following heads :—

For item (1) above—

(i) "28-Education-Plan-B-Secondary-B-I-Government Secondary Schools-B.1 (3)—Middle Schools—Contingencies",

* * *

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

N. R. DWIVEDI,

Under Secretary to Government,
M. P., Finance Department."

(३) शिक्षा विभाग का ज्ञापन क्रमांक २०१/२८४/बीस-तीन/६८, दिनांक १३ फरवरी, १९६८ (एक्जीबिट पी-११५).

"To

The Director of Public Instruction,
Madhya Pradesh, BHOPAL.

Subject.—Advance from Contingency Fund—Utilisation of Expected Savings under Education Department—Plan Budget.

Reference.—Finance Department Memo. No. 742/IV-B/III-68 dated the 2nd February, 1968.

The State Government are pleased to sanction an amount not exceeding Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs only) for purchase of Tatpatties and furniture for

Government Primary and Middle Schools during the current year. Out of this amount of Rs. 20 lakhs material (Tatpatties, Black Boards, Buckets, etc.) worth Rs. 3.20 lakhs will be utilised for Primary/Middle Schools under the Tribal and Harijan Welfare Department. The remaining amount of Rs. 16.80 lakhs would be spent for the Schools of Education Department as under :—

1. Primary Schools—		Rs.
(i) Tatpatties (10 lakh feet at the rate of Re. 1 per foot)	..	10 lakhs.
(ii) Black Boards (20,000 at the rate of Rs. 15 per Board)	..	3 lakhs
(iii) Buckets and mugs (20,000 at the rate of Rs. 5)	..	1 lakh
	Rs.	14 lakhs
2. Middle Schools—		Rs.
(i) Tatpatties (1,75,000 feet at the rate of Re. 1 per foot)	..	1,75,000
(ii) Black Boards (3,500 at the rate of Rs. 25 per Board)	..	87,590
(iii) Buckets and mugs (3,500 at the rate of Rs. 5)	..	17,500
	Grand Total Rs.	16,80,000

* * * *

The purchase should be made according to store purchase Rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

S. C. MISRA,

Under Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Education Department."

(४) शिक्षा विभाग का ज्ञापन क्रमांक ३१६/२८४/बीस/तीन/६८, दिनांक ६ मार्च, १९६८ (एक्जीबिट क्र. पी।११६).

"To

The Director of Public Instruction,
Madhya Pradesh, Bhopal.

Subject.—Purchase of Tatpatties, black boards, buckets for Primary/Middle Schools.

Reference.—Finance Department memo. No. 742/IV-B/III/68, dated the 2nd February 1968.

In supersession of the orders contained in this department memo. No. 201/284-XX-III/68, dated the 13th February, 1968 the State Government are pleased to sanction purchase of equipment such as tatpatties, black boards, buckets, etc. costing Rs. 16,80,000 (Rupees sixteen lakhs and eighty thousand) only, for Government Primary and Middle schools during the current year. An allotment of Rs. 16,80,000

(Rupees sixteen lakhs and eighty thousand) out of the advance of Rs. 20,00,000 (Twenty lakhs) sanctioned by Finance Department from the contingency fund under their memo. referred to above is accordingly placed at your disposal for the purpose.

*　　*　　*　　*

3. The purchase should be made according to store purchase Rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

S. C. MISRA,
Under Secretary to Government, Madhya Pradesh,
Education Department."

१०८. उक्त ज्ञापनों से प्रतीत होता है कि २० लाख रुपये टाट पट्टी इत्यादि खरीदने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई थी तथा वित्त विभाग द्वारा उक्त रकम आकस्मिक निधि से निकालने की स्वीकृति दी गई थी. उसमें शिक्षा विभाग के ज्ञापन, दिनांक १३ फरवरी, १९६८ में प्राइमरी स्कूल के लिये एक रुपये प्रति फुट के हिसाब से दस लाख फीट टाटपट्टी के लिये दस लाख रुपये तथा माध्यमिक शालाओं के लिये एक रुपये प्रति फुट के हिसाब से १ लाख ७५ हजार फीट टाटपट्टी के लिये १ लाख ७५ हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे. इस ज्ञापन की अंतिम कंडिका में यह आदेश दिये गये हैं कि टाटपट्टी की खरीदी स्टोर परचेज नियमों के अनुसार की जाय.

१०९. संचालक, लोक शिक्षण के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक स्टेनो/डी. पी. आई. /६८/१०४६, दिनांक ५ मार्च, १९६८ में सूचित किया गया था कि शिक्षा विभाग के दिनांक १३ फरवरी, १९६८ के उक्त ज्ञापन द्वारा २० लाख रुपये की टाटपट्टी खरीदने की स्वीकृति के साथ ही साथ टाटपट्टी की दर तथा लम्बाई भी दी गई है जिससे वह स्वीकृति बहुत कड़ी (rigid) हो गई है. चूंकि टाटपट्टी की दर टेंडरों में दी गई कम स कम दर पर निर्भर रहेगी और उसी के अनुसार स्वीकृत धनराशि का माल खरीदा जायगा. इसलिये दर एवं लम्बाई इत्यादि स्वीकृति में नहीं रहना चाहिये. इसलिये प्रार्थना की गई थी कि दर व लम्बाई न देते हुए पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की जाय. तदनुसार शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक १३ फरवरी, १९६८ की स्वीकृति निरस्त करते हुए दिनांक ६ मार्च, १९६८ के ज्ञापन द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई. इस पुनरीक्षित स्वीकृति में भी पूर्व में जारी की गई स्वीकृति के अनुसार यह आदेशित किया गया है कि टाटपट्टी की खरीदी स्टोर परचेज नियमों के अनुसार की जाय.

११०. चूंकि उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के शिक्षा विभाग की बचत को उपयोग में लाने हेतु दी गई थी, यह स्वीकृति फायनानशियल कोड भाग १ के नियम ७० के अनुसार दिनांक ३१ मार्च, १९६८ को व्यपगत हो जाती है इसलिये उसमें स्वीकृत की गई रकम का उपयोग दिनांक ३१ मार्च, १९६८ तक ही किया जा सकता था और उसी दिनांक तक इस स्वीकृति के अनुसार खरीदी की जानी थी तथा खरीदी के पश्चात् उसी दिनांक तक रकम बैंक से निकालकर चुकौती की जानी चाहिये थी. श्रीमती चौधरी संचालक, लोक शिक्षण द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार जो धनराशि टाटपट्टी की खरीदी के बिलों के लिये भुगतान की गई है, उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

संभाग (१)		धनराशि जो भुगतान की गई (२)	भुगतान करने की तारीख (३)
		रु. पै.	
भोपाल	..	२२५९२.२५	७-३-६८
"	..	१४०७१.०५	२५-३-६८
"	..	७८६१.०५	२५-३-६८
"	..	८१०००.००	२७-४-६८

(१)	(२)	(३)
	रु. पै.	
भोपाल	६३४७५.६५	२७-४-६८
इन्दौर	६७५००.००	२४-४-६८
"	४०५००.००	२४-४-६८
जबलपुर	६०७५०.००	१४-५-६८
"	४७२५०.००	५-६-६८
रीवा ..	१३५०००.००	१६-५-६८
"	११४७५०.००	१६-५-६८
रायपुर ..	१४८५००.००	१८-५-६८
बिलासपुर ..	१०८०००.००	४-६-६८
होशंगाबाद ..	६७५००.००	६-६-६८
"	६७५००.००	६-६-६८
ग्वालियर ..	३१०५००.००	२१-६-६८
उज्जैन ..	१६५७५०.००	२५-६-६८
योग ..	१५५२५००.००	

१११. श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा १३ कण्टिन्जेण्ट बिलों में टाटपट्टी की रकम का भुगतान करने के लिये १५,५२,५०० रु. की राशि दिनांक ३१ मार्च, १९६८ के पहिले निकाली गई है उनके विषय में देयक इत्यादि की जानकारी निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	कन्टिन्जेन्ट बिल क्रमांक व दिनांक	बिल की रकम	संभाग	कन्टिन्जेन्ट बिल तथा सहपत्र आदि का विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रु. पै.		
१	६६२ दिनांक ७-३-६८	२२५६२.२५	भोपाल	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) मेमो नं. एकाउन्ट (०)-एच ६७-१०३ दिनांक ७-३-६८. (३) राजकिशन गुप्ता चालान नं. २ दिनांक ४-३-६८. (४) राजकिशन गुप्ता का क्रेडिट बिल नं. १ दिनांक ४-३-६८. रुपये २२५६२.२५ (दो प्रतियों में). (५) रसीद दिनांक ७-३-६८ रुपये २२५६२.२५ के लिये.
२	१०३० दिनांक २५-३-६८	२१,६३२.१०	भोपाल	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल. (२) मेमो नं. १५२ दिनांक २५-३-६८ (३) बिल नं. २ दिनांक २२-३-६८ राजकिशन गुप्ता. (४) चालान (५) क्रेडिट बिल नं. ३ दिनांक २२-३-६८ चालान नं. ३ दिनांक २२-३-६८ के साथ.

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रु. पै.		(६) दो स्टैम्प्ड रसीदें दिनांक २५-३-६८ (१) रुपये १४०७१.०५ और (२) रुपये ७८६१.०५ की.
३	१०७१ दिनांक २८-३-६८	८१,०००.००	भोपाल	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. २२, दिनांक २६-३-६८ दो प्रतियों सहित. (३) मेमो नं. २३२ दिनांक २७-४-६८ (४) स्टाम्प्ड रसीद नं. ४ दिनांक २७-४-६८ रुपये ८१,०००.०० की.
४	१०६१ दिनांक २८-३-६८	६३,४७५.६५	भोपाल	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. १३, दिनांक २६-३-६८ दो प्रतियों में. (३) मेमो नं. २३३ दिनांक २७-४-६८ (४) स्टाम्प्ड रसीद नं. ३ दिनांक २७-४-६८ रुपये ६३४७५.६५ की.
५	१०६७ दिनांक २८-३-६८	१,०८,०००.००	इन्दौर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. १० और १९ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) मेमो नं. २१५ दिनांक २४-४-६८ स्टाम्प्ड रसीद नं २ दिनांक २४-४-६८ रुपये १,०८,०००.०० की.
६	१०५९ दिनांक २८-३-६८	६०,७५०.००	जबलपुर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. ७ दिनांक २६-३-६८ दो प्रतियों में. (३) मेमो नं. २९५ दिनांक १४-५-६८. (४) स्टाम्प्ड रसीद नं. ५ दिनांक १४-५-६८ रुपये ६०,७५०.०० की.
७	१०७० दिनांक २८-३-६८	४७,२५०.००	जबलपुर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. १६, दिनांक २६-३-६८ दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. १० दिनांक ५-६-६८ रुपये ४७,२५०.०० की.

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		रु. पै.		
८	१०६६ दिनांक २८-३-६८	२,४६,७५०.००	रीवा	(१) कन्टिन्जेंट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. १२ और २१ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. ७ दिनांक १६-५-६८ रुपये २,४६,७५० की.
९	१०६९ दिनांक २८-३-६८	१,४८,५००.००	रायपुर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. १४ और ५ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. ८ दिनांक १८-५-६८ रु. १,४८,५०० की.
१०	१०६० दिनांक २८-३-६८	१,०८,०००.००	बिलासपुर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) स्टाम्प्ड रसीद नं. ९ दिनांक ४-६-६८. (३) क्रेडिट बिल नं. १५ और ६ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में रु. १,०८,००० की.
११	१०६८ दिनांक २८-३-६८	१,३५,०००.००	होशंगाबाद	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल (२) क्रेडिट बिल नं. ८ और १७ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. ११ दिनांक ६-६-६८ रु. १,३५,००० की.
१२	१०७३ दिनांक २८-३-६८	३१०,५००.००	ग्वालियर	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल नं. १०७३ (२) क्रेडिट बिल नं. ९ और १८ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. १४ दिनांक २१-६-६८ रु. ३,१०,००० की.
१३	१०७२ दिनांक २६-३-६८	१,६५,७५०.००	उज्जैन	(१) कन्टिन्जेन्ट बिल क्रेडिट बिल नं. २० और ११ दिनांक २६-३-६८ प्रत्येक दो प्रतियों में. (३) स्टाम्प्ड रसीद नं. १५ दिनांक २५-६-६८ रु. १,६५,७५० की.

११२. उक्त कंटिन्जेन्ट बिलों से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के ६ शिक्षा संभागों में जितनी भी टाटपट्टी प्रदाय की गई है उन सब के देयक दिनांक ३१ मार्च, १९६८ के पहिले संचालक, लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा उन्हें संचालक, लोक शिक्षण ने चुकौती के लिये पारित कर दिया था और वह सब रकम दिनांक ३१ मार्च, १९६८ के पहिले ही बैंक से निकाल ली गई थी. उक्त रकम देयकों के अनुसार उक्त विवरण में बताई गई तिथियों को चुकाथी गई है जिसकी पावती के दिनांक उक्त विवरण में दिये गये हैं. उक्त विवरण से यह पता लगता है कि भोपाल के केवल दो देयक २२,५९२, रुपये २५ पैसे दिनांक ७ मार्च, १९६८ को तथा २१,९३२ रु. १० पैसे दिनांक २५ मार्च, १९६८ को चुकाये गये हैं. शेष देयकों की रकम उक्त विवरण में बताये गये दिनांकों को, जो कि ३१ मार्च, १९६८ के पश्चात् के ही हैं, बैन्क ड्राफ्ट द्वारा चुकाई गई जिसकी पावती चुकौती के दिनांक की है.

११३. उक्त १३ कन्टिन्जेन्ट बिलों के साथ जो क्रेडिट बिल संलग्न हैं उनके ऊपर अंग्रेजी में निम्न प्रकार छपा है :—

"Credit Bill

RAJKISHAN GUPTA

Selling Agents:

The Kharda Jute Company Limited, CALCUTTA

Head Office :
Delhi Darwaja, 13 Chatta,
GHAZIABAD

Branoh Office :
C—7 B Sector, H. E. L.,
BHOPAL."

क्रेडिट बिल के नीचे निम्न प्रकार मुद्रित है :—

"For Raj Kishan Gupta
Prop./Manager."

Prop./Manager के ऊपर बी. डी. अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं. भोपाल संभाग से संबंधित प्रथम दो देयकों पर उप-संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिया है :—

"The Tatpatties have been purohased according to the Store Purohase Rules. The goods has been reoeived in good condition and aocording to the samples approved."

शेष ११ देयकों में स्टोर परचेज नियमों के अनुसार क्रय किये जाने का प्रमाण पत्र दिनांक २७-३-६८ को श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण ने दिया है.

ग्यारहों देयकों में निम्नानुसार प्रमाणपत्र हैं :—

"Certified that the purchase has been made according to store purchase rules.

B. P. Shrivastava,
27-3-68.
Asstt. Direotor of Public Instruotion,
Madhya Pradesh."

इस प्रमाणपत्र के नीचे संबंधित संभागीय शिक्षा अधीक्षक ने प्रमाणपत्र दिया है कि टाटपट्टी अच्छी हालत में तथा नमूने के अनुसार प्राप्त हुई हैं.

११४. श्री राजकिशन गुप्ता (साक्ष्य क्र. २४) ने दिनांक १२ अगस्त, १९६८ को अपनी साक्ष्य के समय कबूल किया था कि वे खारडा जूट कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के सेलिंग एजेन्ट नहीं हैं. वे गाजियाबाद में कोई बिजनेस नहीं करते. इस टाटपट्टी के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही इनके पास कोई कागज हैं. वे गाजियाबाद में और कहीं भी कोई व्यापार नहीं करते. उनकी जायदाद कुल ५०,६० हजार रुपये की है जो गाजियाबाद में है जिसका किराया मासिक मकान का करीब १२५ रुपये मिलता है और उसी से उनका गुजर बसर होता है और कोई धंधा-व्यापार नहीं है. उन्होंने यह भी बतलाया कि जिस प्रकार का फार्म लैटर हैड ऊपर दिये गये बिलों में है उन्होंने नहीं छपवाया तथा टेलीफोन नं. २७६३ उनका नहीं है. इससे स्पष्ट है कि जिस तरह से टेन्डर के लिये तथा पत्र-व्यवहार के लिये श्री डी. पी. अग्रवाल ने इस तरह के लैटर हैड देकर कागज छपवाया है उसी अनुसार इन बिलों के फार्म भी उन्हीं ने छपवाये हैं जो कि जाली हैं. चूंकि श्री राजकिशन गुप्ता की कोई फर्म नहीं है देयकों में श्री बी. डो. अग्रवाल द्वारा पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर करना तथा देयकों की रकम प्राप्त कर हस्ताक्षर करना बिलकुल जाली तथा अवैध है.

११५. श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अधिकांश बिलों पर स्टोर परचेज नियम के अनुसार क्रय किये जाने का दिनांक २७ मार्च, १९६८ को प्रमाणपत्र दिया जाना बिलकुल असत्य है क्योंकि उस दिनांक के पश्चात् ही अधिकांश माल प्राप्त हुआ है. उक्त कण्डिकाओं में यह दर्शाया गया है कि स्टोर परचेज नियमों का पालन इस क्रय में नहीं किया गया है. इस प्रमाण-पत्र से केवल बिल पारित कर रकम बैंक से निकालने के लिये औपचारिक रस्म (फार्मेलिटी) पूरी की गई है. श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र देने का उनका आचरण अत्यन्त आपत्तिजनक है.

११६. इसी अनुसार संबंधित संभागीय शिक्षा अधीक्षकों ने भी उक्त बिलों पर नमूने के अनुसार माल अच्छी दशा में प्राप्त होने का प्रमाणपत्र दिया है जिनमें अधिकतर प्रमाणपत्र देने के दिनांक अंकित नहीं हैं. इससे स्पष्ट है कि माल प्राप्त होने के पहिले ही इन बिलों पर केवल बिल पारित कर रकम बैंक से निकालने के लिये औपचारिक रस्म (फार्मेलिटी) की अदायगी की गई है. रस्म अदा करने के लिये झूठी कार्यवाही की गई है और प्रमाणपत्र के अनुसार नमूने से प्राप्त माल का मिलान वगैरह नहीं किया गया.

११७. समिति को विभिन्न संभागों के दौरे के समय यह भी पता लगा कि श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा, जबलपुर और उज्जैन स्वतः गये थे. उन्होंने रीवा में जो लिखित निर्देश दिये थे वे निम्न प्रकार हैं:—

"नोट

संचालक महोदय के मौखिक आदेशानुसार आपसे निवेदन है कि:—

(१) आपके संभाग को सप्लाई की गई टाटपट्टियों के रोल्स पर लिखित रोल्स की लम्बाई को नोट करते हुए प्रत्येक रोल्स की वास्तविक लम्बाई को भी सामने अंकित कीजिए. इस प्रकार प्राप्त होने वाली टाटपट्टियों की कुल संख्या की सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके.

(२) जिले में जिला शिक्षा अधिकारी को टाटपट्टियों को बांटते समय जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जावें कि वे स्कूलों में टाटपट्टियां बांटते समय संबंधित प्रधानाध्यापकों से वास्तविक टाटपट्टियों की संख्या लम्बाई सहित प्राप्त करलें. प्रधानाध्यापक एक रसीद स्वयं संचालक महोदय के नाम पर भोपाल भेज दें ताकि संचालक महोदय को टाटपट्टियों के वितरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके.

बी. एल. गोयल,
१५-५-६८
शिविर रीवा.

संभागीय शिक्षा अधीक्षक
रीवा संभाग."

११८. श्री श्यामबिहारीलाल शर्मा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन ने समिति के समक्ष अपनी साक्ष्य में समिति को बतलाया कि "दिनांक २५ जून, १९६८ को श्री गोयल, डी. एस. ई. भोपाल यहां आये थे और टाटपट्टी सप्लाई के बिल्स में यह लिखाकर कि सामान लिखे मुताबिक आ गया है, ले गये हैं. हमने बिल्स में केवल इतना ही लिखा है कि "Contents received" किन्तु "verified" नहीं लिखा है. इसी समय २५ जून १९६८ को सप्लायर की ओर से एक लड़का भी आया था." इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा संचालनालय में श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल शायद एक ही ऐसे उपयुक्त अधिकारी हैं जिनका कलकत्ता, रीवा, जबलपुर, उज्जैन में जाना पाया जाता है.

११९. शिक्षा संचालनालय से जो इस प्रकरण में लेख्य संग्रह प्राप्त हुए हैं उनमें श्री राजकिशन गुप्ता द्वारा लिखा हुआ दिनांक ६ मार्च, १९६८ का पत्र है. इस पत्र के द्वारा श्री राजकिशन गुप्ता ने ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी के व्यवहार के संबंध में श्री बी. डी. अग्रवाल नाम के किसी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिये अधिकृत किया है किन्तु समिति का यह निश्चित मत है कि इस प्रकार का पत्र श्री बी.डी. अग्रवाल के हित में कोई वैध अधिकार पत्र नहीं है. इसके कारण निम्नलिखित है:—

(१) श्री राज किशन गुप्ता ने समिति के समक्ष जो साक्ष्य दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस टाटपट्टी के व्यवहार में उनका कोई संबंध नहीं है. ऐसी स्थिति में उनके द्वारा श्री बी. डी. अग्रवाल को अधिकार पत्र देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

(२) श्री राजकिशन गुप्ता ने समिति के समक्ष जो साक्ष्य दी है उसमें भी उन्होंने कहीं संकेत नहीं किया है कि टाटपट्टी के व्यवहार के संबंध में उन्होंने श्री बी. डी. अग्रवाल को अधिकार पत्र दिया है.

(३) श्री राजकिशन गुप्ता के द्वारा जो दिनांक ६ मार्च, १९६८ का उपर्युक्त पत्र दिया गया है उस पर संचालक लोक शिक्षण द्वारा श्री बी. डी. अग्रवाल को श्री राजकिशन गुप्ता का एजेन्ट मानने का कोई आदेश नहीं है.

(४) इस प्रकार के सादे पत्र पर इतनी बड़ी धनराशि के व्यवहार के लिये इस प्रकार का अधिकार पत्र वैध नहीं माना जा सकता. उसका नियमानुसार योग्य स्टाम्प पर पंजीकृत होना आवश्यक है

(५) यदि विवाद के लिये इसको योग्य अधिकार पत्र मान भी लिया जाये तो भी यह केवल ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी के लिये ही है. इस कारण इस पत्र के आधार पर जहां तक अतिरिक्त ५ लाख मीटर टाटपट्टी के व्यवहार का संबंध है, श्री बी. डी. अग्रवाल श्री राज किशन गुप्ता के प्रतिनिधि के रूप में मान्य नहीं हो सकते.

उपरोक्त कारणों से श्री बी. डी. अग्रवाल को श्री राजकिशन गुप्ता का प्रतिनिधि मान लेना अवैध है

१२०. उक्त कंडिकाओं के विवरण से प्रतीत होता है कि संचालक, लोक शिक्षण ने १५,५२,५०० रुपये की राशि ३१ मार्च, १९६८ के पहिले बैंक से निकाल ली थी और देयकों की चुकौती उक्त विवरण में दिये गये दिनांकों के अनुसार ३१ मार्च, १९६८ के पश्चात् दिनांक २६ जून, १९६८ तक करती रहीं. उक्त देयकों की रसीदों से विदित होता है कि देयकों की चुकौती के लिये संचालक द्वारा बैंक ड्राफ्ट दिये गये थे क्योंकि उनका संदर्भ रसीदों में मिलता है. सभी रसीदें श्री बी. डी. अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित हैं. इससे स्पष्ट होता है कि ३१ मार्च, १९६८ के पहिले जो रकम बैंक से निकाली गई है उनके बैंक ड्राफ्ट उक्त विवरण में दिये गये कन्टिन्जेंट बिलों में दर्शायी गई रकम के अनुसार प्राप्त किये गये थे.

१२१. मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड खण्ड १ का अनुपूरक नियम २८४ निम्न प्रकार है:—

"284. No money shall be drawn from the treasury unless it is required for immediate disbursement. It is a serious irregularity to draw advances from the treasury in anticipation of demands or to prevent the lapse of budget grants. Persons at fault render themselves liable to disciplinary action for such drawals."

१२२. इस विषय में मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने अपने ज्ञापन क्रमांक २०६५।२१८५।चार-र-६।६६ दिनांक ३०-१२-६८ में, जिसकी प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों को भी भेजी गई है, निम्नलिखित आदेश दिये थे :—

"Inspite of these cleai instructions some heavy drawals were made from Government Treasuries on the last days of the financial year 1965-66 in order to prevent lapse of budget grants. Such drawals clearly contravene the provisions of S. R. 284 of M. P. Treasury Code, Vol. I.

*　　　　*　　　　*　　　　*

Government desire that these provisions should be strictly adhered to."

१२३. उक्त विवरण से यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक ७ मार्च तथा २५ मार्च, १९६८ को जो रुपये २२५९२.२५ पैसे, रुपये १४०७१.०५ पैसे तथा रुपये ७८६१.०५ पैसे के भुगतान किये गये हैं वे शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति के अन्तर्गत आते हैं किन्तु दिनांक २४ अप्रैल, १९६८ से २५ जून १९६८ तक के जो रुपये १५,०७,९७५.६५ पैसे के भुगतान किये गये हैं वे उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत नहीं आते. इससे यह स्पष्ट है कि श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा ३१ मार्च १९६८ के पहले इतनी बड़ी रकम बैंक से इस उद्देश्य से निकाली गई है कि वह रकम व्यपगत न होने पावे एवं उसकी चुकौती ३१ मार्च, १९६८ के पश्चात् की जा सके. इस तरह से रकम निकाल कर रखना मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड खण्ड १ के उक्त नियम तथा शासन के उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है. फायनेंशियल कोड भाग १ के नियम ७० के अनुसार उक्त स्वीकृति ३१ मार्च, १९६८ को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के साथ ही साथ व्यपगत हो चुकी थी. टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ तथा श्री राजकिशन गुप्ता के दिनांक २८ फरवरी १९६८ के करारनामे के अनुसार भी टाटपट्टी का प्रदाय दिनांक १५ मार्च, १९६८ तक किया जाना था. समयावधि बढ़ा कर दिनांक २५ जून, १९६८ तक टाटपट्टी लेते जाने तथा उसकी रकम का भुगतान करने का श्रीमनी एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण को कोई अधिकार नहीं था. १ अप्रैल, १९६८ के पश्चात् जो भी टाटपट्टी प्राप्ति की रकम की चुकौती की गई है उसके लिये कोई स्वीकृति न होने के कारण बैंक से ३१ मार्च, १९६८ के पहले रकम निकालने तथा उसकी चुकौती करने में श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अनियमितता तथा अनधिकृत कार्यवाही की गई है.

१२४. ऊपर बताये गये १३ कन्टिन्जेन्ट बिलों के साथ श्री राजकिशन गुप्ता के जो देयक संलग्न हैं उनसे प्रतीत होता है कि श्री बी. डी. अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित बिल दिये गये हैं तथा रकम की प्राप्ति की रसीदें भी श्री बी. डी. अग्रवाल के हस्ताक्षर की हैं. चंकि टेन्डर श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से स्वीकार हुआ था और उस टेन्डर पर श्री राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं थे और उन्होंने भी समिति के समक्ष साक्ष्य के समय इस व्यवहार में उनका न होना स्वीकार किया है, इससे स्पष्ट है, कि कोई दूसरा व्यक्ति राजकिशन गुप्ता के नाम पर यह सब कार्य अवैध रूप से कर रहा है तथा श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण की मौनानुमति है.

१२५. उक्त कारणों से विचारणीय विषय क्रमांक १ (७) का उत्तर यह है कि नियमानुसार यद्यपि आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करली गई थी परन्तु बैंक से रकम निकालकर रखने तथा उसकी चुकौती करने में घोर अनियमितता हुई है और इस समस्त कार्यवाही में संबंधित अधिकारियों द्वारा असावधानी बरती गई है.

१२६. विचारणीय विषय क्रमांक १ (८) टाटपट्टी इत्यादि निश्चित समय के अन्दर प्राप्त हो गई क्या और यदि नहीं हुई तो टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

संचालक, लोक शिक्षण के टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ की कंडिका १० के अनुसार सम्पूर्ण सामग्री आर्डर में निर्देशित स्थानों पर दिनांक १५ मार्च, १९६८ के पूर्व प्रदाय हो जानी चाहिये थी. यदि इस दिनांक तक सम्पूर्ण सामग्री अभीष्ट स्थानों पर प्राप्त नहीं हुई तो अर्नेस्ट मनी तथा जमानत की राशि जप्त किये जाने का प्रावधान है. दिनांक २८ फरवरी, १९६८ के करारनामे की कंडिका ४ के अनुसार भी १५ मार्च, १९६८ के पूर्व के आर्डर के पूरे माल का प्रदाय का करार है तथा कंडिका ३ में टेन्डर में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में करारकर्ता जमा किये गये अर्नेस्ट मनी तथा जमानत की रकम संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा जप्त कर लिये जाने के लिये अनुबंधित था.

१२७. विचारणीय विषय क्रमांक १ (९) में (कंडिका क्रमांक १०३) विवरण दिया गया है कि क्रय की गई टाटपट्टी की कितनी मात्रा किस दिनांक को किस संभाग में प्राप्त हुई है जिससे स्पष्ट है कि टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ में दी गई शर्तों तथा करारनामे के अनुसार केवल भोपाल संभाग में दिनांक ४ मार्च, १९६८ को १९७३५ मीटर टाटपट्टी प्रदाय की गई थी तथा शेष टाटपट्टी १५ मार्च, १९६८ के पश्चात् दिनांक २५ जून, १९६८ तक भिन्न-भिन्न मात्रा में भिन्न-भिन्न दिनांकों को प्रदाय की गई है.

१२८. टेन्डर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८ की कंडिका ४ के अनुसार अर्नेस्ट मनी दस हजार रुपये था जो कि टेन्डर के साथ जमा किया गया था. कंडिका ६ के अनुसार आर्डर की कुल राशि की ५ प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में आर्डर दिये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी थी. पहले साढ़े छः लाख मीटर टाटपट्टी के प्रदाय का आदेश १ रुपये ३५ पैसे प्रति मीटर के हिसाब से दिया गया था जिससे उसकी कीमत ८,७७,५०० रुपये होती थी. इसका ५ प्रतिशत ४३,८७५ रुपये उक्त कंडिका ६ के अनुसार जमानत की राशि थी. चूंकि दिनांक १५ मार्च, १९६८ तक संपूर्ण सामग्री अभीष्ट स्थानों पर नहीं प्रदाय की गई थी इसलिये दस हजार रुपये अर्नेस्ट मनी तथा ४३,८७५ रुपये जमानत की राशि जप्त होना चाहिये थी. किन्तु संचालक, लोक शिक्षण के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि टेन्डर नोटिस की कंडिका ६ के अनुसार आर्डर की कुल राशि के ५ प्रतिशत की धनराशि रुपये ४३,८७५ जिसका जमा करवाना अनिवार्य था, अवधि के अन्दर जमा नहीं करवाई गई व इस प्रकार संचालक, लोक शिक्षण ने इस महत्व के प्रतिबन्ध का पालन टेन्डरर से नहीं करवाया.

१२९. श्रीमती चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण से उनके साक्ष्य के समय यह जानकारी चाही गई थी कि आर्डर के रकम की ५ प्रतिशत रकम टेन्डरर से क्यों नहीं जमा करवाई गई. उस पर श्रीमती एफ. चौधरी ने समिति को जानकारी दी थी कि उन्होंने टेण्डर के कुछ बिल्स जिसका भुगतान होना है इसके बदले में रोक दिया गया है. समिति ने उन्हें वे रोके गये बिल्स समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये बार-बार पत्र लिखे किन्तु अत्यन्त खेद है कि वे अभी तक समिति के समक्ष न तो प्रस्तुत किये गये और न उस संबंध में कोई जानकारी ही दी गई. इससे वे बिल्स कितनी रकम के थे, किसके नाम के थे, तथा वे किस दिनांक के बिल थे इस जानकारी से समिति बिलकुल वंचित रही है.

१३०. ६॥ लाख मीटर टाटपट्टी का आदेश दिनांक १७ फरवरी, १९६८ को टेन्डरर को दिया गया था व टेन्डर की शर्तों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर, अर्थात २४ फरवरी, १९६८ तक जमानत की पांच प्रतिशत रकम जमा हो जाना था. यदि संचालक, लोक शिक्षण के कथनानुसार उन्होंने कोई बिल रोक रखे हों तो दिनांक २४ फरवरी, १९६८ के पूर्व के जो देयक हों वे ही रोके जा सकते थे किन्तु श्री राजकिशन गुप्ता ने अपनी साक्ष्य के समय स्पष्ट कहा है कि संचालनालय शिक्षा विभाग से उनका कोई व्यवहार नहीं हुआ है. टेन्डर श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से स्वीकार हुआ है. इसलिये समिति का स्पष्ट मत है कि रोके गये बिल श्री राजकिशन गुप्ता के नहीं हो सकते यदि उन्होंने अन्य किसी व्यक्ति के बिलों का भुगतान रोक रखा हो तो वह अनुचित ही माना जायगा.

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती चौधरी का यह कथन कि जमानत के एवज में उन्होंने दो बिल रोक रखे हैं, संदेहात्मक है.

१३१. ऊपर की कंडिकाओं से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक १८ मार्च, १९६८ को श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा बिना टेन्डर नोटिस निकाले अवैध रूप से पांच लाख मीटर टाटपट्टी के प्रदाय का आदेश टेन्डर नोटिस क्रमांक १ सन् १९६८ की शर्तों के अनुसार ३० मार्च, १९६८ तक प्रदाय करने के लिये उसी टेन्डरर को दिया गया था. पांच लाख मीटर टाटपट्टी का मूल्य १ रु. ३५ पैसे प्रति मीटर की दर से रु. ६,७५,००० होता है. इसका प्रतिशत ३३,७५० रु. जमानत की रकम थी. यह रकम भी न तो जमा कराई गई न जब्त की गई.

१३२. उक्त कण्डिकाओं में दिये गये विवरण के अनुसार विचारणीय विषय क्रमांक १(८) का उत्तर यह है कि टाटपट्टी निश्चित समय के अन्दर नहीं प्राप्त हुई. टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार अर्नेस्ट मनी के दस हजार रुपये तथा जमानत की राशि की रकम रु. ४३,८७५+रु. ३३,७५० =रु. ७७,६२५ नहीं जप्त की गई तथा उसके लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई.

१३३. विचारणीय विषय क्रमांक २—उक्त खरीदी में विभागीय या दूसरे किसी शासकीय या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता, गैर कानूनी कार्यवाही, पक्षपात, भ्रष्टाचार या घोटाला किया गया है क्या और किया गया है तो क्या किया गया है और उसका उत्तरदायी कौन है ?

विचारणीय विषय क्रमांक ३—उक्त खरीदी में क्रयादेश देने या दिलाने में किसी विभागीय अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुचित रूप से स्वतः के लिये कोई वित्तीय या दूसरा लाभ प्राप्त किया गया है क्या ? यदि किया गया है तो किस प्रकार व कितना ?

उपर्युक्त विषय क्रमांक २ व ३ में जो विषय अंकित किये गये हैं वे एक दूसरे से संबंधित होने के कारण समिति यह उचित समझती है कि इनका विवेचन एक साथ किया जाये. विचारणीय विषय क्रमांक १ के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ८ विषयों पर उक्त कंडिकाओं में विवेचन करते समय समिति ने किन-किन अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की अनियमितता और कर्त्तव्यहीनता बरती गई है उसका विवेचन किया जा चुका

१३४. इस प्रकरण के विषय में समिति को शिक्षा विभाग तथा संचालक, लोक शिक्षण से जो नस्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे विदित होता है कि शासन द्वारा टाटपट्टी क्रय के लिये शिक्षा सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि वित्त सचिव व उनके प्रतिनिधि व संचालक, लोक शिक्षण की एक केन्द्रीय क्रय समिति नियुक्त की गई थी. इस केन्द्रीय क्रय समिति की केवल एक बैठक दिनांक १६ फरवरी, १९६८ को हुई जिसकी कार्यवाही परिशिष्ट ५ में दी गई है. इस बैठक में केन्द्रीय क्रय समिति के समक्ष संचालक, लोक शिक्षण द्वारा ११ वैध टेण्डरों का एक तुलनात्मक विवरण (एक्जीबिट पी-११४) प्रस्तुत किया गया था. इस विवरण में श्री राजकिशन गुप्त को मेसर्स राजकिशन गुप्ता संशोधित किया गया है. उनका टेण्डर उनके व्यक्तिगत नाम से है. समिति को यह समझ में नहीं आया कि श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से परिवर्तन कर उसे फर्म का रूप क्यों दिया गया. क्रय समिति इस अवैधानिक कार्य को नहीं पकड़ सकी. इस तुलनात्मक विवरण को देखकर क्रय समिति द्वारा किसी एक टेण्डरदाता का टेन्डर स्वीकार करना था. टाटपट्टी की जांच करते समय जिस प्रकार की सावधानी व सतर्कता बरतना चाहिये थी वह नहीं बरती

गई. जिन महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय लेना था उन विषयों के निर्णय भी उनकी कार्यवाही में नहीं हैं. शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक १३-२-६८ की प्रथम वित्तीय स्वीकृति को रद्द कराकर दिनांक ६ मार्च, १९६८ को दूसरी वित्तीय स्वीकृति निकलवाने के पूर्व शिक्षा सचिव और संचालक, लोक शिक्षण से वित्तीय स्वीकृति में परिवर्तन कराने संबंधी चर्चा हुई थी जो शिक्षा विभाग के अवर सचिव श्री सुखचन्द मिश्र द्वारा नस्ती की टिप्पणी दिनांक २३-२-६८ में लिखा गया था. इससे स्पष्ट होता है कि क्रय समिति द्वारा खरीदी संबंधी सभी विषयों पर जैसे टाटपट्टी की तादाद तथा अतिरिक्त टाटपट्टी किससे व किस प्रकार खरीदना है का निर्णय किया जाना आवश्यक था. यदि ऐसा किया गया होता तो अतिरिक्त पांच लाख मीटर टाटपट्टी खरीदने का आदेश केवल संचालक, लोक शिक्षण न दे पाते और संभवतः उसी डोलर से नहीं खरीद सकतीं. क्रय समिति के सदस्यों में से वित्त सचिव के प्रतिनिधि के संबंध में यह माना जा सकता है कि क्रय समिति द्वारा कोई विवरण भी तैयार किये जाने की जानकारी न रही हो, किन्तु क्रय समिति के अध्यक्ष शिक्षा सचिव तथा क्रय समिति के सचिव संचालक लोक शिक्षण के संबंध में ऐसी मान्यता नहीं हो सकती कि उनकी जानकारी में यह नहीं था जब कि इन्हीं दोनों ने चर्चा करके शिक्षा विभाग की दिनांक ६-३-६८ की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति जारी कराने हेतु निर्णय लिया था. क्रय समिति ने श्री राजकिशन गुप्ता के टेण्डर की भी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल नहीं की.

१३५. क्रय समिति के सदस्य श्री हनुमन्तराव, सचिव, शिक्षा विभाग तथा श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग से समिति के समक्ष साक्ष्य से विदित हुआ कि क्रय समिति का कार्य टेण्डर की जांच तक ही सीमित था तो भी समिति को इस बात को देखकर अत्यन्त खेद होता है कि इन दोनों उच्च पदाधिकारियों ने राजकिशन गुप्ता के टेण्डर को बारीकी से नहीं देखा व व्यक्तिगत नाम के टेण्डर को "फर्म" का टेण्डर मानकर वैसा दिनांक १६-२-६८ के कार्य विवरण में अंकित कर दिया. यह इनका कृत्य अत्यन्त असावधानी का है. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत टेण्डरदाता की वित्तीय स्थिति, कार्य का अनुभव, धंधे की क्षमता, व्यापारिक साख इत्यादि भी नहीं देखी गई. क्रय समिति ने किसी एक अधिकारी को राजकिशन गुप्ता की फर्म के गोदाम / फेक्टरी में कलकत्ता जाकर नमूने से जांच करके कब्जा लेने का जो निर्णय लिया था वह भी अद्भुत था क्योंकि माल का कब्जा टेण्डरदाता द्वारा निर्देशित संभागीय स्थानों पर देने का अनुबन्धन था.

१३६. संचालक, लोक शिक्षण ने अपने टेन्डर नोटिस में पूर्ण विवरण (स्पेसिफिकेशन) नहीं दिये. टाटपट्टी के एक मीटर के टुकड़े का वजन न देने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश रही. इसके फलस्वरूप ३७० ग्राम प्रति मीटर वजन का टेन्डर स्वीकार करने के पश्चात् उससे बहुत कम वजन के एक मीटर के टाटपट्टी के टुकड़े नमूने के रूप में विभिन्न संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को भेजे गये तथा उन नमूनों से भी कम वजन का माल लिया गया.

१३७. संचालक, लोक शिक्षण ने टेन्डर नोटिस के प्रारूप की जांच विधि विभाग से नियमों के अनुसार नहीं कराई जिससे कि उनकी शर्तें अधूरी रहीं तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश रही. ५ प्रतिशत जमानत के रूप में जो रकम जमा की जानी थी वह भी जमा नहीं कराई गई. ६।। लाख मीटर टाटपट्टी का टेन्डर नोटिस निकालने के पश्चात् बिना टेन्डर नोटिस निकाले ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी प्रदाय के आदेश उसी व्यक्ति को दिये गये. इस अतिरिक्त प्रदाय के लिए श्री राजकिशन गुप्ता से न कोई करारनामा लिखाया गया और न टेन्डर नोटिस के अनसार ५ प्रतिशत जमानत की रकम जमा कराई गई.

१३८. (१) टेन्डर नोटिस में सुस्थापित व्यापारी से ही टेंडर आमंत्रित किये गये थे फिर भी श्री राजकिशन गुप्ता सुस्थापित व्यापारी हैं या नहीं इस विषय में लेशमात्र भी आधार न होते हुए किसी एक अज्ञात व्यक्ति के नाम पर श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल द्वारा दिया गया टेंडर स्वीकार किया गया.

(२) एक मीटर लम्बी टाटपट्टी के नमूने का वजन ३७० ग्राम होते हुए भी लगभग ३३० ग्राम से ३५८ ग्राम तक के एक मीटर के नमूने विभिन्न संभागों में तुलना के लिए भेजे गये व नमूने से भी कम वजन का माल स्वीकार किया गया.

(३) टेन्डर नोटिस तथा करारनामे के अनुसार निर्धारित अवधि के पश्चात् भी टाटपट्टी प्रदाय करने की अनुमति अधिकार न रहते हुए भी श्रीमती चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण द्वारा दी गई.

(४) शर्तों के पूरे न किये जाने पर भी अर्नेस्ट मनी रु. १०,००० (दस हजार) तथा जमानत की रकम रु. ७७,६२५ जप्त करने सम्बन्धी कोई आदेश श्रीमती चौधरी ने नहीं दिया.

(५) श्री राजकिशन गुप्ता का व्यक्तिगत टेन्डर होते हुए भी मेसर्स राजकिशन गुप्ता के नाम का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया तथा उसी नाम से करारनामा लिखाया गया.

(६) श्री राजकिशन गुप्ता के नाम के टेन्डर पर उनके हस्ताक्षर न होते हुए तथा इस पर श्री रमेश अग्रवाल द्वारा राजकिशन गुप्ता के जाली हस्ताक्षर करने पर भी श्री राजकिशन गुप्ता से करारनामे पर हस्ताक्षर लिये गये व इस बात के लिए कोई सावधानी नहीं बरती गई.

(७) श्री राजकिशन गुप्ता के लिए श्री बी. डी. अग्रवाल को प्रतिनिधि मान लिया गया एवं उनकी फर्म अस्तित्व में है या नहीं इसकी कोई छानबीन न करके श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को इस प्रकरण में सब व्यवहार करने दिया गया.

(८) श्री राजकिशन गुप्ता के नाम की आड़ में श्री द्वारकाप्रसाद व श्री बी. डी. अग्रवाल को माल प्रदाय करने की समयावधि अनधिकृत रूप से बढ़ाई गई.

(९) श्री बिहारी लाल गोयल, सम्भागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल को खासगी तौर पर माल की जांच के लिए कलकत्ता भेजा गया व उनसे जांच सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया.

(१०) श्री बिहारीलाल गोयल द्वारा कलकत्ता में अद्भुत तथा अवैध तरीके से टाटपट्टी का कब्जा लिया गया.

(११) टेन्डर नोटिस में २० मीटर लम्बाई के टुकड़ों की शर्त होते हुए भी ४५ से लगाकर ९५ मीटर तथा इससे भी ऊपर तक के टुकड़ों के बंडलों को मान्य किया गया.

(१२) विभिन्न संभागों में प्राप्त टाटपट्टी की तुलना टेन्डर के साथ प्राप्त नमूने से नहीं की गई.

(१३) ३१ मार्च के पूर्व १५,५२,५०० रुपये की राशि बैंक से निकालकर देयकों की राशि का भुगतान करने के लिए रख ली गई तथा इसकी चुकौती २५ जून, १९६८ तक की गई.

(१४) देयकों में प्राप्त टाटपट्टी को पूरी तरह से जांचे बिना उस पर झूठे प्रमाणपत्र दिये गये कि सब माल ठीक हालत में नमूने के अनुसार प्राप्त हुआ. इन झूठे प्रमाणपत्रों पर श्री श्रीवास्तव सहायक संचालक, लोक शिक्षण ने हस्ताक्षर किये हैं.

(१५) १५,५२,५०० रुपये के १३ देयकों को बिना अच्छी तरह जांचे संचालक, लोक शिक्षण द्वारा भुगतान के आदेश दे दिये गये.

(१६) टेन्डर नोटिस में प्रकाशित की गई शर्तें बदलने का संचालक, लोक शिक्षण को अधिकार न रहते हुए पुन: टेन्डर नोटिस न निकालते हुए ५ लाख मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी का श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से आदेश निकाला गया.

(१७) जिस प्रकार श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर की शर्तें शिथिल कर उनका टेन्डर स्वीकृत किया गया उसी प्रकार दूसरे अस्वीकृत किये गये टेन्डरों की शर्तों को शिथिल नहीं किया गया यद्यपि उनकी दरें श्री राजकिशन गुप्ता के टेन्डर में दी गई दरों से बहुत कम अर्थात् १ रुपये ८ पैसे प्रति मीटर तक की थी.

१३९. साधारण व्यवहार में भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ अनुचित रूप से स्वयं के लिए कोई आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करना माना जाता है किन्तु अनुचित प्रक्रिया से अपने अधिकार का दुरुपयोग करके दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करना भी भ्रष्टाचार है. यह एक आपराधिक दुराचरण भी है. रामनाथ अय्यर की पुस्तक ला लैक्सिकन के पृष्ठ २४९ में (Corruption) का अर्थ निम्न प्रकार दिया गया है :--

"Something against law, something forbidden by law, as certain acts by arbitrators, election or other officers, trustees, an act done with intent to gain an advantage not consistent with official duty and the rights of others."

आपराधिक दुराचरण की परिभाषा प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट, १९४७ (क्रमांक २, सन् १९४७) की धारा ५ में निम्नानुसार दी गई है :--

"5(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct—

* * *

(d) if he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other persons any valuable thing or pecuniary advantage, or"

१४०. संचालक, लोक शिक्षण इस सद्भावना से प्रेरित हो सकती है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत वर्षों से टाटपट्टी न मिलने के कारण उन्हें बैठने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध एवं शासन से टाटपट्टी के लिए प्राप्त स्वीकृति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए किन्तु इस प्रकार की सद्भावना रहते हुए भी यदि इस कार्य को कार्यान्वित करते समय अपने अधिकार का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ उठाने दिया जाये तो वह दुराचरण ही माना जायेगा.

१४१. समिति का यह मत है कि उपर्युक्त समस्त गम्भीर अनियमिततायें और अवैधानिकतायें तथा पक्षपात भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत करते हैं व उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुंचती है :--

(१) श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने इस टाटपट्टी के प्रकरण में टेण्डर नोटिस मंगाने में, टेण्डर स्वीकृत करने में, बिल्स का भुगतान करने में गम्भीर अनियमितता की है. इकरारनामे व टेन्डर नोटिस की शर्तों का उन्होंने पालन नहीं करवाया व अन-अधिकृत कार्य किया व इस प्रकार के व्यवहार से उन्होंने श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ दिलवाया है व शासन को आर्थिक हानि भी पहुंचाई है. उनके इस समस्त आचरण से उनके विरुद्ध अनियमितता, घोटाले व भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं.

(२) श्री हनुमन्तराव, शिक्षा सचिव एवं श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग को टेण्डरों की जांच करते समय जिस प्रकार की सावधानी व सतर्कता बरतनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं बरती, इस कारण उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति दुर्लक्ष्य किया है.

(३) श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक ने जिस प्रकार से टाटपट्टी के बण्डलों की जांच करनी थी व जो सावधानी बरतनी थी वह उन्होंने बिलकुल ही नहीं बरती बल्कि खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता में टाटपट्टी की जांच के लिये नाम मात्र की प्रक्रिया अपनाई व अपने इस व्यवहार से उन्होंने श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल व वी. डी. अग्रवाल को अनुचित लाभ दिलवाया. इस कारण वे कर्तव्यहीनता, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के दोषी हैं.

(४) श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण भोपाल ने रकम के भुगतान के बिलों पर दिनांक २७-३-६८ को जो प्रमाणीकरण किया है, वे बिलकुल ही असत्य है, क्योंकि २७-३-६८ के पश्चात् माल आया है व माल आने के पूर्व ही इस प्रकार का प्रमाणीकरण करने का कृत्य गम्भीर दुराचरण है.

(५) श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने इस टाटपट्टी के व्यवहार में अनुचित आर्थिक लाभ उठाने की दृष्टि से अत्यधिक दुराचरण किया है. उन्होंने श्री राजकिशन गुप्ता की अनुमति प्राप्त न करके तथा उसको लेशमात्र भी जानकारी दिये बिना, श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से झूठे लेटर हेड्स छपवाये व इस टाटपट्टी के व्यवहार में अनुचित लाभ उठाने के लिये उनका उपयोग किया. वैसे ही जो लेटर हेड्स उन्होंने छपवाये उसमें श्री राजकिशन गुप्ता को खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता का सैलिंग एजेन्ट बताकर शासन के अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से असत्य जानकारी छपवाई. वास्तव में राजकिशन गुप्ता खारडा जूट कम्पनी कलकत्ता के सैलिंग ऐजेन्ट नहीं हैं.

(६) वैसे ही इस टाटपट्टी के व्यवहार से श्री राजकिशन गुप्ता का कोई संबंध न होते हुए भी श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने अपने पुत्र श्री रमेश अग्रवाल से श्री राजकिशन गुप्ता के जाली हस्ताक्षर करवाकर जाली टेन्डर बनवाया. टेन्डर जिस पर कि श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के पुत्र श्री रमेश अग्रवाल ने भी श्री राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर किये हैं वे श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल द्वारा कराये गये हैं. इस प्रकार श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने अनुचित लाभ उठाने के लिए जालसाजी एवं धोखाधड़ी की है, समिति के समक्ष झूठी साक्ष्य दी है और श्री राजकिशन गुप्ता के साथ दिनांक १२-८-६८ को ६ फरवरी, १९६८ की तारीख डालकर एक पत्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत करवाया है जो एक्जीबिट पी-११२ है. इस पत्र को देखने पर समिति ने यह नोट किया था कि एक्जीबिट पी-१११ व ११२ दोनों पत्र दिनांक १२-८-६८ को ही टंकित करवाये गये हैं व इस प्रकार श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने समिति के समक्ष दिनांक ६ फरवरी, १९६८ की तारीख डालकर एक बनावटी पत्र प्रस्तुत करवाया है.

(७) श्री राजकिशन गुप्ता का जो टेन्डर मंजूर हुआ है उनके नाम पर श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने टाटपट्टी का समस्त व्यवहार किया है व खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता से जो चालान व बिल आये हैं उनमें श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का ही नाम है (देखिये परिशिष्ट २ में एक्जीबिट पी. की सूची के क्रमांक ४५ ए, ४५ बी, ४६, ४८, ४९, ५०, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ८८, ८९, ९१). इस प्रकार श्री राजकिशन गुप्ता के नाम की आड़ में श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने अनुचित लाभ उठाया है. टेन्डर के साथ में ३७० ग्राम का नमूना (आर्टिकल १) प्रस्तुत किया गया था परन्तु उस नमूने के अनुसार माल न देकर कई स्थानों में अधिकांशत: ३७० ग्राम से कम वजन का माल दिया है और अनुचित लाभ उठाया है व शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई. इस प्रकार श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने जाली हस्ताक्षर बनाकर गम्भीर भ्रष्टाचार किया है.

१४२. विचारणीय विषय क्रमांक ४—उक्त खरीदी के संबंध में शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नुकसान हुआ है क्या और यदि हुआ है तो लगभग कितना ? इस नुकसान का उत्तरदायित्व किसका है ?

समिति को यह बताना सम्भव नहीं है कि इस व्यवहार में शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक कितने रुपयों का नुकसान हुआ है परन्तु समिति ने टाटपट्टी का जहां-जहां निरीक्षण किया है, जिन-जिन टाटपट्टियों के नमूने से तुलना की है उससे समिति का निश्चत मत है कि एक मीटर टुकड़े का वजन नमूने के टुकड़े से तो कम था ही किन्तु माल भी घटिया किस्म का था; इस आधार पर समिति निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस टाटपट्टी के व्यवहार में शासन को भारी आर्थिक हानि हुई है. इस नुकसान का उत्तरदायित्व किन-किन पर है इसका विवेचन पहिले की कण्डिकाओं में किया जा चुका है.

भाग ७—श्यामपट तथा बाल्टियों का क्रय

१४३. श्यामपट तथा बाल्टियों की खरीदी में संचालक, लोक शिक्षण और शिक्षा सचिव द्वारा बहुत संतर्कता व सावधानी बरती गई. यहां तक कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से इनकी कीमतें कम कराने का सफल प्रयास किया गया. इसके लिये सचमुच में संचालक, लोक शिक्षण तथा शिक्षा सचिव धन्यवाद के पात्र हैं. इस व्यवहार में कोई घोटाला नहीं हुआ है. वस्तुत: घोटाले के लिये कोई गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि लघु उद्योग निगम शासन का एक अंग ही है.

१४४. समिति ने इन्दौर में लघु उद्योग निगम के टिम्बर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट और इन्जीनियरिंग वर्क्स का भी निरीक्षण किया. वस्तुत: इन कारखानों की उत्पादन क्षमता आज जो वे उत्पादन कर रहे हैं उससे कई गुनी अधिक है. खेद की बात है कि शासन के विभागों द्वारा माल प्रदाय हेतु इन कारखानों की क्षमता का उपयोग ठीक समय पर तथा ठीक ढंग से करने की दिशा में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है.

भाग ८--निष्कर्ष

निष्कर्ष का सारांश

१४५. इस प्रतिवेदन में विचारणीय विषयों के तथ्यों पर चर्चा के पश्चात् समिति जिस निष्कर्ष पर पहुंची है वे सब प्रत्येक विचारणीय विषय की चर्चा के पश्चात् अन्त में दिये गये हैं. उन निष्कर्षों का सारांश निम्न प्रकार है :—

(१) नियमानुसार टेन्डर नहीं मंगाये गये.

(२) टेन्डर नोटिस में प्राप्त की जाने वाली टाटपट्टी इत्यादि के विषय में विवरण तथा शर्तें आवश्यकतानुसार ठीक नहीं थी.

(३) टेन्डर नोटिस उचित रीति से आवश्यक वर्तमान पत्रों में मध्यप्रदेश में तथा मध्यप्रदेश के बाहर विशेषकर कलकत्ता में प्रकाशित नहीं किया गया और टेन्डर भेजने के लिये उचित समय भी नहीं दिया गया.

(४) श्री राजकिशन गुप्ता का जाली तथा अनियमित टेन्डर स्वीकार करके बहुत बड़ा पक्षपात किया गया इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण पर है. टेन्डर के परीक्षण के समय श्री हनुमंतराव, सचिव, शिक्षा विभाग व श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उपसचिव, वित्त विभाग जो क्रय समिति के सदस्य थे, ने जो सावधानी व सतर्कता बरतनी चाहिये थी नहीं बरती.

(५) टाटपट्टी इत्यादि का कब्जा लेने के पहले उसकी जांच टेन्डर नोटिस में दिये गये विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार बिलकुल नहीं की गई. खारडा जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में जाकर श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल ने समुचित जांच नहीं की.

(६) प्राप्त टाटपट्टी आवश्यक विवरण (स्पेसिफिकेशन) तथा शर्तों के अनुसार बिलकुल ठीक नहीं थी. उसकी डिलीवरी मध्यप्रदेश में विभिन्न संभागीय शिक्षा अधीक्षकों ने ली. वे सब माल को विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार चेक नहीं कर सके क्योंकि वे विवरण (स्पेसिफिकेशन) से अनभिज्ञ थे तथा उन्हें उस तरह के आदेश भी नहीं थे. इस विषय पर संचालक, लोक शिक्षण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई.

(७) नियमानुसार यद्यपि आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी परन्तु बैंक से रकम निकाल कर रखने तथा उसकी चुकौती करने में घोर अनियमितता हुई है और इस समस्त कार्यवाही में संबंधित अधिकारियों द्वारा असावधानी बरती गई है.

(८) टाटपट्टी निश्चित समय के अन्दर नहीं प्राप्त हुई. टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार अर्नेस्ट मनी के दस हजार रुपये तथा जमानत की राशि की रकम रु. ४३,८७५+रु. ३३,७५०= रु. ७७,६२५ नहीं जब्त की गई तथा उसके लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई.

(९) श्रीमती एफ. चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण ने इस टाटपट्टी के प्रकरण में टेन्डर नोटिस मंगाने में, टेन्डर स्वीकृत करने में, बिल्स का भुगतान करने में गम्भीर अनियमितता की है. इकरारनामे व टेन्डर नोटिस की शर्तों का उन्होंने पालन नहीं करवाया व अनधिकृत कार्य किया व इस प्रकार के व्यवहार से उन्होंने श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ दिलवाया है व शासन को आर्थिक हानि भी पहुंचाई है. उनके इस समस्त आचरण स उनक विरुद्ध अनियमितता, घोटाले व भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं.

(१०) श्री हनुमंतराव, शिक्षा सचिव एवं श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग को टेन्डरों की जांच करते समय जिस प्रकार की सावधानी व सतर्कता बरतनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं बरती, इस कारण उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति दुर्लक्ष्य किया है.

(११) श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक ने जिस प्रकार से टाटपट्टी के बंडलों की जांच करनी थी व जो सावधानी बरतनी थी वह उन्होंने बिलकुल ही नहीं बरती बल्कि खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता में टाटपट्टी की जांच के लिये नाममात्र की प्रक्रिया अपनाई व अपने इस व्यवहार से उन्होंने श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल व बी. डी. अग्रवाल को अनुचित लाभ दिलवाया. इस कारण वे कर्त्तव्यहीनता, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के दोषी हैं.

(१२) श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल ने रकम के भुगतान के बिलों पर दिनांक २७-३-६८ को जो प्रमाणीकरण किया है, वे बिलकुल ही असत्य है, क्योंकि २७-३-६८ के पश्चात् माल आया है व माल आने के पूर्व ही इस प्रकार का प्रमाणीकरण करने का कृत्य गम्भीर दुराचरण है.

(१३) श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने इस टाटपट्टी के व्यवहार में अनुचित आर्थिक लाभ उठाने की दृष्टि से अत्यधिक दुराचरण किया है. उन्होंने श्री राजकिशन गुप्ता की अनुमति प्राप्त न करके तथा उनको लेश मात्र भी जानकारी दिये बिना, श्री राजकिशन गुप्ता के नाम से झूठे लेटर हेड्स छपवाये व इस टाटपट्टी के व्यवहार में अनुचित लाभ उठाने के लिये उनका उपयोग किया. वैसे ही जो लेटर हेड्स उन्होंने छपवाये उसमें श्री राजकिशन गुप्ता को खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता का सेलिंग एजेन्ट बताकर शासन के अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से असत्य जानकारी छपवाई. वास्तव में राजकिशन गुप्ता खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता के सेलिंग एजेन्ट नहीं हैं.

(१४) वैसे ही इस टाटपट्टी के व्यवहार से श्री राजकिशन गुप्ता का कोई संबंध न होते हुए भी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने अपने पुत्र श्री रमेश अग्रवाल से श्री राजकिशन गुप्ता के जाली हस्ताक्षर करवाकर जाली टेन्डर बनवाया. टेन्डर जिस पर कि श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल के पुत्र श्री रमेश अग्रवाल ने श्री राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर किये हैं वे श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल द्वारा कराये गये हैं. इस प्रकार श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने अनुचित लाभ उठाने के लिये जालसाजी एवं धोखाधड़ी की है, समिति के समक्ष झूठी साक्ष्य दी है और श्री राजकिशन गुप्ता के साथ दिनांक १२-८-६८ को ६ फरवरी, १९६८ की तारीख डालकर एक पत्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत करवाया है जो एक्जीबिट पी-११२ है. इस पत्र को देखने पर समिति ने यह नोट किया था कि एक्जीबिट पी-१११ व ११२ दोनों पत्र दिनांक १२-८-६८ को ही टंकित करवाये गये हैं व इस प्रकार श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने समिति के समक्ष दिनांक ६ फरवरी, १९६८ की तारीख डालकर एक बनावटी पत्र प्रस्तुत करवाया है.

(१५) श्री राजकिशन गुप्ता का जो टेन्डर मंजूर हुआ है उनके नाम पर श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने टाटपट्टी का समस्त व्यवहार किया है व खारडा जूट कम्पनी, कलकत्ता से जो चालान व बिल आये हैं उनमें श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का ही नाम है. इस प्रकार श्री राजकिशन गुप्ता के नाम की आड़ में श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने अनुचित लाभ उठाया है. टेन्डर के साथ में ३७० ग्राम का नमूना (आर्टिकल १) प्रस्तुत किया गया था परन्तु उस नमूने के अनुसार माल न देकर कई स्थानों में अधिकांशत: ३७० ग्राम से कम वजन का माल दिया है और अनुचित लाभ उठाया है व शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई इस प्रकार श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने जाली हस्ताक्षर बनाकर गम्भीर भ्रष्टाचार किया है.

(१६) यह बताना सम्भव नहीं है कि इस व्यवहार में शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक कितने रुपयों का नुकसान हुआ है परन्तु यह स्पष्ट है कि माल घटिया किस्म का होने से

इसमें शासन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. इस नुकसान का उत्तरदायित्व किन-किन पर है इसका विवेचन पहिले की कण्डिकाओं में किया जा चुका है.

(१७) श्यामपट तथा बाल्टियों की खरीदी में संचालक, लोक शिक्षण और शिक्षा सचिव द्वारा बहुत सतर्कता व सावधानी बरती गई. यहां तक कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से इनकी कीमतें कम कराने का सफल प्रयास किया गया. इसके लिये सचमुच में संचालक, लोक शिक्षण तथा शिक्षा सचिव धन्यवाद के पात्र हैं. इस व्यवहार में कोई घोटाला नहीं हुआ है. वस्तुत: घोटाले के लिये कोई गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि लघु उद्योग निगम शासन का एक अंग ही है.

भोपाल :

दिनांक ३१ अगस्त, १९६८.
दिन को ४—३० बजे

व. स. प्रधान,
३१-८-६८
सभापति.

चन्द्रप्रताप तिवारी,
सदस्य.

शि. प्र. चनपुरिया,
सदस्य.
३१-८-६८

शंकरलाल तिवारी,
सदस्य.
३१-८-६८

थानसिंह बिसेन,
सदस्य.
३१-८-६८

परिशिष्ट १

(कण्डिका ६ देखिये)

साक्षियों की सूची

साक्ष्य क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का दिनांक	स्थान
(१)	(२)	(३)	(४)
१	श्रीमती फ्लोरेन्स चौधरी, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल.	२४-४-६८ १२-८-६८	भोपाल
२	श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल	२५-४-६८ और २७-७-६८	भोपाल
३	श्री हीरजी गाला, मालिक, परमाणिक एन्ड कम्पनी, जवाहरगंज, जबलपुर.	१७-५-६८	भोपाल
४	श्री लक्ष्मीनारायण, प्रतिनिधि, एजुकेशनल सेल्स कार्पोरेशन दिल्ली—६.	१७-५-६८	भोपाल
५	श्री आर. सचदेव, पार्टनर, पी. आर. एम. एन्ड कंपनी, फालके का बाजार, लश्कर, ग्वालियर.	१७-५-६८	भोपाल
६	श्री मुरारीलाल, पार्टनर, मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान, भोपाल.	१७-५-६८	भोपाल
७	श्री श्रीकृष्ण, प्रतिनिधि, टैक्सटायल इंजीनियरिंग, सुभाष रोड, कलकत्ता, इतवारा रोड, यूनाइटेड ट्रेडिंग कार्पोरेशन के पास, भोपाल.	१७-५-६८	भोपाल
८	श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल.	१०-६-६८	भोपाल
९	श्री मनोहरलाल गर्ग, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, ग्वालियर	१३-६-६८	ग्वालियर
१०	श्री बी. एस. नायडू, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ..	१५-६-६८	रीवा
११	श्री चन्द्रदेव सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी ..	१६-६-६८	सीधी
१२	श्री आई. एस. चौहान, उप संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर.	१८-६-६८	जबलपुर

(१)	(२)	(३)	(४)
१३	श्री बी. डी. नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर	१८-६-६८	जबलपुर
१४	श्री एस. आर. दास, उप संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर.	२०-६-६८	बिलासपुर
१५	श्री दत्तात्रेय हरि खिरवड़कर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर.	२०-६-६८	बिलासपुर
१६	श्री रामरतन लाल तंबोली, क्राफ्ट असिस्टेन्ट, बिलासपुर	२०-६-६८	बिलासपुर
१७	श्री व्ही. एन. ठाकुर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर ..	२१-६-६८	रायपुर
१८	श्री व्ही. आर. धागड़े, संभागीय क्रीड़ा निरीक्षक, रायपुर	२१-६-६८	रायपुर
१९	श्री आर. एन. नायडू, जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट	२३-६-६८	बालाघाट
२०	कु. लीलाबाई व्यास, प्रभारी संभागीय शिक्षा अधीक्षक, इन्दौर.	६-७-६८	इन्दौर
२१	श्री श्यामबिहारीलाल शर्मा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन.	७-७-६८	उज्जैन
२२	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल, सुल्तानिया रोड, भोपाल ..	२६-७-६८	भोपाल
२३	श्री बी. पी. श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल.	२७-७-६८	भोपाल
२४	श्री राजकिशन गुप्ता, देहली दरवाजा, १३ छत्ता, गाजियाबाद.	१२-८-६८	भोपाल
२५	श्री एम. एच. राव, सचिव, शिक्षा विभाग	१३-८-६८	भोपाल
२६	श्री बी. एल. बीजावर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग ..	१३-८-६८	भोपाल
२७	श्री सुखचन्द मिश्र, अवर सचिव, शिक्षा विभाग ..	१३-८-६८	भोपाल
२८	श्री बृजकिशोर पटेरिया, सदस्य, विधान सभा ..	२८-८-६८	भोपाल

परिशिष्ट २

(कण्डिका १० देखिये)

प्रदर्श (एक्जीबिटस) पों की सूची

क्रमांक	विषय	किसके द्वारा व कब प्रस्तुत किया गया
(१)	(२)	(३)
१	परमानिक कम्पनी, जवाहरगंज, जबलपुर का दिनांक १२-२-६८ का टेन्डर.	श्री हीरजी गाला, मालिक परमानिक एण्ड कम्पनी, जवाहरगंज, जबलपुर, साक्ष्य क्र. ३ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
२	परमानिक कम्पनी, जवाहरगंज, जबलपुर का दिनांक २८-२-६८ का संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को पत्र.	
३	विवरण जिसमें भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये टेन्डरों में टाटपट्टों के भाव दिये गये हैं.	श्री हीरजी गाला, मालिक परमानिक एण्ड कम्पनी, जवाहरगंज, जबलपुर, साक्ष्य क्र. ३ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
४	एजूकेशनल सेल्स कारपोरेशन, न्यू कुतुब रोड, देहली-६ का दिनांक १३-२-६८ का टेंडर.	श्री लक्ष्मीनारायण, प्रतिनिधि, एजूकेशनल सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली-६ साक्ष्य क्र. ४ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
५	पी. आर. एम. एण्ड कम्पनी, फालके बाजार, लश्कर, ग्वालियर का दिनांक १३-२-६८ का टेन्डर.	श्री आर. सचदेव, पार्टनर, पी. आर. एम. एण्ड कम्पनी, फालके बाजार, लश्कर, ग्वालियर, साक्ष्य क्र. ५ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय देखकर इसका सत्यापन किया.
६	मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान, सुल्तानिया रोड, भोपाल का दिनांक १२-२-६८ का टेंडर.	श्री मुरारीलाल, पार्टनर, मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान, भोपाल, साक्ष्य क्र. ६ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय देखकर इसका सत्यापन किया.
७	हनुमान जूट मिल, कलकत्ता, खारडा जूट मिल, कलकत्ता तथा दी बरनगर फैक्टरी, कलकत्ता के भावों की सूचियां.	श्री मुरारीलाल, पार्टनर, मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान भोपाल, साक्ष्य क्र. ६ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.

(१)	(२)	(३)
८	टैक्सटाइल इंजिनियर्स, नेताजो सुभाष रोड़, कलकत्ता का दिनांक १०-२-६८ का टेंडर.	श्री कृष्ण, प्रतिनिधि, टैक्सटाइल इंजिनियरिंग, सुभाष रोड़, कलकत्ता,इतवारा रोड़, यूनाइटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास, भोपाल, साक्ष्य क्र. ७ ने दिनांक १७-५-६८ को साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
९	संचालनालय, लोक शिक्षण द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर, लघु उद्योग निगम, भोपाल को भेजा गया पत्र क्र. प्रा./आई./एफ./७२२-६७. दिनांक ७-२-६८.	दिनांक १०-६-६८ को श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष,लघु उद्योग निगम ने अपने साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
१०	मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल का संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को पत्र क्र. ला.उ. नि/१८/६८/७७०१, दिनांक १४-२-६८.	,, ,,
११	श्री बी. डी. श्रीवास्तव, अ. डा. पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा दिनांक २१-२-६८ को लघु उद्योग निगम द्वारा आठ बाल्टियां तथा आठ श्यामपट्ट के नमूने प्राप्त होने की रसीद की प्रतिलिपि.	दिनांक १०-६-६८ को श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम ने साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
१२	संचालक, लोक शिक्षण का पत्र क्र. स्टेनो-डी.पी. आई./६८/८४७, दिनांक १८-२-६८ का मैनेजिंग डायरेक्टर, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को नमूने अनमोदित किये जाने की सूचना.	दिनांक १०-६-६८ को श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम ने साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
१३	मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल, का संचालक, लोक शिक्षण को माल के प्रदाय के विषय में पत्र क्र. ल. उ. नि. (अठारह)/३८/६८/२८६५, दिनांक २६-३-६८.	,, ,,
१४	लघु उद्योग निगम द्वारा संभागों को भेजे गये श्यामपट्टों का विवरण.	श्री बलदेवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, भोपाल द्वारा दिनांक १०-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत की गई प्रतिलिपि.
१५	लघु उद्योग निगम द्वारा संभागों को भेजी गई बाल्टियों का विवरण.	
१५-क	इंजिनियरिंग वर्क्स इन्दौर तथा टिम्बर ट्रीटमेंट प्लान्ट इन्दौर की फैक्टरी में बनाये गये माल का ब्यौरा.	
१६	डिविजनल सुप्रिटेन्डेन्ट आफ एजूकेशन, रीवा की ६०० श्यामपट्ट तथा ५५० बाल्टियों की	श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, भोपाल ने अपनी साक्ष्य के समय दिनांक

(१)	(२)	(३)
	प्राप्ति का तथा श्यामपटों के टूट-फूट इत्यादि की शिकायत का तार.	१०-६-६८ को इसे देखकर सत्यापन किया.
१७	श्री त्रिम्बकराव, बढ़ई, जिसे श्यामपटों की दुरुस्ती के लिये रीवा भेजा गया था, की रिपोर्ट की प्रतिलिपि.	श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, भोपाल ने दिनांक १०-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
१८	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा द्वारा श्यामपटों की श्री त्रिम्बकराव कारपेन्टर के द्वारा की गई दुरुस्ती की रिपोर्ट की प्रतिलिपि.	" "
१९	श्री बी. डी. धीरेन, डिप्टी मैनेजर, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल का टाटपट्टी प्रदाय करने संबंधी संचालक, लोक शिक्षण को पत्र क्र. ल.उ.नि.-दस-ए./२१९, दिनांक १७-२-६८.	श्री बल्देवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, भोपाल ने अपनी साक्ष्य के समय दिनांक १०-६-६८ को इसे देखकर सत्यापन किया.
	ग्वालियर	
	श्री भार्गव स्टोर कीपर, कार्यालय, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, ग्वालियर संभाग द्वारा भारत रोडवेज, कलकत्ता को दी गई रसीद.	
२०	४०० बंडल टाटपट्टी की	श्री मनोहरलाल गर्ग, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, ग्वालियर ने दिनांक १३-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रतिलिपि प्रस्तुत की.
२१	४०० बंडल " ..	" "
२२	१२०० बंडल " ..	" "
२३	३५० बंडल " ..	" "
२४	१९१ बंडल , ..	" "
२५	७०० बंडल " ..	" "
२६	संचालक, लोक शिक्षण के ज्ञाप क्र. स्टेनो-डी.पी.आई./६८/१११९, दिनांक ११-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके अनुसार एक लाख मीटर टाटपट्टी का बंटन किया गया है.	" "
२७	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञाप क्र. स्टेनो/डी.पी.आई./६८/१२२५, दिनांक १८-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके द्वारा एक लाख तीस हजार मीटर टाटपट्टी अतिरिक्त का बंटन किया गया है.	" "

(१)	(२)	(३)
२८	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञाप क्र. स्टेनो/डी.पी. आई./६८/१८६५-ए, दिनांक ३०-४-६८ बाबत टाटपट्टी जिलों में तथा स्कूलों में वितरित न करने के संबंध में.	श्री मनोहरलाल गर्ग, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, ग्वालियर ने दिनांक १३-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रतिलिपि प्रस्तुत की.
२६	संभागीय शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर द्वारा सहायक संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को श्यामपटों की टूट-फूट आदि की शिकायत, दिनांक ७-५-६८.	" "
	रीवा (दिनांक १५-६-६८)	
३०	स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ ८६ की प्रतिलिपि जिसमें टाटपट्टी के बंडलों की संख्या तथा प्राप्ति की तिथि दी गई है.	श्री बी. एम. नायडू, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
	कार्यालय संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा संभाग द्वारा ट्रक में माल लाने वाले ड्रायवर को दी गई रसीद की प्रतिलिपि .	
३१	३४६ बंडल टाटपट्टी की	श्री बी. एम. नायडू, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
३२	४०० बंडल "	" "
३३	४०० बंडल "	" "
३४	४०० बंडल "	" "
३५	४०० बंडल "	" "
३६	३५० बंडल "	" "
३७	३६६ बंडल "	" "
३८	४०० बंडल "	" "
३६	३८६ बंडल "	" "
४०	३६४ बंडल "	" "
४१	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी.पी. आई./६८/१११६ दिनांक ११-३-६८ की	" "

(१)	(२)	(३)
	प्रतिलिपि जिसके अनुसार एक लाख मीटर टाटपट्टी बंटन की गई थी.	
४२	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी.पी. आई./६८/१२२५, दिनांक १८-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके अनुसार ८५,००० मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी बंटित की गई थी.	श्री बी. एम. नायड, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
४३	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा द्वारा नियुक्त माल की जांच समिति द्वारा किये गये जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि.	,, ,,
४३-ए	८६ टाटपट्टी के बंडलों की अंकित लम्बाई संबंधी विवरण.	,, ,,
४४	श्री बी. एल. गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल द्वारा रीवा कैम्प के समय संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा को दी गई टिप्पणी दिनांक १५-५-६८ की प्रतिलिपि.	श्री बी.एम. नायड, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रतिलिपि प्रस्तुत की.
४५-ए	नवभारत यातायात का चालान दिनांक २४-४-६८, ४०० बंडल टाटपट्टी का.	,, ,,
४५-बी	नवभारत यातायात का चालान दिनांक २४-४-६८, ४०० बंडल टाटपट्टी का.	,, ,,
४६	नवभारत यातायात का चालान क्र. ३५३, दिनांक २५-४-६८, ४०० बंडल टाटपट्टी का.	,, ,,
४७	कलकत्ता से श्री राजकिशन गुप्ता द्वारा दिनांक २४-४-६८ को संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा संभाग को भेजे गये तार की प्रतिलिपि (चार-चार सौ बंडलों के दो ट्रक रवाना किये जाने बाबत).	,, ,,
४८	भारत रोड़वेज कलकत्ता द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल द्वारा ३८६ बंडल टाटपट्टी भेजने की कनसाइन्मेन्ट रसीद (मूलतः) दिनांक ६-५-६८.	,, ,,
४६	खारडा कम्पनी कलकत्ता के मैनेजर द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को ३८६ बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में पत्र (मूलतः).	,, ,,

(१)	(२)	(३)
५०	खारडा कम्पनी, टोटागढ़ के मैनेजर द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को ३८९ बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में गेट-पास (मूलतः).	श्री बी. एम. नायडू, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रतिलिपि प्रस्तुत की.
५१	मेसर्स राजकिशन गुप्ता द्वारा संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा को दिनांक ३-६-६८ को चार हजार पचास मीटर कम प्राप्त हुई टाटपट्टी की पूर्ति के विषय में रजिस्टर्ड पत्र (मूलतः).	श्री बी. एम. नायडू, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने दिनांक १५-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
५२	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी.पी. आई./६८/१६६५/ए, दिनांक ३०-४-६८ की प्रतिलिपि.	,, ,,
	जबलपुर, दिनांक १८-६-१९६८.	
५३	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल का ज्ञापन क्र. स्टेनो/ डी. पी. आई./६८/१११९, दिनांक ११-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके द्वारा ४५,००० मीटर टाटपट्टी बंटित की गई है.	श्री बी.डी. नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर ने दिनांक १८-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
५४	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल का ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी.पी. आई/६८/१२२५, दिनांक १८-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके द्वारा ३५,००० मीटर अतिरिक्त टाटपट्टी बंटित की गई है.	,, ,,
५५	स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ ३०२ की प्रतिलिपि जिसमें टाटपट्टी की प्राप्ति के दिनांक तथा बंडलों की संख्या तथा नाप दिया गया है.	,, ,,
५६	खारडा कम्पनी कलकत्ता के मैनेजर द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को ३५० बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में गेट-पास (मूलतः).	,, ,,
५७	खारडा कंपनी कलकत्ता के मैनेजर द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को ३५० बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में गेट-पास (मूलतः).	,, ,,
५८	नवभारत यातायात, कलकत्ता का चालान दिनांक १७-४-६८, ३५० बंडल टाटपट्टी का (मूलतः).	,, ,,
५९	भारत रोडवेज कलकत्ता की कनसाइनमेंन्ट रसीद, दिनांक १७-४-६८ जिसके द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल, जबलपुर को ३५० बंडल टाटपट्टी भजी गई.	,, ,,

(१)	(२)	(३)
६०	खारडा कम्पनी, कलकत्ता के मैनेजर का श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल, जबलपुर को ३५० वण्डल और ५५ मीटर टाटपट्टी भेजने का पत्र दिनांक १६-४-६८ (मूलतः).	श्री बी. डी. नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर ने दिनांक १८-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
६१	नवभारत यातायात, कलकत्ता का चालान क्र. ३४२, दिनांक २३-४-६८ जिसके द्वारा ३०० बंडल टाटपट्टी श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल, जबलपुर को भेजे गये (मूलतः).	,, ,,
६२	खारडा कंपनी, कलकत्ता के मैनेजर का पत्र दिनांक २३-४-६८ जिसके द्वारा श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल, जबलपुर को ३०० बंडल टाटपट्टी के भेजे गये (मूलतः).	,, ,,
६३	बिसम्भर आफ राजकिशन गुप्ता, कलकत्ता द्वारा श्री नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर को ३०० बंडल टाटपट्टी भेजने संबंधी तार (मूलतः).	,, ,,
६४	स्टाक रजिस्टर का उद्धरण जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों ने माल के मिलान की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैं.	,, ,,
६५	स्टाक रजिस्टर की प्रतिलिपि जिसमें टाटपट्टियों की प्राप्ति का दिनांक, बंडलों की संख्या व किसकी ओर से प्राप्त हुए दिया है.	,, ,,
६६	स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ ३०७ की प्रतिलिपि जिसमें टाटपट्टी के ३५० और ३०० बंडलों का प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारियों ने किया है.	,, ,
६७	संचालक, लोक शिक्षण का ज्ञापन क्रमांक स्टेनो/डी. पी. आई./६८/१६६५/ए, दिनांक ३०-४-६८ जिसके द्वारा टाटपट्टियों के वितरण को रोकने के आदेश हैं.	,, ,,
६८	स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ ३०३ की प्रतिलिपि जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को वितरित टाटपट्टियों के बंडलों की दी गई संख्या तथा दिनांक है.	,, ,,

(१)	(२)	(३)
	बिलासपुर, दिनांक २०-६-६८	
६९	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल का ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी. पी. आई./६८/१११९, दिनांक ११-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके द्वारा ४५००० मीटर टाटपट्टी का बंटन किया गया था	श्री दत्तात्रय हरी खिरवड़कर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर ने दिनांक २०-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया
७०	संचालक लोक शिक्षण, भोपाल का ज्ञापन क्र. स्टेनो/ डी. पी. आई./६८/१२२५, दिनांक १८-३-६८ की प्रतिलिपि जिसके द्वारा ३५००० मीटर टाटपट्टी का अतिरिक्त बंटन किया गया था.	,, ,,
७१	स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ की प्रतिलिपि जिसमें टाटपट्टियों की प्राप्ति के दिनांक तथा बंडलों की संख्या तथा लम्बाई दी है.	,, ,,
७२	फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि. नार्थ मिल द्वारा गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन, को ८४ बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में चालान क्र. ३९, दिनांक ४-५-६८ (मूलतः).	,, ,,
७३	फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि. (नार्थ मिल) द्वारा गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन, चांदनी चौक, न्यू देहली को ८४ बंडल टाटपट्टी भेजने के विषय में गेट पास (मूलतः).	,, ,,
७४	फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि. (नार्थ मिल) का चालान नं ५३ दिनांक २१-५-६८ बावत १७० बंडल टाटपट्टी (मूलतः).	,, ,,
७५	फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि. (नार्थ मिल) की १७० बंडल टाटपट्टी की गेट पास क्र. ११३, दिनांक २१-५-६८ (मूलतः).	,, ,,
७६	फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि. (नार्थ मिल) का चालान क्र. ५५, दिनांक २२-५-६८, १८० बंडल टाटपट्टी का (मूलतः).	,, ,,
७७	नवभारत यातायात, कलकत्ता का लारी चालान क्र. ४२२, दिनांक २२-५-६८, १८० बंडल का (मूलतः).	,, ,,
७८	नवभारत यातायात, कलकत्ता का लारी चालान क्र. ४२१, दिनांक २१-५-६८, १७० बंडल टाटपट्टी का (मूलतः).	,, ,,

(१)	(२)	(३)
७९	राजकिशन गुप्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक ४-६-६८, डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, एजूकेशन, बिलासपुर को बावत ४९ बंडल टाटपट्टी भेजने (मूलत:).	श्री दत्तात्रय हरी खिड़वड़कर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर ने दिनांक २०-६-६८ को अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किया.
	(भारत रोडवेज, कलकत्ता का कनसाइन्मेंट दिनांक २१-५-६८, ४९ बंडल टाटपट्टी भेजने बावत बिल्टी (मूलत:). (यह एक्स-पी-७९ का संलग्न है).	,, ,,
८०	श्री रा. ला. तांबोली, वीव्हिंग इन्सट्रक्टर, पी. जी. बी. टी. कालेज, बिलासपुर द्वारा दिनांक १८-५-६८ को दी गई टाटपट्टियों का नमूने से मिलान की रिपोर्ट.	,, ,,
८१	श्री रा. ला. तांबोली, वीव्हिंग इन्सट्रक्टर, पी. जी. बी. टी. कालेज, बिलासपुर द्वारा दिनांक १-६-६८ को दी गई टाटपट्टियों के ३५० बंडलों की नमूने से मिलान की रिपोर्ट.	,, ,,
८२	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल द्वारा संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर को टाटपट्टी का वितरण न करने संबंधी ज्ञापन क्र. स्टेनो/डी. पी. आई./६८/१९९५, दिनांक ३०-४-६८.	,, ,,
८३	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को अर्धशासकीय पत्र क्र. ५६२९, दिनांक २१-५-६८ बावत टाटपट्टियों के मिलान की रिपोर्ट.	,, ,,
८४	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को भेजा गया अर्धशासकीय पत्र क्र. ६५०९, दिनांक १-६-६८ बावत टाटपट्टियों के मिलान की रिपोर्ट.	,, ,,
८५	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को भेजा गया अर्धशासकीय पत्र क्र. ३६०८, दिनांक २६-३-६८ जिसमें बतलाया गया है कि ४०० श्यामपट प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ३८३ अच्छी हालत में हैं, २ के हुक टूटे हैं, ५ के बीच के पटिये टूटे हैं तथा १० का फ्रेम टूटा है.	,, ,,
८६	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को भेजा गया	,, ,,

(१)	(२)	(३)
	अर्धशासकीय पत्र जिसमें ५०० बाल्टियां प्राप्त होने तथा उनकी स्थिति बतलाई गई है.	
	रायपुर, दिनांक २१-६-६८.	
८७	स्टाक रजिस्टर का पृष्ठ ४२ को प्रतिलिपि जिसमें भिन्न-भिन्न दिनांकों को प्राप्त टाटपट्टी के बंडलों की संख्या व उसके प्राप्ति के दिनांक है.	श्री व्ही.एन. ठाकुर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर ने दिनांक २१-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
८८	नवभारत यातायात, कलकत्ता का चालान क्र. ३६१, दिनांक २७-४-६८, जिसके द्वारा १५४ बंडल टाटपट्टी के प्राप्त हुए थे (मूलतः).	,, ,,
८९	नवभारत यातायात, कलकत्ता का चालान क्र. ३६२, दिनांक २७-४-६८ जिसके द्वारा १६० बंडल टाटपट्टी भेजी गई थी (मूलतः).	,, ,,
९०	भारत रोडवेज कलकत्ता की कनसाइनमेन्ट रसीद दिनांक ३०-४-६८ जिसके द्वारा १८५ टाटपट्टी के बंडल भेजे गये थे (मूलतः).	,, ,,
९१	भारत रोडवेज, कलकत्ता का चालान क्र. ३८४, दिनांक ३-५-६८ जिसके द्वारा १८० टाटपट्टी के बंडल भेजे गये थे (मूलतः).	,, ,,
९२	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर द्वारा दिनांक ७-५-६८ को ३८१ बंडल टाटपट्टी प्राप्ति की रसीद कार्यालय प्रति (मूलतः).	,, ,,
९३	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर द्वारा संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल को भेजे गये ज्ञापन क्र. १००४३, दिनांक १३-६-६८ बावत टाटपट्टियों के मिलान की रिपोर्ट की प्रतिलिपि.	,, ,,
	बालाघाट, दिनांक २३-६-६८.	
९४	उप संभागीय शिक्षण अधीक्षक, जबलपुर संभाग द्वारा जिला शिक्षण अधिकारी, बालाघाट को भेजा गया अर्ध शासकीय पत्र क्र. स्टोर/सं.ले./६८/२३७८, दिनांक १२-३-६८ टाटपट्टी, श्यामपट तथा बालटी प्राप्त करने के लिये एक सहायक जिला शाला निरीक्षक तथा एक लिपिक भेजने के लिये (प्रतिलिपि).	श्री आर. एन. नायडू, जिला शिक्षा अधीक्षक, बालाघाट द्वारा दिनांक २३-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.

(१)	(२)	(३)
९५	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर संभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट को ज्ञापन क्र. ५, दिनांक ७-४-६८ विभिन्न जिलों को वितरण किये जाने वाले टाटपट्टी, श्यामपट और बालटियों की सूची की प्रतिलिपि.	श्री आर. एन. नायडू, जिला शिक्षा अधीक्षक, बालाघाट द्वारा दिनांक २३-६-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
९६	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर द्वारा जिला शाला निरीक्षक, बालाघाट को भेजे गये ज्ञापन क्र. ४९३९, दिनांक ३१-५-६८ सामान आगे आदेश तक वितरित न करने बाबत.	" "
९७	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल का ज्ञापन क्र. स्टेनो/सं/६८/१९०३, दिनांक २१-५-६८ जिसमें संभागीय शिक्षा अधीक्षक को टाट-पट्टी के वितरण संबंधी निदेश.	" "
९७-क	श्री नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, बालाघाट को भेजे गये ज्ञापन क्र. ४९३९, दिनांक ३१-५ ६८ जिसमें उन्होंने टाटपट्टी, बालटी एवं श्यामपट का वितरण रोकने के आदेश दिये थे.	" "
९८	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, बालाघाट को भजे गये ज्ञापन क्र. ४९३३, दिनांक ३१-५-६८ जिसमें उन्होंने दिनांक १६-५-६८ के अर्धशासकीय पत्र का स्मरण कराते हुए जानकारी मांगी है.	" "
९९	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर का अर्धशास-कीय पत्र क्र. ५, दिनांक १६-५-६८ जिसमें उन्होंने टाटपट्टी की जांच के विषय में निदेश दिये हैं.	" "
	इन्दौर	
१००	श्री राजकिशन गुप्ता, सेलिंग एजेन्ट, खारडा कं. लि. कलकत्ता, देहली दरवाजा, १३-छत्ता, गाजियाबाद का दिनांक २६-३ ६८ का २७५ रोल टाटपट्टी का रुपया १७२१.७० पै. का क्रेडिट बिल (मूल प्रति).	दिनांक ६-७-६८ को कु. लीलाबाई व्यास, प्रभारी संभागीय शिक्षा अधीक्षक, इन्दौर ने दिनांक ६-७-६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
१०१	श्री राजकिशन गुप्ता, से. ए. खारडा कं. लि. कलकत्ता, देहली दरवाजा, गाजियाबाद का दि. २६-३-६८ का २७५ रोल टाटपट्टी का चालान (मूल प्रति).	" "

(१)	(२)	(३)
	उज्जैन	
१०२	संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल द्वारा भेजी गई टाटपट्टियों के विषय में संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया पत्रक.	दि. ७-७-६८ को श्री श्याम बिहारी शर्मा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन ने अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
१०३	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन का संभागीय शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को पत्र क्र. ६६, दिनांक १६-४-६८ जिसमें अंक ३७५ काटकर ३५५ किया गया है.	" "
१०४	उक्त पत्र का रफ ड्राफ्ट	" "
१०५	संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को भेजा गया पत्र क्र. ८५०/एकाउन्टेन्ट/६८, दिनांक २६-४-६८ जिसमें टाटपट्टियों के विषय में विवरण रखने का नमूना है.	" "
१०६	जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन का पत्र क्र. ६६, दिनांक १६-४-६८ जो संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन को प्राप्त हुआ है और जिसमें टाटपट्टी के एक मीटर के टुकड़े का वजन ३७५ ग्राम लिखा है (मूल प्रति).	" "
१०७	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स का टेंडर क्र. ४, दिनांक १३-२-६८ (मूल प्रति).	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने दिनांक २६-७-६८ को अपनी साक्ष्य के समय सत्यापन किया.
१०८	दिनांक १४-२-६८ को टेंडर्स खोलने के समय जो व्यक्ति उपस्थित थे उनकी सूची तथा हस्ताक्षर.	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने दिनांक २६-७-६८ को अपनी साक्ष्य के समय उनके मैनेजर श्री धरमदास के हस्ताक्षर क्र. ६ पर उनके नाम के सामने जो किये गये हैं उसका सत्यापन किया.
१०९	श्री राजकिशन गुप्ता का टेंडर क्र. १७, दिनांक १३-२-६८ जिसमें श्री राजकिशन गुप्ता के हस्ताक्षर हैं.	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने दिनांक २६-७-६८ को अपनी साक्ष्य के समय सत्यापन किया.
११०	श्री राजकिशन गुप्ता का दिनांक १०-६-६८ का पत्र जिसमें श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये हैं.	" "
१११	श्री राजकिशन गुप्ता का दिनांक १२ अगस्त १९६८ का पत्र.	श्री राजकिशन गुप्ता ने दिनांक १२ अगस्त १९६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.

(१)	(२)	(३)
११२	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का दिनांक ६ फरवरी १६६८ का पत्र जो उन्होंने श्री राजकिशन गुप्ता को भेजा था.	श्री राजकिशन गुप्ता ने दिनांक १२ अगस्त १६६८ को अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
११३	टाटपट्टी केन्द्रीय क्रय समिति का दिनांक १६ फरवरी १६६८ के प्रविवेदन की प्रति.	श्री एम. एच. राव, सचिव, शिक्षा विभाग ने दिनांक १३ अगस्त १६६८ को अपनी साक्ष्य के समय इसे देखकर सत्यापन किया.
११४	टाटपट्टियों के ११ वैध टेंडरों का तुलनात्मक विवरण.	श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग ने अपने दिनांक १३-८-६८ के साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
११५	शिक्षा विभाग का ज्ञापन दिनांक १३-२-६८ जिसके द्वारा १६ लाख ८० हजार रुपये की सामग्री (टाटपट्टी, श्यामपट तथा बाल्टियों की खरीद की स्वीकृति).	ी बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग ने दिनांक १३-८-६८ को अपनी साक्ष्य के समय सत्यापन किया.
११६	शिक्षा विभाग का ज्ञापन क्रमांक ३१६/२८०/२०/३/६८, दिनांक ६-३-६८ जिसके द्वारा १६ लाख ८० हजार रु. की सामग्री खरीदने की पुनरीक्षित स्वीकृति.	श्री बी. एल. विजयवर्गीय, उप सचिव, वित्त विभाग ने दिनांक १३-८-६८ को अपनी साक्ष्य के समय सत्यापन किया.
११७	श्री सुखचन्द्र मिश्रा, अवर सचिव, शिक्षा विभाग की टिप्पणी, दिनांक २३-२-६८ जो उन्होंने १६ लाख ८० हजार रु. की पुनरीक्षित स्वीकृति के विषय में सचिवालय की नस्ती में लिखा था.	श्री सुखचन्द्र मिश्रा, अवर सचिव, शिक्षा विभाग ने दिनांक १३-८-६८ को अपनी साक्ष्य के समय सत्यापन किया.

परिशिष्ट क्रमांक ३

(कण्डिका १० देखिये)

आर्टिकल की सूची

क्रमांक	विषय	एक मीटर के टुकड़े का वजन (ग्राम में)	किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया
(१)	(२)	(३)	(४)
१	टाटपट्टी का १ मीटर का टुकड़ा जो श्री राजकिशन गुप्ता ने टेन्डर के साथ नमूने के रूप में दिया था.	३७०	संचालक, लोक शिक्षण, से प्राप्त हुआ.
२	टाटपट्टी का १ मीटर का टुकड़ा जो भोपाल संभाग को प्रदाय किया गया है.	३४०	,, ,,
३	टाटपट्टी का १ मीटर का टुकड़ा ..	३३६	दिनांक २५ अप्रैल, १९६८ को समिति डी. एस. ई. भोपाल श्री गोयल के साथ टाटपट्टी का स्टाक देखने गई थी जहां उन्होंने एक बंडल का यह टुकड़ा नमूने के रूप में दिया था.
४	टाटपट्टी का १ मीटर का टुकड़ा ..	३२५	,, ,,
५	श्यामपट जो शिक्षा संचालक, भोपाल से प्राप्त हुआ था.	..	श्री बलदेवसिंह, अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम, भोपाल द्वारा दिनांक १० जून, १९६८ को देखकर अपनी साक्ष्य में सत्यापन किया.
६	बाल्टी जो शिक्षण संचालक, भोपाल से प्राप्त हुई थी.	..	,, ,,
	ग्वालियर, दिनांक १३ जून, १९६८.		
७	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३००	दिनांक १३ जून, १९६८ को संभागीय शिक्षा अधीक्षक, ग्वालियर ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
७-ए	,, ,,	३५०	,, ,,
८	,, ,,	३००	,, ,,

(१)	(२)	(३)	(४)
	रीवां, दिनांक १५ जून, १९६८.		
९	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३३४	दिनांक १५ जून, १९६८ को संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
९-ए	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३५०	दिनांक १५ जून, १९६८ को संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रीवा ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
१०	,, ,,	३१०	,, ,,
	सीधी, दिनांक १६ जून, १९६८.		
११	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	२७५	दिनांक १६ जून, १९६८ को जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
१२	,, ,,	३२२	,, ,,
१३	सीधी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अगस्त, १९६७ में खरीदी गई टाटपट्टी का नमूना.	..	,, ,,
१४	,, ,,	..	,, ,,
१५	,, ,,	..	,, ,,
१६	,, ,,	..	,, ,,
	जबलपुर, दिनांक १८ जून, १९६८.		
१७	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३०८	दिनांक १८ जून, १९६८ को श्री बी. डी. नायक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
१७-ए	,, ,,	३३४	,, ,,
१८	,, ,,	३०४	,, ,,
	बिलासपुर, दिनांक २० जून, १९६८.		
१९	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३७०	दिनांक २० जून, १९६८ को श्री दत्तात्रय हरी खिरवड़कर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.

(१)	(२)	(४)	(१)
१६-ए	टाट पट्टी का एक मीटर का टुकड़ा	३५५	दिनांक २० जून १९६८ को श्री दत्तात्रय हरी खिरवड़कर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, बिलासपुर ने अपनी साक्ष्य के समय दिया.
२०	,, ,,	३२०	,, ,,
	रायपुर, दिनांक २१ जून, १९६८.		
२१	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३००	दिनांक २१ जून, १९६८ को श्री व्ही. एन. ठाकुर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर ने अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
२१-ए	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३५०	दिनांक २१ जून, १९६८ को श्री व्ही. एन. ठाकुर, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, रायपुर ने अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
२२	,, ,,	३४५	,, ,,
	इन्दौर, दिनांक ६ जुलाई, १९६८.		
२३	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३१०	दिनांक ६ जुलाई, १९६८ को कुमारी लीलाबाई व्यास, प्रभारी, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, इन्दौर ने अपनी साक्ष्य के समय दी.
२३-ए	,, ,,	३३०	,, ,,
२४	,, ,,	३४५	,, ,,
	उज्जैन, दिनांक ७ जुलाई, १९६८.		
२५	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	२९०	दिनांक ७ जुलाई, १९६८ को श्री श्यामबिहारी शर्मा, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जैन ने अपनी साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया.
२५-ए	,, ,,	३५८	,, ,,
	भोपाल.		
२६	टाटपट्टी का एक मीटर का टुकड़ा ..	३६५	दिनांक १४ मई, १९६८ को संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल से सीलबन्द लिफाफे में प्राप्त हुआ था जो श्री बिहारीलाल गोयल, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, भोपाल, नमूने के रूप में कलकत्ता ले गये थे.

परिशिष्ट ४

(कण्डिका २० और ५० देखिये)

टाटपट्टी के टेन्डरों की सूची

टेन्डर क्रमांक (१)	टेन्डरर का नाम व पता (२)	टेन्डर का दिनांक (३)	टेन्डर प्राप्ति का दिनांक (४)	अन्य विवरण (५)
*१	बंगलौर जूट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता . .	९-२-६८	१३-२-६८ १२.१५ सायं	पोस्ट से नहीं.
२	मुन्नालाल छोटेलाल गांधी, झांसी . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १२.२५ सायं	,,
३	टैक्सटाइस इंजीनियर्स, कलकत्ता . .	१०-२-६८	१३-२-६८ १२.२५ सायं	,,
४	द्वारकाप्रसाद अग्रवाल एन्ड ब्रदर्स, भोपाल	१३-२-६८	१३-२-६८ १.१० सायं	,,
५	पंकज अम्बुज ट्रेडर्स, दिल्ली	१३-२-६८	१३-२-६८ १.२५ सायं	,,
*६	मर्केन्टाइल कार्पोरेशन, इन्दौर . .	१३-२-६८	१३-२-६८	,,
*७	भारत टिम्बर ट्रेडिंग कं., इन्दौर . .	१३-२-६८	१३-२-६८	,,
*८	नर्मदा इन्डस्ट्रीज, भोपाल	१३-२-६८	१३-२-६८ १.५० सायं	,,
९	परमानिक कंपनी जवाहरगंज, जबलपुर . .	१२-२-६८	१३-२-६८ १.५० सायं	,,
*१०	डायमन्ड ट्रेडर्स, भोपाल	१३-२-६८	१३-२-६८ १.५० सायं	,,
११	मेसर्स भगवानदास किशोरीलाल, ग्वालियर	११-२-६८	. .	पोस्ट से आया है.
१२	श्री बाबूलाल शिवहरे, शिवपुरी . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १.४५ सायं	पोस्ट से नहीं.
*१३	पी. आर. एम. एन्ड कं., ग्वालियर . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १.४५	,,
*१४	एजुकेशनल सेल्स कार्पोरेशन, दिल्ली . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १.४५	,,
*१५	मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान, भोपाल . .	१२-२-६८	१३-२-६८ १.३० सायं	,,
*१६	मध्यप्रदेश एम्पोरियम, भोपाल . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १.३५ सायं	,,
*१७	राजकिशन गुप्ता, गाजियाबाद . .	१३-२-६८	१३-२-६८ १.३७ सायं	,,
१८	उदयराम कृष्णगोपाल	१३-२-६८	१३-२-६८ १.४० सायं	,,
१९	चेतना एजेन्सीज, भोपाल	१३-२-६८	१३-२-६८ २.१० सायं	,,
२०	मेसर्स पटेल ब्रदर्स, काटन रिक्लीनिंग इन्डस्ट्रीज, ऊंटखाना, नागपुर.	१३-२-६८ १.४५ सायं	१३-२-६८ १.४५ सायं	,,
*२१	गोडाउन ग्रामोद्योग गृह बहुउद्योग टाटपट्टी बुनकर हैंडलूम संगठन, इंदौर.	५-२-६८	१३-२-६८	,,

* वैध टेन्डर्स

परिशिष्ट ५

(कंडिका २१ देखिये)

केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण

Minutes of the meeting of the Purchase Committee for the purchase of Tatpatties held on 16-2-68.

The Purchase Committee for the purchase of Tatpatties met on 16-2-68 at the Institute of Science Education, Bhopal under the Chairmanship of Shri M. H. Rao, Secretary to Government, Madhya Pradesh, Education Department, Bhopal. The following members were present :—

(1) Shri B. L. Bijawargi, Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh, Finance Department, Bhopal.

(2) Smt. F. Choudhari, Director of Public Instruction, Madhya Pradesh, Bhopal.

2. The Committee studied the comparative chart of quotations and examined the samples submitted by the various dealers.

3. The sample submitted by M/s. Raj Kishan Gupta, Gaziabad quoted at the rate of Rs. 1.35 P. per metre was found to be satisfactory as well as of the lowest rate and hence was approved. It was decided that a telegraphic enquiry be made from the firm as to the quantity they can supply before the end of the financial year. On receipt of telegraphic reply the orders may be placed with the firm.

4. The sample of the next higher rate (Rs. 28 .00 per 20 metres) was by Messrs. Educational Sales Corporation, New Delhi. It was closely compared with the sample mentioned above and was found to be inferior to it.

5. In view of the urgent requirements of Tatpattis for schools and lack of time at our disposal, it was proposed by the Director of Public Instruction that maximum utilisation of the allotment available can be ensured if the time likely to be consumed in transportation of the Tatpatties to the 9 Divisional Headquarters is saved by allowing a senior officer of the Department to reach the factory/godown of the firm, check the material with the help of the sample before it is despatched, take possession of the supply and get it despatched to the 9 Educational Divisions provided that the firm is willing to meet the expenses of delivery at the 9 educational stores as per conditions of the tender. This will meet the usual audit objection against making payments before taking possession of the goods. The proposal was accepted by the Committee, as it would also ensure the quality of supply and avoid lapse of the amount on account of likely rejections at the Divisional level and consequential delay in payment.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

परिशिष्ट ६

(कंडिका ५० देखिये)

वैध टेन्डर्स में टेन्डररों द्वारा टाटपट्टी प्रदाय की शर्तें तथा दरें

	टेण्डरर का नाम (१)	विशेष शर्तें तथा टिप्पणी (२)	दर (३)	
१	बंगलोर जूट फैक्टरी कं. लिमिटेड, ४ क्लाइव रोड कलकत्ता.	(१) केवल रायपुर व बिलासपुर के लिये ४००० टुकड़े २० मीटर × १८" × १५ औंस १५ मार्च तक प्रदाय किये जा सकते हैं. शेष मात्रा ड्यू कोर्स में दी जावेगी. (२) यदि डी. फार्म सप्लाय किया गया तो बिक्री कर सम्मिलित होगा. (३) बैंक ड्राफ्ट द्वारा अर्नेस्ट मनी भेजा गया है	नमूने के अनुसार २० मीटर लम्बे १८" चौड़े टुकड़े का रु. ३८.२० पैसे वजन १५ औंस प्रति गज.	
				प्रति मीटर रु. पै.
२	मर्केन्टाइल कार्पोरेशन, १७ राम लक्ष्मण बाजार, इन्दौर.	(१) प्रमाण पत्र देने पर एफ. ओ. आर. करों को सम्मिलित करते हुए. (२) एक ही लिफाफे में	नमूना क्र. १ नमूना क्र. २ नमूना क्र. ३ नमूना क्र. ४ नमूना क्र. ५	१.८५ १.९९ २.०५ २.१७ २.२६
३	भारत टिम्बर ट्रेडिंग कं. २, महारानी रोड, इन्दौर.	एक ही लिफाफे में ..	नमूना (ए) नमूना (बी) नमूना (सी) नमूना (डी)	२.१५ २.३५ २.५५ ३.२५
४	मेसर्स नर्मदा इन्डस्ट्रीज सुल्तानिया रोड, भोपाल.	(१) बिरला जूट-बिक्री कर फार्म के प्रति करों को सम्मिलित करते हुए. (२) डिपाजिट के रूप में अर्नेस्ट मनी. (३) ९१ दिनों के लिये. (४) एक ही लिफाफे में.	नमूना (एक) नमूना (दो) नमूना (तीन)	२.३५ २.०७ १.७१
५	मेसर्स डायमन्ड ट्रेडर्स, जवाहर चौक, भोपाल.	(१) काल डिपाजिट रसीद के द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा किया गया है. (२) भोपाल में सम्पूर्ण माल की डिलीवरी पर १ प्रतिशत रिबेट (३) टेन्डर खोलने के दिनांक से ३० दिन के लिये मान्य.	१ २ ३ ४	३.३९ २.९५ २.३६ १.७६

	(१)	(२)	(३)	
		(४) यदि आर. आर. की जगह पर ही ९० प्रतिशत भुगतान कर दिया जाय तो २ प्रतिशत और रिबेट.		
		(५) पुष्टिकरण आदेश की प्राप्ति से १ माह के अन्दर प्रदाय.		
		(६) एक ही लिफाफे में.		
६	पी. आर. एम. एन्ड कं. फालके का बाजार लश्कर.	(१) होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर के लिये दरें दी गई हैं.	प्रति २० मीटर के नमूने की दर.	
				रु. पै.
		(२) अन्य डिवीजनों के लिये दरें २५ प्रतिशत अधिक.	१	१४८.९०
			२	३७.३५
	एक्जीबिट ५.	(३) नमूना क्रमांक १९, २२, २५, २६ तथा २८ का माल तुरन्त स्टाक में नहीं है तथा प्रदाय करने में दो महिने लगेंगे.	३	२८.५४
			४	४५.९९
			५	२८.९९
			६	१४३.००
		(४) सर्टिफिकेट देने पर यह दरें हैं	७	३९.५०
			८	३०.००
			९	४४.००
			१०	३४.८३
			११	२८.९०
			१२	६६.००
			१३	४५.००
			१४	३९.९९
			१५	३७.९९
			१६	२८.५९
			१७	४४.२५
			१८	४३.९०
			१९	२९.५०
			२०	२८.९९
			२१	४४.९०
			२२	३०.५०
			२३	२८.३०
			२४	४५.८०
			२५	३५.२९
			२६	२९.४९
			२७	२८.६०
			२८	३४.५०
			२९	२९.५९
			३०	३०.२०

(१)	(२)	(३)	
		२० मीटर के नमूने की दर	
			रु. पै.
		३१	४४.००
		३२	३७.६२
		३३	४४.७५
		३४	४५.६०
		३५	२८.५६
		३६	४४.७२
७ एजुकेशनल सेल्स कार्पोरेशन नई दिल्ली-६.	(१) अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया गया मांगने पर जमा किया जा सकता है.		
एक्जी. ४ ..	(२) नेशनल स्माल स्केल इन्डस्ट्री के रूप में रजिस्टर्ड है किन्तु प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है. मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक २७-१२-६७ का संदर्भ दिया गया है. दरें, विक्री-कर को सम्मिलित करते हुए प्रमाण-पत्र दिये जाने की दशा में हैं. होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिये दर २५ प्रतिशत ज्यादा.	१	२८.००
		२	३४.७५
		३	३१.७५
		४	३८.३१
		५	४७.४६
		६	३८.३०
		७	३५.६२
		८	३५.००
		९	४५.५२
		१०	४५.५२
		११	३१.२०
		१२	४५.५०
		१३	४६.४३
८ मध्यप्रदेश औद्योगिक संस्थान, भोपाल.	(१) दरें केवल भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रायपुर, बिलासपुर, रीवा में एफ. ओ. आर. स्टोर डिलीवरी के लिये हैं.	१	३०.७८
		२	३७.३८
		३	२८.५०
		४	३५.१०
एक्जी. ६ ..	(२) डी. फार्म की आवश्यकता है.	५	३४.८०
	(३) होशंगाबाद, जबलपुर तथा ग्वालियर के लिये दरें २५ प्रतिशत अधिक.	६	३६.६०
		७	३४.५०
		८	२८.६०
	(४) अर्नेस्ट मनी शार्ट डिपाजिट रसीद के रूप में जमा किया है.	९	३०.७०
		१०	४५.८०
		११	३४.२५
		१२	३८.७०
		१३	३०.८५
		१४	४७.८०
		१५	४४.९०
		१६	४८.२०

(१)		(२)	(३)
			२० मीटर के नमूने की दर. रु. पै. १७ ४४.७० १८ ४०.५० १९ ४४.२५ २० ४४.१० २१ ५९.३०
९	मध्यप्रदेश एम्पोरियम, इमामीगेट, भोपाल.	(१) अर्नेस्ट मनी नहीं. .. (२) दरों में आक्ट्राय को छोड़कर सभी कर सम्मिलित. (३) अर्नेस्ट मनी से मुक्त (संदर्भ क्र. २०२-५०३०-ग्यारह-सी. दिनांक ४-१-६४). (४) ४,५०० पट्टी सुतली की और २७५ सन की समयावधि के अन्दर प्रदाय की जा सकती हैं. (५) लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत मूल्य में प्राथमिकता देने हेतु निवेदन.	प्रति २८ फीट के नमूने की दर सुतली २५ रु. ३० पैसे वजन ४५० ग्राम प्रति मीटर सन टाटपट्टी १९ रु. ८० पै. वजन ४५० ग्राम प्रति मीटर.
१०	राजकिशन गुप्ता, देहली दरवाजा, गाजियाबाद.	(१) प्रमाणपत्र देने पर एफ. ओ. आर. स्टोर डिलीवरी. (२) एक तिहाई मात्रा का प्रदाय मार्च में तथा शेष अप्रैल, १९६८ में. (३) बंडल २० से २६ मीटर तक.	१.३५ पैसे प्रति मीटर
११	मेसर्स गोडाउन ग्रामोद्योग गृह बहु-उद्योग टाटपट्टी बुनकर हेंडलूम, संगठन, इन्दौर.	(१) अर्नेस्ट मनी नहीं. .. (२) आक्ट्राय तथा विक्री कर सम्मिलित करते हुए प्रदाय. (३) स्टाक ५०० टुकड़े १८"×२८" (४) एक ही लिफाफे में.	जूट ०.६६ वर्गफीट.

परिशिष्ट ७

(कंडिका ५० देखिये)

अस्वीकृत किये गये टेन्डर्स में टेन्डररों द्वारा टाटपट्टी प्रदाय की शर्तें तथा दरें

	टेन्डरर का नाम	विशेष शर्तें तथा टिप्पणी	दरें
	(१)	(२)	(३)
			रुपये पैसे प्रति मीटर
१	मुन्नालाल छोटेलाल, गांधी बजाज बाजार, झांसी.	(१) विज्ञापन में दिये गये स्थानों पर प्रदाय (२) क्रमांक १ का नमूना २४" की टाटपट्टी का है किन्तु १८" की प्रदाय की जायगी क्योंकि १८" का नमूना अभी उपलब्ध नहीं है. (३) टेन्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं भेजा गया. (४) एक ही लिफाफे में ..	१–१.६५ २–१.६० (रंगी हुई) ३–१.८५ ४–१.८० ५–१.७७ ६–१.७०
२	टैक्सटायल इंजीनियर्स, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता.	(१) दरों में सभी कर सम्मिलित हैं (२) अर्नेस्ट मनी नहीं भेजा गया	(ए)–२.३१ (बी)–२.२७ (सी)–१.८७ (डी)–१.८५ (ई)–२.२५ (एफ)–१.६२ (जी)–१.७० (एच)–१.८४ (आई)–१.५०

			वजन ग्राम में	दर प्रति मीटर		
				सादा डब्ल्यू १		
				रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
३	श्री भगवानदास किशोरी लाल लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर	(१) स्टेशन पर माल दिया जावेगा. (२) ७५ प्रतिशत रकम के भुगतान के लिये आर. आर. बैंक के द्वारा देंगे तथा २५ प्रतिशत माल पास होने पर भुगतान किया जाय.	१–३४१	१.३७	१.४८	एम २ तथा जी ३
			२–३७२	१.४८	१.५३	१.६४
			३–४०३	१.६०	१.६४	१.७५
			४–४३४	१.७०	१.७५	१.८६
			५–४६६	१.६०	१.६७	२.०१
			६–५५८	२.१३	२.२०	२.३०

	(१)	(२)	(३)
			रु. पै. रु. पै. रु. पै.
		(३) टेन्डर पास होने पर एक हजार रुपया एडवांस के रूप में भेजेंगे अर्नेस्ट मनी नहीं भेजा.	७–६२० २.३५ २.४० २.५० ८–६५१ २.४६ २.५० २.६३
		(४) विशेष माल की कीमत वजन एवं क्वालिटी के अनुसार १० प्रतिशत अधिक होगी.	९–६८२ २.५७ २.६३ २.७३ १०–७१३ २.६८ २.७३ २.८४ ११–७४४ २.८४ २.९५ ३.००
४	श्री द्वारकाप्रसाद अग्रवाल एन्ड ब्रदर्स, सुलतानिया रोड, भोपाल.	(१) अर्नेस्ट मनी दस हजार के चैक द्वारा. (२) मार्च में प्रदाय प्रारंभ करके अप्रैल में संपूर्ण माल पूरा कर दिया जावेगा.	चौड़ाई १८" तथा २० से २५ मीटर लम्बाई १.५२ पैसा प्रति मीटर.
५	पाटिल ब्रदर्स काटन रिक्लेमिंग इंडस्ट्रीज, ऊंटखाना, नागपुर.	अर्नेस्ट मनी चैक द्वारा जमा किया गया है.	२.४० प्रति मीटर
			वजन ग्रौंस — दर प्रति मीटर रु. पै.
६	उदयराम कृष्णगोपाल, नयागंज, कानपुर.	अर्नेस्ट मनी चैक द्वारा जमा किया गया है	१—१५ १.४५ २— „ १.७० ३—१२ १.३० ४—१३ १.५५ ५—१४ १.७५ ६—२० २.४० ७—२० २.८०
			प्रति मीटर रु. पै.
७	बाबूलाल शिवहरे, गोपालगंज, शिवपुरी.	(१) अर्नेस्ट मनी काल डिपाजिट रसीद द्वारा जमा किया है. (२) प्रदाय आदेश प्राप्ति से १ माह के अन्दर कर दिया जायगा. (३) भुगतान ९० प्रतिशत बैंक की बिल्टी द्वारा चाहा है तथा १० प्रतिशत माल प्राप्त हो जाने पर. (४) दरें स्टोर डिलीवरी की है. (५) डी. फार्म प्राप्त होने पर सेल्स टैक्स शामिल.	(अ) ३.१५ (आ) २.८० (इ) २.७० (ई) २.४९

	(१)	(२)	(३)	
			वजन औंस में	दर प्रति मीटर
				रु. पै.
८	पंकज अंबुज ट्रेडर्स, उप वितरक खारदा जूट मिल्स, लि. ३६२५ सुभाष मार्ग दिल्ली-६.	(१) अर्नेस्ट मनी काल डिपाजिट रसीद द्वारा जमा. (२) ७५ या ९० प्रतिशत भुगतान आर. आर. के स्थान पर चाहा गया है. २५ प्रतिशत भुगतान माल मिलने से १५ दिन के अन्दर करना होगा. (३) बिलों का भुगतान समय पर होने पर २५ पैसे प्रति सैंकडा विशेष छूट. (४) टाटपट्टी की सादी सिलाई करने पर ३० पैसे प्रति पट्टी अतिरिक्त तथा जूट की सिलाई के ४० पैसे प्रति पट्टी अतिरिक्त.	१—१४ २—१५ ३—१५ ४—१४ ५—१६ ६—११ ७—१२ ८—१६ ९—१४ १०—१६ ११—१२ १२—१४ १३—११ १४—१४	१.६६ १.८१ १.८१ १.६६ १.९४ १.४९ १.५५ १.९४ १.६६ १.६१ १.२४ १.३६ १.१७ १.३५
९	परमाणिक एन्ड कं., जवाहरगंज, जबलपुर.	(१) केवल रेल हैड्स पर डिलीवरी.. (२) टेन्डर देने के दिनांक से १५ तक शर्तें मान्य तथा इसके बाद जारी रखने पर अन्य उचित अवधि के लिये जारी रखने पर विचार किया जायगा. (३) बैंक ड्राफ्ट द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा. (४) भुगतान आर. आर. के स्थान पर या अनुसूचित बैंक के द्वारा माल भेजने के प्रमाण पर ९० प्रतिशत भुगतान चाहा है तथा १० प्रतिशत ३१ मार्च तक.	(ए) ११ (बी) १२ (सी) १४ (डी) १६	१.०८ १.१२ १.२२ १.४५
				दर प्रति मीटर
				रु. पै.
१०	चेतना एजेन्सीज, चौकी इमामवाड़ा रोड, भोपाल.	(१) अर्नेस्ट मनी काल डिपाजिट के रूप में जमा. (२) सर्टिफिकेट देने पर बिक्री कर सम्मिलित. (३) मिल में abnormal circumstances में सम्यावधि में माल प्रदाय की गारंटी नहीं दी जा सकती.	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८	१.२४ १.५० १.९० २.२० १.३५ १.४० १.९० १.७०

(१)	(२)	(३)	
			रु. पै.
		९	१.८०
		१०	१.८५
		११	१.९०
		१२	१.९०
		१३	१.९०
		१४	१.९०
		१५	१.९०
		१६	१.९०
		१७	१.९५
		१८	१.९५
		१९	१.९५
		२०	२.१०
		२१	२.२५
		२२	२.००
		२३	२.३५
		२४	२.४५
		२५	१.८५
		२६	१.९०
		२७	१.९५
		२८	२.००
		२९	२.००
		३०	२.२५
		३१	२.७५

परिशिष्ट ८

(कंडिका २३ देखिये)

श्री राजकिशन गुप्ता तथा संचालक, लोक शिक्षण के बीच में दिनांक २८ फरवरी, १९६८ को लिखा गया करारनामा

(स्टैम्प १ रुपया पचास पैसे)

करारनामा

यह करारनामा आज दिनांक २९-२-१९६८ गुरुवार, को प्रथम पक्ष, मेसर्स राजकिशन गुप्ता की ओर से, फर्म के मालिक, श्री राजकिशन गुप्ता, देहली दरवाजा, १३ चट्टा (छत्ता) गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश (जो कि इसमें आगे "ठेकेदार" कहे जायेंगे) और इस व्यंजक में विषय या प्रसंग विपरीत न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रशासन/साझेदार तथा स्वत्त्वार्पण गृहीता सम्मिलित होंगे तथा द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (जिसकी ओर से संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल कार्य संपादन कर रहे हैं) और इस व्यंजक में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर उनके पदानुवर्ती संचालक सम्मिलित होंगे, के मध्य लेखबद्ध किया जाता है.

अतः यह करारनामा निम्नलिखित बातों का साक्षी है, तथा इसके द्वारा निम्न करार किये जाते हैं:--

(१) करारकर्ता संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल के टेन्डर नोटिस क्रमांक १ सन् १९६८ में दी गई सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा.

(२) करारकर्ता टेंडर क्रमांक १, सन् १९६८ के तहत दिये गये टाटपट्टी के नमूने के मुताबिक जूट की क्वालिटी प्रति मीटर वजन, बुनाई रंग, डिजाइन आदि के अनुसार ६।। लाख मीटर टाटपट्टी पृथक् से प्राप्त की गई मात्रा में राज्य के विभिन्न संभागीय शिक्षण अधीक्षकों के प्रमुख निर्देशों पर १५ मार्च, सन् १९६८ से पूर्व आर्डर के पूरे माल का प्रदाय करेगा.

(३) टेंडर में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में करारकर्ता इसके तहत जमा किये गये अर्नेस्ट मनी व जमानत की रकम संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जप्त कर ली जाने के लिये अनुबंधित हैं.

(४) सामग्री जो ठेकेदार के द्वारा शिक्षा विभाग को सप्लाई की जा रही है. उसका आकार प्रकार आदि अन्य निर्दिष्ट बातें इस करारनामें में बताये गये अनुसार हैं, अथवा नहीं, इस संबंध में अपना संतोष करने के लिये संचालक, लोक शिक्षण को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय मेरे द्वारा सप्लाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण स्वयं अथवा उनके द्वारा लिखित रूप में से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करें, अथवा करावें.

(५) कार्य के संपादन काल में संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को, ठेकेदार के पास सामग्री के स्टाक उसकी क्वालिटी आदि अथवा कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(६) करारनामें की समस्त शर्तों का ठेकेदार पूर्णतः पालन करेगा, इसकी जमानत के लिये ठेकेदार के रुपये दस हजार संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के नाम बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, लिमि. ब्रांच भोपाल में (Call Deposit Receipt No 37 7961) के रूप में अपने टेंडर दिनांक के साथ संचालक के सुपुर्द की है, जो इस करारनामे की संविदा का तथा उसके अधीन सब मामलों का संपूर्ण निराकरण होने तक संचालक के पास जमानत के रूप में जमा रहेगी.

(७) यदि उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त या संचालक द्वारा प्रसारित टेंडर नोटिस क्रमांक १ वर्ष १९६८, दिनांक १ फरवरी, १९६८ की शर्तों का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किया गया अथवा कि उनका पालन न किया गया अथवा समय दिनांक १५ मार्च, १९६८ पर सामग्री प्रदाय करके न भेजी गई तो संचालक, लोक शिक्षण को अधिकार होगा कि वह इस ठेके को निरस्त कर दे और सामग्री दूसरे से क्रय कर अपना कार्य पूरा करा ले व उससे शिक्षा विभाग को जो हानि उठानी पड़ेगी वह ठेकेदार की जमानत की रकम को अंशत: अथवा पूर्णत: जप्त करने के साथ-साथ ठेकेदार के बिल में भी कमी करे या जैसी भी परिस्थिति हो, उसकी चल अथवा अचल संपत्ति से वसूल करें.

(८) यदि ठेकेदार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का आकार, प्रकार, रूप रंग, वजन, सूत की किस्म आदि के संबंध में टेंडर नोटिस में निर्दिष्ट शर्तों द्वारा अपेक्षित सामग्री से किसी भी प्रकार घटिया होकर सामग्री का लिया जाना इसलिये आवश्यक हो, कि उचित वर्णन की सामग्री प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय नहीं है तो, प्रदाय की गई सामग्री जिस सीमा तक शर्तों में अपेक्षित सामग्री की, तुलना में घटिया हो इसके अनुकूल कटोत्री ठेकेदार के बिल में से की जावेगी.

(९) ठेकेदार द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नांकित है:—

(अ) टाटपट्टी का प्रत्येक गोल, २० मीटर लंबा, १८ इंच चौड़ाई का होगा.

(ब) प्रदाय की जाने वाली टाटपट्टी का वजन प्रति मीटर सेंपल में दिये गये नमूना ए-४५-७२ (१८ इंच) के अनुसार ही होगा.

(स) टाटपट्टी नमूने के अनुसार बिना रंग की रहेगी.

(१०) सिक्यूरिटी मनी की कालडिपाजिट रकम की रसीद, जो संचालक के कार्यालय में जमानत के रूप में रखी गई है, वह ठेकेदार के पूर्ण बिल का पेमेंट होने के उपरान्त ही वापिस की जा सकेगी. और इसमें ठेकेदार को कोई उज्र नहीं होगा.

(११) इस करारनामें पर देय मुद्रा शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा.

इसके साक्ष्य में उक्त दोनों पक्षों ने इस करारनामें पर अपने-अपने हस्ताक्षर के सामने लिखित दिन और वर्ष में अपने-अपने हस्ताक्षर किये.

साक्षीगण :—

१. बी.डी. अग्रवाल (राजकिशन गुप्ता)
मनेजर
२. बी. पी. श्रीवास्तव, ए.डी.पी. आई.

ह. राजकिशन गुप्ता,
(ठेकेदार के हस्ताक्षर)
दिनांक २८-२-१९६८.

१. बी. डी. अग्रवाल, (राजकिशन गुप्ता)
मैनेजर २८-२-६८
२. बी.पी. श्रीवास्तव, ए.डी.पी.आई.२८-२-६८

संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, की ओर से
संचालक के हस्ताक्षर.

हस्ताक्षर
एफ. चौधरी,
संचालक, लोक शिक्षण
दिनांक २८-२-६८

शाकेमुभो—सी-१५८—स.वि.स.—१४-९-६८—१,०००.